



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2014/श्रावण 9, 1936

No. 395]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2014/SRAVANA 9, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

**वाणिज्य पोत परिवहन समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 2014**

**सा.का.नि. 546(अ).** - केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 की उप-धारा (4), धारा 87, धारा 88, धारा 98, धारा 456, धारा 457, और धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयरर प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुये जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

अध्याय 1

साधारण उपबन्ध

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** (1) ये नियम निम्न पर लागू होंगे -

(क) कोई अभ्यर्थी जो भारत का नागरिक हो; और

(ख) कोई अन्य अभ्यर्थी जो भारत का नागरिक न हो और जिसे इन नियमों के अधीन संबंधित मुख्य परीक्षक ने परीक्षण, निर्धारण और प्रमाणन किये जाने के लिये अनुज्ञात किया है।

3. **उद्देश्य -**(1) इन नियमों का उद्देश्य यह है कि 25 जून, 2010 को मनीला में एसटीसीडबल्यू अभिसमय के पक्षों के सम्मेलन द्वारा यथा अंगीकृत और सुसंगत राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों, 1978 पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय के मानक के संशोधित उपबन्धों को पूरा और सम्पूर्ण प्रभाव देना है,

4. **परिभाषाएं-** इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (1) “योग्य डेक समुद्रकर्मि (सीफेयरर)” ,से इन नियमों के अध्याय 2 के नियम 34 के उपबन्धों के अनुसरण में रेटिंग अर्हित अभिप्रेत है, ;
- (2) “योग्य इंजन समुद्रकर्मि(सीफेयरर)” , से इन नियमों के अध्याय 3 के नियम 47 के उपबन्धों के अनुसरण में रेटिंग अर्हित अभिप्रेत है, ;
- (3) “अधिनियम”, से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;
- (4) “अनुमोदित”, से यथास्थिति नौवहन महानिदेशक या संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है;
- (5) “अनुमोदित समुद्रगामी सेवा”, से संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा यथाअनुमोदित प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण कार्यक्रम में यथविहित प्रमाणपत्र या अन्य अर्हता को जारी करने या पुर्नविधिमान्यकरण से सुसंगत पोतस्थ सेवा अभिप्रेत है;
- (6) “अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम” से नौवहन महानिदेशक द्वारा सक्षमता प्रमाणपत्र, प्रवीणता प्रमाणपत्र पृष्ठांकन, उन्नत, पुर्नविधिमान्यकरण के प्रमाणपत्र जारी किए जाने प्रयोजन से प्रशिक्षण संस्थान में संचालित किए गए अनुमोदित पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;
- (7) “अनुमोदित प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण कार्यक्रम”, से इन नियमों के अधीन प्रमाणपत्रों या पृष्ठांकनों को जारी किए जाने के प्रयोजन से मानकों जिसके अंतर्गत परीक्षा और निर्धारण भी है नौवहन महानिदेशक द्वारा पूरी स्कीम को विनिर्दिष्ट करते हुए समुद्रकर्मियों के लिए यथानुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण के कार्यक्रम से अभिप्रेत है;
- (8) “अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान”, से नौवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्रेत है;
- (9) “निर्धारण केन्द्र”, से नौवहन महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो निर्धारण के प्रयोजनों से अभ्यर्थियों का निर्धारण करने और अभिलेखों को रखे जाने के लिए उत्तरदायी है;
- (10) “सहायक इंजीनियर अधिकारी”, से प्रमाण-पत्रित इंजीनियर अधिकारी बनने वाला प्रशिक्षणाधीन व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु समुद्री इंजीनियर या इंजन कैडेट या कनिष्ठ इंजीनियर भी है;
- (11) “सक्षमता प्रमाणपत्र” से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके विधिमान्य धारक को उसमें विनिर्दिष्ट दायित्वों के स्तर पर अंतर्गस्त कृत्यों का पालन करने और उस क्षमता में सेवा करने के हकदार बनाने वाले उपबन्धों के अनुसरण में मास्टर, अधिकारी और वैश्विक सामुद्रिक विपत्ति और सुरक्षा पद्धति रेडियो प्रचालकों के लिए जारी और पृष्ठांकित प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (12) “प्रवीणता प्रमाणपत्र”, से सक्षमता प्रमाणपत्र से भिन्न ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो एक समुद्रकर्मि(सीफेयरर) को यह अधिकथित करते हुये जारी किया गया है कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों के अधीन प्रशिक्षण, सक्षमताओं या समुद्र-गामी सेवाओं की सुसंगत अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं;
- (13) “रसायन टैंकर”, से अन्तरराष्ट्रीय बल्क कैमिकल कोड के अध्याय 17 में सूचीबद्ध द्रव उत्पाद को बल्क में ले जाने के लिए निर्मित या अंगीकृत और प्रयुक्त पोत अभिप्रेत है;
- (14) “मुख्य इंजीनियर अधिकारी”, से ऐसा ज्येष्ठ इंजीनियर अधिकारी अभिप्रेत है जो पोत के मकैनिकल नोदन और प्रचालन तथा मकैनिकल, इलेक्ट्रिकल और सहबद्ध संस्थापनों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हो;
- (15) “मुख्य परीक्षक”, से मास्टर और डेक विभाग कार्मिक के लिए यथा स्थिति नौ (नॉटिकल ) सलाहकार, भारत सरकार और इंजन विभाग कार्मिक के लिए मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (16) “मुख्य मेट”, ऐसा अधिकारी से अभिप्रेत है जो कि मास्टर के अगले रैंक का हो और जिस पर मास्टर के अक्षम होने की स्थिति में पोत की कमान का भार आएगा;
- (17) “कंपनी”, से पोत के स्वामी या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जैसे कि प्रबंधक या बेयरबोट चार्टरकर्ता, जिसने स्वामी से पोत के प्रचालन के लिए उत्तरदायित्व लिया है, और जो इस उत्तरदायित्व को लेने के पश्चात एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों के द्वारा कंपनी पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों(ड्यूटी) और उत्तरदायित्व को लेने के लिए सहमत है;
- (18) “डेक अधिकारी”, से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कि अध्याय 2 के उपबन्ध के अनुसरण में अर्हित है;

- (19) "दस्तावेजी साक्ष्य" से सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र से भिन्न ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अभिप्रेत है, जो इस बात को स्थापित करने के लिए प्रयोग हो कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों की सुसंगत अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;
- (20) "इलेक्ट्रो-तकनीकी अधिकारी", से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो नियम 48 के उपबन्धों के अनुसरण में अर्हित है;
- (21) "इलेक्ट्रो-तकनीकी रेटिंग", से वह रेटिंग से अभिप्रेत है जो नियम 49 के उपबन्धों के अनुसरण में अर्हित है;
- (22) "इंजीनियर अधिकारी", से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो अध्याय 03 के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में अर्हित है;
- (23) "परीक्षक", से अधिनियम की धारा 79 के अधीन नियुक्त यथा स्थिति, प्रधान अधिकारी नॉटिकल, उप नौ (नॉटिकल) सलाहकार, नौ (नॉटिकल) सर्वेक्षक या प्रधान अधिकारी इंजीनियरी, उप मुख्य सर्वेक्षक, इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक, रेडियो सर्वेक्षक, अभिप्रेत है;
- (24) "प्ररूप", से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (25) "कृत्य", से एसटीसीडब्ल्यू संहिता में यथा विनिर्दिष्ट पोत प्रचालन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण की रक्षा या संरक्षण के लिए आवश्यक कृत्य के समूह, कर्तव्यों(ड्यूटी) और उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;
- (26) "वैश्विक समुद्रीय विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली रेडियो प्रचालक", से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अध्याय 4 के उपबन्धों के अनुसरण में अर्हित है;
- (27) "आईएसएम संहिता", से पोतों के सुरक्षित प्रचालन और प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता अभिप्रेत है;
- (28) "आईएसपीएस संहिता", से अन्तरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता अभिप्रेत है;
- (29) "द्रवीकृत गैस टैंकर", से अन्तरराष्ट्रीय गैस वाहक संहिता के अध्याय 19 में सूचीबद्ध किसी द्रवीकृत गैस या अन्य उत्पाद को बल्क में ले जाने के लिए निर्मित या अंगीकृत और प्रयोग किया जा रहा पोत अभिप्रेत है;
- (30) "मास्टर", से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पोत की विधिपूर्ण कमान है;
- (31) "मास", से वह कैलेंडर मास या तीस दिन अभिप्रेत है जिसमें एक मास से कम की अवधियां हों;
- (32) "तट समीपीय जल यात्राएं", से ऐसी जल यात्रा अभिप्रेत है जो संबंधित पक्ष द्वारा यथा परिभाषित पक्ष के समीप हो;
- (33) तट-समीपीय जल यात्राएं – भारत (एनसीवी) तटवर्ती व्यापार की वे जल यात्राएं हैं जो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्री लंका और अन्य किसी देश के समीप हों जिनके साथ भारत द्वारा अन्य किसी पत्तन या उपरोक्त देशों के किसी स्थान पर परिवचन पर हस्ताक्षर किए गए हों;
- (34) "अधिकारी", से मास्टर से भिन्न कर्मीदल के ऐसे सदस्य अभिप्रेत है जो उस रूप में नामनिर्दिष्ट हो;
- (35) "तेल टैंकर", से बल्क में पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम उत्पादों को ढोने के लिए निर्मित और प्रयोग किया जा रहा पोत अभिप्रेत है;
- (36) "पक्ष", से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके लिए एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय प्रवृत्त है;
- (37) "यात्री पोत", से समुद्र में जीवन रक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 में यथा परिभाषित यात्री पोत अभिप्रेत है;
- (38) "नोदन शक्ति", से पोत की मुख्य नोदन मशीनरी से किलोवाट में कुल अधिकतम निरंतर रेटेड निर्गत शक्ति अभिप्रेत है जो कि पोत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर उपसंजात है;
- (39) "रेडियो कर्तव्यों(ड्यूटी)", में भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और समुद्र में जीवन रक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 के अधीन रेडियो विनियमों के अनुसरण में यथोचित रूप में निगरानी और तकनीकी अनुरक्षण तथा की गई मरम्मतें सम्मिलित हैं;
- (40) "रेडियो प्रचालक", से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो रेडियो विनियमों के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए समुचित प्रमाणपत्र का धारक है या मान्यता प्राप्त है;
- (41) "रेटिंग", से मास्टर या अधिकारी से भिन्न पोत के कर्मीदल का सदस्य अभिप्रेत है;

- (42) “विनियमों”, से ऐसे विनियम अभिप्रेत हैं जो एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय में अंतर्विष्ट हैं;
- (43) “रो-रो यात्री पोत”, से ऐसे यात्री पोत अभिप्रेत हैं जिसमें समुद्र में जीवन रक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 में यथा परिभाषित रो-रो स्थान या विशेष श्रेणी के स्थान हैं;
- (44) “द्वितीय इंजीनियर अधिकारी”, से ऐसा इंजीनियर अधिकारी अभिप्रेत है जो मुख्य इंजीनियर अधिकारी के अगले रैंक का है और जिस पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी के अक्षम होने की दशा में पोत के मैकेनिकल नोदन और प्रचालन और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा सहबद्ध संस्थापनों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व होगा;
- (45) “सुरक्षा कर्तव्यों (ड्यूटी)”, में पोत पर ऐसी सभी सुरक्षा कृतिक और कर्तव्यों (ड्यूटी) सम्मिलित हैं जो समुद्र में जीवन रक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 के अध्याय 11-2 और अन्तरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा के सुरक्षा संहिता के अधीन यथा परिभाषित हैं;
- (46) “पोत सुरक्षा अधिकारी”, से पोत पर ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मास्टर के प्रति जिम्मेवार है और पोत की सुरक्षा के लिए जिसके अंतर्गत पोत सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन और अनुरक्षण और कंपनी के सुरक्षा अधिकारी के साथ और पत्तन सुविधा सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क रखना भी है के लिए उत्तरदायी होने के लिए कंपनी द्वारा नामनिर्दिष्ट है;
- (47) “पोतस्थ प्रशिक्षण के लिए संरचित प्रोग्राम से यह सुनिश्चित किया जाना अभिप्रेत है कि कंपनी द्वारा अनुमोदित समुद्री सेवा की क्वालिटी योजनाबद्ध है और मॉनीटर है तथा मास्टर द्वारा पर्यवेक्षित है और जिसे संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित कर लिया गया है;
- (48) “एसटीसीडब्ल्यू संहिता”, से समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) का प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संहिता, 1995 अभिप्रेत है;
- (49) “एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय”, से समय-समय पर यथा संशोधित समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानकों पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1978 अभिप्रेत है;
- (50) “वर्ष”, से कैलेंडर वर्ष अभिप्रेत है;
- (51) इन नियमों में जो शब्द और पद प्रयोग किए गए हैं और वे परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनका क्रमशः वही अर्थ होगा,

**5. प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन – (1)** निम्नलिखित श्रेणी के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, अर्थात:-

- (क) विदेश गामी पोत द्वितीय मेट;
- (ख) विदेश गामी पोत का प्रथम मेट;
- (ग) विदेश गामी पोत का मास्टर;
- (घ) एक्स्ट्रा मास्टर;
- (ङ) नौचालन निगरानी अधिकारी;
- (च) विदेशी व्यापार का मेट;
- (छ) विदेशी व्यापार पोत का मास्टर;
- (ज) समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4;
- (झ) समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3;
- (ञ) समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2;
- (त) समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1; (एल) एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर;
- (थ) तट समीपीय समुद्रीय यात्राओं में प्रचालित 500 और 6,000 सकल टनभार के बीच के पोत का मुख्य मेट;
- (द) तट समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6,000 सकल टनभार के बीच के पोत का मास्टर;
- (ध) तट समीपीय जल यात्राओं में लगे हुये 500 सकल टनभार से कम वाले पोत की नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी;

- (न) तट-समीपीय जल यात्राओं में लगे हुये 500 या उससे कम सकल टनभार के पोत का मास्टर;
- (प) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1- तट-समीपीय जल यात्रा (3000 और 8000 किलोवाट के बीच);
- (फ) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2- तट-समीपीय जल यात्रा (3000 और 8000 किलोवाट के बीच);
- (ब) इलेक्ट्रो तकनीकी अधिकारी; और
- (भ) वैश्विक समुद्री विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली रेडियो प्रचालक
- (2) निम्नलिखित को प्रवीणता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, अर्थातः :-
- (क) नौचालन निगरानी का भाग बनने वाली रेटिंग;
- (ख) योग्य समुद्रकर्म (सीफियरर) डेक;
- (ग) इंजन कक्ष निगरानी का भाग बनने वाली रेटिंग;
- (घ) योग्य इंजन समुद्रकर्म (सीफियरर);
- (ङ) इलेक्ट्रो तकनीकी रेटिंग;
- (च) तेल के लिए आधारभूत प्रशिक्षण, या यथा स्थिति, रसायन टैंकर स्थोरा का प्रचालन;
- (छ) तेल टैंकर के प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण;
- (ज) रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण;
- (झ) द्रवीकृत गैस टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण;
- (ञ) द्रवीकृत गैस टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण;
- (त) भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण;
- (थ) यात्री स्थानों में यात्रियों को प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कार्मिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण;
- (द) आपदा प्रबंधन और मानव व्यवहार प्रशिक्षण;
- (ध) यात्री सुरक्षा, स्थोरा सुरक्षा और पेटा पर सुव्यवस्था का प्रशिक्षण;
- (न) वैयक्तिक रूप से जीवन बचाने की तकनीकें;
- (प) अग्नि रोकथाम और अग्नि शमन;
- (फ) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा;
- (ब) वैयक्तिक सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व;
- (भ) जीवन रक्षक क्राफ्ट (जलयान) और तीव्र बचाव नौकाओं से भिन्न बचाव नौकाओं में प्रवीणता;
- (म) तीव्र बचाव नौकाओं में प्रवीणता;
- (य) उन्नत अग्नि शमन;
- (र) चिकित्सीय प्रथमोपचार;
- (ल) चिकित्सीय देखभाल;
- (व) सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण;
- (स) नामनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (ज्यूटी) वाले समुद्रकर्म (सीफियरर); और
- (द) पोत सुरक्षा अधिकारी।
- (3) अधिप्रामाणिकता और प्रत्येक आवश्यक दस्तवेजी साक्ष्य की विधिमान्यता के सत्यापन के पश्चात, भारत सरकार की ओर से संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा ही सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

- (4) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम V/1-1 और V/1-2 के अनुसरण में भारत सरकार की ओर से ही परीक्षक द्वारा मास्टर्स और अधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
- (5) रेडियो प्रचालकों के संबंध में, मुख्य परीक्षक या संबंधित परीक्षक पृथक्ता: एक सक्षमता प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे जिसमें यह विनिर्दिष्ट होगा कि संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समुचित प्रमाणपत्र का धारक अभ्यर्थी अध्याय 1, अध्याय 4 और अध्याय 6 के लागू नियमों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त ज्ञान रखता है।
- (6) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के पैरा 6 द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने का अनुप्रमाणन के लिए अपेक्षित पृष्ठांकन तभी जारी किया जाएगा जब एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय की समस्त अपेक्षाओं की अनुपालन कर लिया गया हो।
- (7) एसटीसीडब्ल्यू संहिता, के पैरा 1, खंड ए- I /2 में यथाउपबन्धित जारी किए जा रहे प्रमाणपत्रों के पृष्ठांकन रूपविधान में सम्मिलित किए जा सकेंगे और यदि उसे पृथक जारी किया गया हो तो पृष्ठांकन का प्ररूप उक्त खंड के पैरा 2 में यथाउपबन्धित के अनुसार होगा।
- (8) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय विनियम I/10 के अधीन मान्यता देने के लिए निम्न के लिए पृष्ठांकन होंगे,--
- (क) सक्षमता प्रमाणपत्र, या
- (ख) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय विनियम V /1-1 और V /1-2 के उपबन्धों के अनुसरण में मास्टर्स और अधिकारियों को जारी किया गया प्रवीणता प्रमाणपत्र,

प्रमाणपत्र की अधिप्रामाणिकता को सुनिश्चित करने और उसकी विधिमान्यता को सुनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात् ही मान्यता के लिए अनुप्रमाणन किया जाएगा।

- (9) उप-नियम (8) में निर्दिष्ट पृष्ठांकन जारी किया जाएगा, यदि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया हो और पृष्ठांकन इन नियमों के साथ लगे प्ररूप 32 और प्ररूप 33 में बनाया गया है।
- (10) उप नियम (8) और उपनियम (9) में निर्दिष्ट पृष्ठांकन निम्न होंगे,--
- (क) पृथक दस्तावेजों में जारी होंगे;
- (ख) केवल परीक्षक के द्वारा जारी होंगे;
- (ग) उसे एक अनन्य संख्यांक दिया जायेगा; और
- (घ) पृष्ठांकित प्रमाणपत्र के समाप्त हो जाने, या जारी करने वाले पक्ष द्वारा उसे वापस ले लिए जाने, निलंबित या निरस्त किए जाने पर यह समाप्त हो जाएगा।
- (11) पृष्ठांकन का धारक जिस क्षमता में सेवा करने के लिए प्राधिकृत है प्रमाणपत्र की मान्यता के लिए उसकी पहचान पृष्ठांकन के उन समरूप निबन्धन के प्ररूप में होगी जो कि सुरक्षित मानव-संयोजन को लागू दस्तावेजों में प्रयोग की जाती है।
- (12) नियम 13 के उप नियम (5) के पैरा 5 में उल्लिखित विनियम I/10 के उपबन्धों के अधीन, इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से अपने मूल रूप में उस पोत पर उपलब्ध रखा जाएगा जिस पर धारक सेवारत है।
- (13) संबंधित मुख्य परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणपत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किए गए हैं जो कि इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
- (14) संबंधित मुख्य परीक्षक, सक्षमता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के माध्यम से उसके धारक को निबंधित कर सकता है, सीमित कर सकता है या फिर उसे समर्थ कर सकता है जिससे कि वह उस क्षमता में सेवा कर सके और उसमें विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व के स्तर पर अर्तवलिप्त कृत्यों का निर्वहन कर सके।
- (15) अभ्यर्थी प्रमाणन के लिए निम्न सबूत की व्यवस्था करेंगे :-
- (क) अपनी पहचान का;
- (ख) अपनी आयु का;
- (ग) इस बात का कि वे वाणिज्य पोत (चिकित्सा परीक्षा) नियम, 2000 में यथाविनिर्दिष्ट रूप से चिकित्सक दृष्टया योग्यता के मानकों को पूरा करते हैं;

- (घ) यह कि उन्होंने अनुमोदित समुद्र गामी सेवा पूरी कर ली है और आवेदन किए गए प्रमाणपत्र के लिए इन नियमों द्वारा अपेक्षित संबंधित अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया है; और
- (ड) यह कि प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन में पहचानी गई क्षमताओं, कृत्यों और स्तरों के लिए इन नियमों द्वारा विहित सक्षमता के मानकों को वे पूरा करते हैं।
- (16) संबंधित मुख्य परीक्षक मास्टरों, अधिकारियों और यथा लागू रेटिंग के लिए, सभी जारी किए गए, समाप्त हो चुके या पुनर्विधिमान्यकरण किए गए, निलंबित, निरस्त किए गए या जिनके बारे में खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना मिली है या जिनके लिए अभिमुक्ति जारी की गई है उन प्रमाणपत्रों और पृष्ठांकनों का रजिस्टर या रजिस्ट्रों को रखेगा।
- (17) संबंधित मुख्य परीक्षक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के ऐसे अन्य पक्षकारों और कंपनियों को उन सक्षमता प्रमाणपत्रों, पृष्ठांकनों और अभिमुक्तियों की हैसियत की सूचना उपलब्ध कराएगी जो एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/10 की अधीन मान्यता या पोत पर नियोजन चाहने वाले समुद्रमूर्ति(सीफेयरर) द्वारा उनको प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्रों की अधिप्रमाणिकता और विधिमान्यता के सत्यापन का अनुरोध करते हैं।
- (18) उप-नियम (17) में निर्दिष्ट सूचना को 1 जनवरी, 2017 तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करा दी जाएगी।
- 6. तट-समीपीय जल यात्राओं को शासित करने वाले सिद्धांत –** (1) नौवहन महानिदेशक ऐसे समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, अनुभव या प्रमाणन की अपेक्षाएं अधिरोपित नहीं करेगा जो कि ऐसे पोतों पर सेवारत हैं और एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अन्य पक्ष के ध्वज को फहराने के लिए हकदार हैं और जो तट-समीपीय जल यात्राओं में ऐसी रीति से लगे हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसे समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) से भारतीय ध्वज वाले पोतों पर सेवारत समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) की अपेक्षा कहीं अधिक कड़ी अपेक्षाएं हों;
- (2) नौवहन महानिदेशक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के तट-समीपीय जल यात्रा के उपबन्ध का लाभ जिन पोतों को प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत उनके तट-समीपीय जल यात्राओं की सीमाओं के भीतर अन्य पक्षों के तट से परे की यात्राएं सम्मिलित हैं, वे संबंधित पक्षों के साथ व्यापार करने वाले अंतर्ग्रस्त क्षेत्रों और उनके अन्य सुसंगत विवरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक परिवचन में प्रविष्ट होंगे।
- (3) नौवहन महानिदेशक अन्य पक्ष की अपतटीय तट-समीपीय जल यात्राओं पर नियमित रूप से लगे भारतीय ध्वज पोतों पर सेवारत समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, अनुभव और प्रमाणन की अपेक्षाओं को विहित करेगा, जो कम से कम उस पक्ष के बराबर की होंगी, जिसके तट से परे वे पोत लगे हुये हैं, परन्तु तट-समीपीय जल यात्राओं पर जो लगे हुये नहीं हैं उन पोतों के संबंध में अभिसमय की अपेक्षाओं से ये अधिक न हों, ऐसे पोत पर लगे हुये समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) जो अपनी जल यात्रा को तट-समीपीय जल यात्रा के रूप में परिभाषित से परे जाकर बढ़ा लेता है और ऐसे समुद्र में प्रवेश करता है जो कि इस परिभाषा से अच्छादित नहीं है वह एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों की समुचित सक्षमता अपेक्षाओं को पूरा करेगा।
- (4) नौवहन महानिदेशक अपक्ष तट से परे तट-समीपीय जल यात्राओं में नियमित रूप से लगे हुये ऐसे पोत को एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के तट-समीपीय जल यात्रा के उपबन्धों का लाभ दे सकेगा जो कि भारतीय ध्वज को फहराने का हकदार हो, परन्तु वे संबंधित देश के साथ व्यापार करने वाले अंतर्ग्रस्त क्षेत्रों और उनके अन्य सुसंगत विवरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक परिवचन में प्रविष्ट होंगे।
- (5) संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा जारी किए गए समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के प्रमाणपत्र उसकी परिभाषित तट-समीपीय जल यात्राओं के लिए अन्य पक्षों द्वारा उनकी परिभाषित तट-समीपीय जल यात्राओं की सीमाओं के लिए स्वीकार किये जा सकते हैं, परन्तु यह कि संबंधित पक्षों ने अंतर्ग्रस्त क्षेत्रों और उनके अन्य सुसंगत विवरणों को विनिर्दिष्ट करते हुये एक परिवचन में प्रविष्ट हुये हो जिसमें सम्मिलित व्यापारिक क्षेत्र तथा उसकी अन्य संगत शर्तों के विवरण विनिर्दिष्ट किया हों।
- (6) तट-समीपीय जल यात्राओं को परिभाषित करते समय नौवहन महानिदेशक निम्न देखेंगे कि,-
- (क) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1 /3 में यथा विनिर्दिष्ट तट-समीपीय जल यात्राओं को शासित करने वाले सिद्धांतों को पूरा किया जाए;

- (ख) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I /7 की अपेक्षाओं के अनुरूप अंगीकृत उपबन्धों के विवरण अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के महासचिव दिया जाना; और
- (ग) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2 के पैरा 5, पैरा 6, पैरा 7 के अनुसरण में जारी किए गए प्रमाणपत्रों या पृष्ठांकनों में तट-समीपीय जल यात्राओं की सीमाओं को सम्मिलित करना।
- 7. नियंत्रण प्रक्रियाएं,--** (1) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के पैरा 10 के सम्यक रूप से प्राधिकृत सर्वेक्षक द्वारा नियंत्रण किया रखा जाएगा जो कि निम्नलिखित तक सीमित होगा, अर्थात्:
- (क) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुसरण में पोत पर सेवारत सभी समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) जिनको प्रमाणित होना अपेक्षित है उन्हें समुचित प्रमाणपत्र या विधिमान्य अभिमुक्ति रखना होगा या वे इस बात का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि उसने नियम 13 के उप नियम (5) के अनुसरण में प्रशासन को पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है;
- (ख) पोत पर सेवारत समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) की संख्या और प्रमाणपत्रों सुरक्षित जन संयोजन के लिए लागू दस्तावेज की पुष्टि में है; और
- (ग) निम्नलिखित में से किसी बात के घटित होने के कारण यदि यह विश्वास करने के स्पष्ट आधार हैं कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय द्वारा यथा अपेक्षित मानकों को नहीं बनाए रखा जा रहा है तो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/4 के अनुसरण में समुचित रूप से निगरानी और सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने की समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) की योग्यता का निर्धारण किया जाएगा:
- पोत की टक्कर हो गई हो, जमीन में धंस गया हो, या किसी बंद जगह में फंस गया हो, या
  - यात्रा के दौरान, लंगर में या शायिका पर पोत से किसी पदार्थ का निस्सारण हो रहा हो जो किसी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की अधीन अवैध हों, या
  - पोत को अनियत या असुरक्षित रीति से चलाया गया हो जिसमें अन्तराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन या सुरक्षित नौचालन व्यवहार और प्रक्रियाओं पालन नहीं किया गया हो, या
  - पोत को अन्यथा ऐसी रीति से प्रचालित हो जिससे कि व्यक्ति, माल, पर्यावरण को संकट हो या सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा हो;
- (2) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I /4 के पैरा 2 में निर्दिष्ट उन कमियों में से किसी को ठीक कर पाने में असफल रहना, जहां तक उसे नियंत्रण का पालन करने के लिए उसे सम्यक रूप से प्राधिकृत सर्वेक्षक द्वारा अवधारित किया गया हो कि जिसके कारण व्यक्ति, माल या पर्यावरण को संकट है, तो एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुच्छेद 10 के अधीन पोत को रोके जाने के लिए यह एक आधार होगा।
- 8. घटनाओं का अन्वेषण और विधि विरुद्ध व्यवहारों की रोकथाम,--** नौवहन महानिदेशक को प्रमाण पत्र धारकों या संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा जारी किए गए पृष्ठांकनों के धारकों के अपने प्रमाणपत्रों से संबंधित ऐसे कर्तव्यों(ड्यूटी) को निष्पादित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट की गई प्रत्येक असक्षमता, कार्य, लोप या सुरक्षा के साथ समझौता किए जाने, जिसके कारण समुद्र में जीवन या माल को खतरा हो या समुद्री पर्यावरण को प्रत्यक्ष अशंका हो तो और जिसके कारण ऐसे प्रमाणपत्रों को वापस लिए जाने, निलंबित किए जाने, उसे निरस्त किए जाने और कपट को रोके जाने के लिए यथा लागू वाणिज्य पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र को निरस्त या निलंबित किया जाना) नियम, 2003 के अधीन यथा लागू होने वाले उपबन्धों के अनुसार निष्पक्ष अन्वेषण किए जाने के लिए आदेशिका और प्रक्रिया स्थापित करेगा।
- (2) नौवहन महानिदेशक इन नियमों के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में उपाय करेगा जिससे प्रमाणपत्रों और पृष्ठांकनों को जारी किए जाने के संबंध में कपट और अन्य विधि विरुद्ध कार्यों को रोका जा सके।
- 9. प्रशिक्षण और निर्धारण केन्द्र--** (1) नौवहन महानिदेशक निर्धारण केन्द्रों को अभिहित करेगा जो निम्न करेंगे –
- (क) अभ्यर्थियों को उनकी समुद्र-गामी सेवा के संबंध में, तटवर्ती और पोतस्थ प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों जिनमें भाग लिया गया हो, परीक्षाएं और मूल्यांकन जो पूरे किये गये हों और समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) द्वारा धारित प्रमाणपत्रों का निर्धारण करेगा और अभिलेखों को रखेगा;

- (ख) दस्तवेजी साक्ष्य से यह परीक्षण करेगा कि क्या अभ्यर्थी ने अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा कर लिया है; और
- (ग) यथास्थिति संबंधित मुख्य परीक्षक या परीक्षक को ऑनलाइन, लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षाओं और प्रत्येक कृत्य के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण प्रोग्राम को पूरा करने में सहायता करेगा।
- (2) संबंधित मुख्य परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि,—
- (क) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अधीन यथापेक्षित और इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) का प्रशिक्षण और निर्धारण जिसके अंतर्गत ई-शिक्षण और दूरस्थ शिक्षण भी है को एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/6 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रशासित पर्यवेक्षित और मानीटर किया जाए, और
- (ख) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन यथापेक्षित समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनका निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति समुचित रूप से प्रशिक्षण के किस्म और स्तर या अंतर्ग्रस्त निर्धारण के लिए एसटीसीडब्ल्यू के खंड ए-1/6 के उपबन्धों के अनुसरण में समुचित रूप से अर्हित हों।
- (3) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि,—
- (क) सभी संरचित पोतस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बना ली गई है और एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों द्वारा लागू यथा विनिर्दिष्ट सक्षम के मानकों के पूरा होना मानीटर किया गया है; और
- (ख) समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) को एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के स्तरों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शित किया गया है।
- 10. सूचना दिया जाना,—** अनुच्छेद IV द्वारा यथापेक्षित दी जाने वाली सूचना के अतिरिक्त, नौवहन महानिदेशक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय को पूरा और संपूर्ण रूप से प्रभाव देने के लिए, उठाए गए अन्य कदमों पर एसटीसीडब्ल्यू संहिता द्वारा अपेक्षित हो सकने वाली ऐसी अन्य जानकारी को एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/7 में यथा विनिर्दिष्ट समयावधियों के भीतर और विनिर्दिष्ट रूपविधान में अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के महासचिव को उपलब्ध करवाएगा।
- 11. क्वालिटी मानक,—** (1) नौवहन महानिदेशक एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/8 के अनुसरण में यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदेशकों और निर्धारणकर्ताओं की सक्षमता प्रमाणन के सभी प्रशिक्षण और निर्धारण जिसके अंतर्गत अपने प्राधिकार अधीन चिकित्सीय प्रमाणन, पृष्ठांकन, पुनर्विधिमान्यकरण और क्रियाकलापों के अभिलेख रखना भी है को परिभाषित उद्देश्यों जिसके अंतर्गत अनुदेशकों और निर्धारणकर्ताओं की अर्हताओं और अनुभव भी है को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए उनका एक क्वालिटी मानक पद्धति से निरन्तर मॉनीटर किया जा रहा है।
- (2) नौवहन महानिदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि जो स्वयं उन क्रियाकलापों में अंतर्ग्रस्त नहीं हैं ऐसे अर्हित व्यक्तियों द्वारा एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/8 के उपबन्धों के अनुसरण में आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है।
- (3) नियम 8 के उप-नियम (7) निर्दिष्ट मूल्यांकन के अंतर्गत एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और एसटीसीडब्ल्यू संहिता के संशोधनों के अनुरूप राष्ट्रीय विनियमों और प्रक्रियाओं में किये गये परिवर्तन सम्मिलित होंगे जहां कि उनके प्रवृत्त होने की तारीख अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के महासचिव को दी गई जानकारी को संसूचित किये जाने की तारीख के पश्चात् हो
- (4) नौवहन महानिदेशक पांच वर्ष में एक बार एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/7 में विनिर्दिष्ट रूपविधान के अनुसरण में अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट को संसूचित करेगा।
- 12. चिकित्सीय मानक—**समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) के लिए चिकित्सक दृष्टया योग्यता के मानक और चिकित्सा प्रमाणपत्रों को जारी किया जाना वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सा परीक्षा) नियम, 2000 के उपबन्धों के अनुसरण में होगा और अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखा जाएगा।
- (2) चिकित्सा प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगे, परन्तु यह कि यदि समुद्रकर्मी(सीफेयरर) की आयु 18 वर्ष से कम हो, तो विधिमान्यता की अधिकतम अवधि एक वर्ष की होगी।

- (3) यदि चिकित्सा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि जल यात्रा के दौरान समाप्त होती है तो चिकित्सीय प्रमाणपत्र तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि ऐसा अगला पत्तन नहीं आ जाता, जहां कि नौवहन महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध हो, तथापि, ऐसी अवधि तीन मास से अनधिक की होगी।
- (4) अत्यावश्यक मामलों में नौवहन महानिदेशक समुद्रकर्मी(सीफेयरर) को यह अनुमति दे सकता है कि वह उस आगामी पत्तन तक विधिमान्य चिकित्सीय प्रमाणपत्र के बिना कार्य करे जहां कि संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त उप-नियम (3) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध हो, परन्तु यह कि:
- (क) ऐसी अनुमति की अवधि तीन मास से अनधिक हो; और
- (ख) संबंधित समुद्रकर्मी (सीफेयरर) के पास हाल की तारीख का समाप्त हो चुका चिकित्सा प्रमाणपत्र हो।
- 13. प्रमाणपत्रों की मान्यता** – (1) संबंधित मुख्य परीक्षक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2 के पैरा 7 के अनुसरण में, अपने द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र द्वारा या अन्य पक्ष के मास्टर, अधिकारी या रेडियो प्रचालक के प्राधिकार के अधीन या उसके द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों को पृष्ठांकन द्वारा मान्यता प्रदान कर सकता है और यह कि,--
- (क) नौवहन महानिदेशक उस पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से जिसके अंतर्गत सुविधाओं निरीक्षण और प्रक्रियाएं भी हैं, यह पुष्ट करेगा कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय की सक्षमता, प्रशिक्षण के मानकों और प्रमाणन तथा क्वालिटी मानकों को पूरी तरह पालन किया गया है; और
- (ख) संबंधित पक्ष से एक परिवचन पर सहमति होगी कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुपालन में प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए व्यवस्थाओं में प्रत्येक बड़े परिवर्तन के बारे में तत्परता से अधिसूचित किया जाएगा।
- (2) एसटीसीडब्ल्यू संहिता में यथापरिभाषित विनियम II/2, III/2, III/3 के उपबन्धों के अधीन या प्रबंधन स्तर पर विनियम VII/1 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों की मान्यता के लिए उपस्थित अभ्यर्थी एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे जिससे उन्हें जो कृत्य करने की अनुमति है उससे सुसंगत भारतीय समुद्रीय विधान का समुचित ज्ञान प्राप्त हो सके।
- (3) उपलब्ध जानकारी और इस नियम के अधीन जिन उपायों पर सहमति हुई है नौवहन महानिदेशक द्वारा उन्हें एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/7 की अपेक्षाओं के अनुरूप अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के महासचिव को संसूचित किया जायेगा।
- (4) अपक्ष के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं दी जायेगी।
- (5) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2 के पैरा 7 की अपेक्षाओं में किसी भी बात के रहते हुए यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करती हैं तो संबंधित मुख्य परीक्षक इस नियम के उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन ऐसे समुद्रकर्मी (सीफेयरर) को भारतीय ध्वज फहराने के हकदार पोत पर ऐसी अवधि के लिए सेवा करने की अनुमति दे सकता है जो कि तीन मास से अनधिक हो, जो उस दौरान उस पक्ष के पोत के प्रयोग के लिए अन्य पक्ष द्वारा यथा अपेक्षित जारी किया गया समुचित और विधिमान्य प्रमाणपत्र हो और जिसका ऐसे पृष्ठांकन न किया गया जिससे कि उसे भारतीय ध्वज फहराने के हकदार पोतों पर सेवा के लिए समुचित माना जाए, परन्तु यह कि इस बात का आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य अपेक्षित होगा कि उसने संबंधित मुख्य परीक्षक को पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- (6) किसी अन्य पक्ष द्वारा मान्यता प्रदान करने, मान्यता का प्रमाणन करने के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/10 के उपबन्धों के अधीन किसी पक्ष द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा प्रमाणपत्र को मान्यता दिए जाने का आधार नहीं बनेंगे।
- 14. प्रमाणपत्रों का उन्मूलन और पुनर्विधिमान्यकरण** – (1) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अध्याय 4 से भिन्न किसी भी अध्याय के अधीन जारी किए गए या मान्यता प्रदान किये गये प्रमाणपत्र का प्रत्येक ऐसा धारक मास्टर, अधिकारी और रेडियो प्रचालक जो कि समुद्र में सेवा करता हो या जिसे तटवधि के पश्चात् समुद्र में वापस आना हो, उससे समुद्र गामी सेवा की अर्हता की निरंतरता को निम्न के लिए ऐसे अंतराल पर बनाए रखना अपेक्षित होगा जो पांच वर्ष से अधिक के न हों,
- (क) जो इन नियमों द्वारा यथा विहित चिकित्सक दृष्टया योग्यता के मानकों को पूरा करता है, और

- (ख) जिससे एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/11 के अनुसरण में वृत्तिक सक्षमता निरंतर स्थापित हो;
- (ग) जिससे नौवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन हो।
- (2) प्रत्येक मास्टर, अधिकारी और रेडियो प्रचालक पोतों पर निरंतर समुद्रगामी सेवा जिसके लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रशिक्षणों के लिए सहमत हुआ गया है और जिसे नौवहन महानिदेशक द्वारा यथा विहित किया जाये अनुमोदित सुसंगत प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करेगा।
- (3) प्रत्येक मास्टर और अधिकारी टैंकरों पर निरंतर समुद्रगामी सेवा के लिए उप नियम (1) में यथा उपबन्धित अपेक्षाओं को पूरा करता हो और उसमें पांच साल से अनधिक का अंतराल हो जिससे एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/11 के पैरा 3 के अनुसरण में टैंकरों के लिए निरंतर वृत्तिक सक्षमता स्थापित रहे।
- (4) मास्टरों, अधिकारियों और रेडियो प्रचालकों के ज्ञान का अद्यतन करने के प्रयोजन से कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि समुद्र में जीवन रक्षा, सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विनियमों में परिवर्तनों किये गये हाल के नये पाठ पोतों को उपलब्ध करा दिए गए हैं;
- (5) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अधीन जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों के उन्नयन के प्रयोजन के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम निम्न होंगे :-
- (क) संबंधित मुख्य परीक्षक 1 जनवरी, 2017 से पहले जारी किए प्रमाणपत्र के धारकों के लिए इस अपेक्षा की आवश्यकता को अवधारित करेगा कि वह समुचित पुनश्चर्या और अद्यतन प्रशिक्षण प्राप्त करें या निर्धारण पूरा करें और एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/11 के अधीन यथा उपबन्धित पुनश्चर्या और अद्यतन पाठ्यक्रमों की संरचना निश्चित करेगा;
- (ख) ऐसा प्रत्येक समुद्रकर्मी (सीफेयरर) जिसके पास प्रमाणपत्र है वह उसके पुनर्विधिमान्यकरण और उन्नयन के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसा अभ्यर्थी :-
- इन नियमों में यथा विहित चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता के मानकों को पूरा करेगा;
  - अनुमोदित पुनश्चर्या और अद्यतन पाठ्यक्रम को पूरा करेगा,
- (ग) जो निर्धारणकेन्द्र द्वारा सेवा का निर्धारणया प्रशिक्षण या दोनों के किय जाने के अध्याधीन होगा; और
- (घ) जो एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय की अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन रखते हैं।
- 15. सिम्यूलेटरों का प्रयोग—**(1) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के खंड ए-1/12 में दिए गए निष्पादन के मानकों और अन्य उपबन्धों और प्रत्येक संबंधित प्रमाणपत्र के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के भाग ए में यथा उपबन्धित ऐसी अन्य अपेक्षाओं की दृष्टि से उसका पालन किया जाएगा,—
- (क) सभी सिम्यूलेटर आधारित अज्ञापक प्रशिक्षण;
- (ख) सक्षमता का कोई निर्धारण जो कि सिम्यूलेटर के साधनों से किया जाता हो; और
- (ग) सिम्यूलेटर के साधनों से कोई प्रदर्शन, या निरंतर प्रवीणता।
- 16. परीक्षणों को संचालन –** इन नियमों के प्रयोजन के लिए, परीक्षण शब्द का अर्थ उस प्रयोग या प्रयोगों की श्रृंखला से है जो कि एक सीमित अवधि में संचालित की जाए जिसमें स्वचालित या एकीकृत प्रणालियों का प्रयोग सम्मिलित हो जिससे विनिर्दिष्ट कर्तव्यों को निष्पादित करने के वैकल्पिक रीतियों का मूल्यांकन किया जा सके या एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय यथा उपबन्धित विशेष ठहराओं अनुरूप हो, जिससे कम से कम ऐसे समान स्तर की सुरक्षा, रक्षा और पर्यावरण संरक्षण मिलता हो जो इन नियमों के अधीन विहित है।
- (2) नौवहन महानिदेशक कि परीक्षण में भाग लेने के लिए और एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के उपबन्धों के अनुपालन में परीक्षण का संचालन करने के लिए और परीक्षण में भाग लेने के लिए पोतों को प्राधिकृत करेगा।
- 17. कंपनियों के दायित्व –** (1) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में अपने पोतों में सेवा के लिए समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) को समानुदेशित किए जाने के लिए कंपनियां उत्तदायी होंगी और ऐसी प्रत्येक कंपनी से यह अपेक्षा होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि,—

- (क) एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के और इन नियमों द्वारा यथास्थापित उपबन्धों के अनुसरण में धारण करने वाले अपने पोत के लिए प्रत्येक समानुदेशित समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) समुचित प्रमाणपत्र रखेंगे;
- (ख) अपने पोतों पर मानव-संयोजन के लिए लागू सुरक्षित जन संयोजन अपेक्षाओं के अनुपालन में हों;
- (ग) अपने किसी पोत पर समानुदेशित समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) ने एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय इन नियमों द्वारा यथापेक्षित पुनश्चर्या और अद्यतन प्रशिक्षण प्राप्त किया है;
- (घ) अपने पोतों पर नियोजित सभी समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) को सौंपे गये कर्तव्यों (ड्यूटी) से सुसंगत प्रलेखीकरण और डाटा को जिसके अंतर्गत उनके अनुभव, प्रशिक्षण, चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता और सक्षमता भी है बनाये रखा गया है और जो संविक्षा के लिए तुरन्त पंहुच में है;
- (ङ) अपने किसी पोत पर समानुदेशित किये जाने पर समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) को अपने विनिर्दिष्ट कर्तव्यों और पोत के सभी ठहराओ पर जिसके अंतर्गत संरचित पोतस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम, संस्थापनों, उपकरण, प्रक्रियाओं और पोत की विशेषताएं भी हैं जो कि उनके नेमी या आपातकालीन कर्तव्यों से सुसंगत हों उससे सुपरिचित करा दिये गये हैं;
- (च) पोत के अनुपूरक सदस्य आपात स्थिति में और सुरक्षा, रक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए या प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अत्यावश्यक कृत्य करने के लिए अपनी क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से समन्वय कर सके; और
- (छ) समुद्र में जीवन रक्षा, 1974 के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय के अध्याय 4 के विनियम 14 के पैरा 3 से पैरा 4 के अनुसरण में अपने पोतों पर प्रत्येक समय वहां प्रभावी मौखिक संचार रहे।

**18. संक्रमण कालीन उपबन्ध** – (1) 1 जनवरी, 2017 तक, संबंधित मुख्य परीक्षक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और अधिनियम और उसके अधीन इन नियमों के प्रारम्भ से पहले बने नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में ऐसे समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) को निरंतर प्रमाणपत्र जारी करता रहेगा, मान्यता देता रहेगा और पृष्ठांकन करता रहेगा जिनकी 1 जुलाई, 2013 से पहले अनुमोदित ऐसे समुद्रगामी सेवा आरंभ हो गई है, अनुमोदित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम या अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ हो गया हो।

- (2) 1 जनवरी 2017 तक, संबंधित मुख्य परीक्षक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रमाणपत्रों को नवीकृत और पुनर्विधिमान्य करना निरंतर जारी रखेगा।
- (3) नौवहन महानिदेशक उप नियम (1) और उप नियम (2) में किसी भी बात के रहते हुए भी एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों को आरम्भिक रूप से लागू होना सुनिश्चित करने के लिए कोई भी उपाय अधिरोपित कर सकेगा।

**19. भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अन्तर्देशीय जलयानों के कार्मिक**

- (1) भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल तथा अन्तर्देशीय जलयानों के ऐसे कार्मिक जो इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र के धारक बनना चाहते हैं उनसे यह अपेक्षा होगी कि वे सफलतापूर्वक अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम ऐसे प्रमाणपत्र को जारी किए जाने से पहले पूरा करें। ऐसे अभ्यर्थी के विद्यमान अनुभव और अर्हताएं एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और एसटीसीडब्ल्यू संहिता के साथ-साथ इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट और वाणिज्य पोत समुद्र गामी सेवा और अनुमोदित प्रशिक्षण तथा निर्धारण कार्यक्रमकी अपेक्षाओं को अवधारित करने के लिए इन नियमों के अधीन जो विहित हों उनके मानकों के साथ तुलना किये जाने के लिए वे आधार होंगे।
- (2) नौवहन महानिदेशक, प्रशिक्षण और निर्धारण सुविधाओं, प्रमाणन की प्रक्रिया, डिग्री जारी किए जाने, रैंकों में प्रोन्नत किए जाने के मानदंडों, चिकित्सा मानकों और भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अन्तर्देशीय जलयानों के अन्य सुसंगत विवरणों का ऐसे निरीक्षण करेगा जिससे उनके कार्मिकों के मानकों और कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय एसटीसीडब्ल्यू संहिता और इन नियमों में जो यथा विनिर्दिष्ट मानकों के साथ उनके मानकों की उनकी तुलना आधार बन सके।

**अध्याय – 2****मास्टर और डेक विभाग**

- 20. 500 या उससे अधिक सकल टनभार वाले पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी (विदेश गामी पोत का द्वितीयमेट) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं –**
1. 500 या उससे अधिक सकल टनभार के समुद्रगामी पोत पर सेवा कर रहे नौचालन निगरानी का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी प्ररूप 1 में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
  2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा, --
    - (क) जो प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को वह अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं होगा;
    - (ख) जिसकी एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/1 की अपेक्षाओं के अनुसार अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत पोत पर प्रशिक्षण भी है के भाग के रूप में बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो और वह अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित हो या अन्यथा जिसकी डेक विभाग में अनुमोदित समुद्र गामी सेवा छत्तीस मास से अन्यून हो;
    - (ग) जिसने मास्टर या अर्हित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अपेक्षित समुद्रगामी सेवा के दौरान छह मास से अन्यून की अवधि के लिए ब्रिज निगरानी के कर्तव्यों(ड्यूटी) को निष्पादित किया हो;
    - (घ) जो नामनिर्दिष्ट रेडियो ड्यूटी को करने के लिए अध्याय 4 की लागू अपेक्षाओं को पूरा करता हो,
    - (ङ) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हों और एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा किया हो;
    - (च) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/1 के पैरा 2, खंड ए-VI/2 के पैरा 1 से पैरा 4, खंड ए-VI/3 के पैरा 1 से पैरा 4 और खंड ए-VI/4 के पैरा 1 से पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- 21. 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मुख्य मेट (विदेश गामी मेट का प्रथममेट) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं –**
- (1) 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के समुद्र गामी पोत का प्रत्येक मुख्य मेट प्ररूप 2 के सक्षमता के प्रमाणपत्र को धारण करेगा;
  - (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न रखेगा —
    - (क) वह 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में (विदेश गामी पोत का द्वितीयमेट) सक्षमता के प्रमाणपत्र को धारण करेगा;
    - (ख) जिसने 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर अठारह महीने से अन्यून की समुद्र गामी सेवा की हो जिसमें नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में 3000 या उससे अधिक के सकल टनभार के पोतों पर छह मास से अन्यून अनुमोदित समुद्रगामी सेवा सम्मिलित हो; और
    - (ग) जिसने 300 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मास्टरों और मुख्य मेटों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/1 में अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण को पूरा कर लिया हो और सक्षमता के विनिर्दिष्ट मानक को पूरा किया हो।
- 22. 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मास्टर (विदेश गामी पोत का मास्टर) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं –**
- (1) वह 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के समुद्रगामी पोत पर प्रत्येक मास्टर प्ररूप 3 में सक्षमता के प्रमाणपत्र का धारण करेगा।
  - (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न रखेगा --
    - (क) वह 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मुख्य मेट (विदेश गामी पोत का प्रथममेट) के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र को धारण करेगा;

- (ख) जिसने 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में अनुमोदित समुद्री सेवा की हो जिसकी अवधि कम से कम छह मास की हो जिसके अंतर्गत 3000 सकल टनभार या उससे अधिक के पोतों पर अठारह मास से अन्यूनकी सेवा भी रही हो; और
- (ग) उपरोक्त छत्तीस मास की कुल समुद्र गामी सेवा में से कम से कम बारह मास की समुद्रगामी सेवा खंड (ए) में उल्लिखित सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् की होनी चाहिए जिसमें से कम से कम छह मास की समुद्री सेवा 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर की गई हो;
- परन्तु यदि 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मुख्य मेट के रूप में बारह मास की सेवा की गई है तो छत्तीस मास की अवधि को घटाकर तीस मास या उसके समानुपातिक कर दिया जाएगा;
- (घ) जिसने अनुमोदित उन्नत पोत प्रबंधन पाठ्यक्रम पूरा किया हो;
- (ङ) जिसने पोत को हैंडलिंग और चलाने में अनुमोदित सिम्यूलेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो; और
- (च) जिसने अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण को पूरा कर लिया हो।

### 23. एक्स्ट्रा मास्टर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं--

- (1) मास्टर या विदेशगामी पोत या तटसीमीय जल यात्राएं करने वाले या नौचालन निगरानी अधिकारी के रूप में सक्षमता के किसी अन्य प्रमाणपत्र की अपेक्षा प्ररूप 4 में एक्स्ट्रा मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र उच्चतर श्रेणी का होता है और यह इस बात का साक्ष्य होता है कि अभ्यर्थी ने वृत्तिक उत्कर्ष का उच्चतर स्तर प्राप्त कर लिया है।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न रखेगा;--
- (क) वह 300 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मास्टर (विदेश गामी पोत का मास्टर) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारण करेगा;
- (ख) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण को पूरा कर लिया हो।
- (3) ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी जिसने इस नियम की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया हो उसे एक्स्ट्रा मास्टर का सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा प्रमाणपत्र अभ्यर्थी द्वारा धारित एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम II/2 और एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/2 और इन नियमों के नियम 22 के अनुसरण में 3000 या उससे अधिक सकल टनभार वाले पोतों पर मास्टर (विदेश गामी पोत का मास्टर) के रूप में जारी सक्षमता प्रमाणपत्र के अतिरिक्त जारी किया जाएगा।

### 24. 500 और 3000 सकल टनभार के बीच के पोतों का मुख्य मेट (विदेश गामी पोत का प्रथममेट) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं -

- (1) 500 और 3000 सकल टनभार के बीच वाले समुद्र गामी पोत पर प्रत्येक मुख्य मेट (विदेश गामी पोत का प्रथम मेट) प्ररूप 5 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (2) प्रत्येक अभ्यर्थी प्रमाणन के लिए निम्न रखेगा;--
- (क) 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों का नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में (विदेश गामी पोत का द्वितीय मेट) सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा;
- (ख) जिसने 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी की क्षमता में छह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्री सेवा की हो; और
- (ग) जिसने 500 और 3000 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मास्टरों और मुख्य मेटों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/2 में अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा किया हो और जो यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।

### 25. 500 और 3000 सकल टनभार के बीच के पोतों का मास्टर (विदेश गामी पोत का मास्टर) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं -

- (1) 500 और 3000 सकल टनभार के बीच के समुद्रगामी पोत का प्रत्येक मास्टर प्ररूप 6 में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न रखेगा,--
- (क) 500 और 3000 सकल टनभार के बीच के पोतों के मुख्य मेट (विदेश गामी पोत का मुख्य मेट) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा;
- (ख) 500 या उससे अधिक सकल टनभार वाले पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में जिसने कम से कम छत्तीस मास की अवधि तक की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा की हो, जिसके अंतर्गत खंड (क) में सक्षमता प्रमाणपत्र के धारक के रूप में 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर की गई बारह मास से अन्यून की सेवा सम्मिलित हो।
- परन्तु यह, 500 सकल टनभार या अधिक वाले पोतों पर मुख्य मेट के रूप में बारह मास की सेवा की गई हो, तो ऐसी छत्तीस मास की अवधि को घटाकर चौबीस मास, या उसके समानुपातिक कर दिया जाएगा;
- (ग) जिसने अनुमोदित उन्नत पोत प्रबंधन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया हो;
- (घ) जिसने पोत के हैंडलिंग और चलाने में अनुमोदित सिमूलेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया हो; और
- (ङ) जिसने अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण पूरा कर लिया हो।
- 26. तट-समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच वाले पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी (नौचालन निगरानी अधिकारी) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—** (1) तट-समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के समुद्र गामी पोत पर सेवा कर रहे नौचालन निगरानी का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी प्ररूप 7 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न रखेगा,--
- (क) जो प्रमाणपत्र जारी किए जाने के तारीख को उसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो;
- (ख) जिसने तट-समीपीय समुद्री यात्राओं में प्रचालित पोतों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/1 की यथा लागू अपेक्षाओं के अनुसार अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत पोत पर प्रशिक्षण भी है के भाग के रूप में बारह मास की अन्यून अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो और वह अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित हो, या जिसने अन्यथा छत्तीस मास से अन्यून अनुमोदित समुद्री सेवा की हो;
- (ग) जिसने मास्टर या अर्हता प्राप्त अधिकारी के पर्यवेक्षक के अधीन अपेक्षित समुद्र गामी सेवा के दौरान छह मास से अन्यून की अवधि के लिए ब्रिज निगरानी कर्तव्य(ड्यूटी) का निष्पादन किया हो;
- (घ) नामनिर्दिष्ट रेडियो ड्यूटी को करने के लिए अध्याय 4 की लागू अपेक्षाओं को पूरा करता हो;
- (ङ) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा कर लिया हो और जो तट समीपीय जल यात्राओं में लगे पोतों के लिए यथा लागू एसटीसीडब्ल्यू के खंड ए-II/1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो; और
- (च) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/1 के पैरा 2, खंड ए-VI/2 के पैरा 1 से पैरा 4, खंड ए-VI/3 के पैरा 1 से पैरा 4 और खंड ए-VI/4 के पैरा 1 से पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- 27. तट-समीपीय जल यात्राओं में लगे 500 और 6000 सकल टनभार के बीच वाले पोतों का मुख्य मेट के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--**
- (1) वह तट-समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के समुद्र गामी पोत का प्रत्येक मुख्य मेट प्ररूप 8 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह तट-समीपीय जल यात्राओं में लगे 500 या उससे अधिक सकल टनभार वाले पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी (नौचालन निगरानी अधिकारी) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा;
- (ख) जिसने 500 सकल टनभार या अधिक के तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में बारह मास से अन्यून अनुमोदित समुद्री सेवा की हो; और

- (ग) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारणपूरे कर लिए हों और जो तट समीपीय जल यात्राओं में लगे 500 और 6000 सकल टनभार के बीच वाले पोतों पर मास्टरों और मुख्य मेटों के लिए रूप से एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/2 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- 28. तट-समीपीय समुद्री यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मास्टर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--**
- (1) तट-समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के समुद्र गामी पोत का प्रत्येक मास्टर प्ररूप 9 में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह तट-समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मुख्य मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा;
- (ख) जिसने खंड (क) में सक्षमता के प्रमाणपत्र के धारक के रूप में 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में बारह मास से अन्यून की सेवा है जिसके अंतर्गत 500 सकल टनभार या अधिक वाले पोतों के सक्षमता प्रमाण पत्र के धारक के रूप में छत्तीस मास से अन्यून की अवधि की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो।
- परन्तु यदि तट समीपीय जल यात्राओं में लगे 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मुख्य नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में बारह मास की सेवा है तो छत्तीस मास की अवधि को कम करके तीस मास या समानुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी;
- (ग) जिसने अनुमोदित उन्नत पोत प्रबंधन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो;
- (घ) जिसने पोत हैंडलिंग और इसे चलाने में अनुमोदित सिम्युलेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है; और
- (ङ) जिसने अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण को पूरा कर लिया हो।
- 29. ऐसे पोत जो तट समीपीय जल यात्राओं में नहीं लगे हैं 500 सकल टनभार से कम वाले उन पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारियों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** तट-समीपीय जल यात्राओं में न लगे हुए 500 सकल टनभार से कम के समुद्र गामी पोतों पर सेवा करने वाले नौचालन निगरानी का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी प्ररूप 1 के 500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- 30. तट-समीपीय जल यात्राओं में न लगे हुए 500 सकल टनभार से कम के पोतों के मास्टरों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** तट-समीपीय जल यात्रा में नही लगे हुये 500 सकल टनभार से कम भार समुद्र गामी पोत पर सेवा करने वाला प्रत्येक मास्टर प्ररूप 6 के 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- 31. तट-समीपीय जल यात्रा में लगे हुए 500 सकल टनभार के कम के पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारियों के रूप में प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षा—**
- (1) तट-समीपीय समुद्री यात्राओं में लगे हुये 500 सकल टनभार या इससे कम के समुद्र गामी पोत पर नौचालन निगरानी का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी प्ररूप 10 के सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक होगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को वह अठारह वर्ष से कम की आयु का नहीं हो;
- (ख) जिसने निम्न पूरा कर लिया हो-
1. नौवहन महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्री सेवा भी हो, या
  2. छत्तीस मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा डेक विभाग में की हो;
- (ग) नामनिर्दिष्ट रेडियो ज्यूटी को निष्पादित करने के लिए अध्याय 4 की लागू अपेक्षाओं को पूरा करता हो;

- (घ) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा कर लिया हो और तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे 500 सकल टनभार से कम के पोतों पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारियों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो; और
- (ङ) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/1 के पैरा 2, खंड ए-VI/2 के पैरा 1 से पैरा 4, खंड ए-VI/3 के पैरा 1 से पैरा 4 और खंड ए-VI/4 के पैरा 1 से पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक पर को पूरा करता हो।

**32. तट-समीपीय जल यात्राओं में लगे हुये 500 सकल टनभार से कम के पोतों पर मास्टर्स के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षा—**

- (1) तट-समीपीय जल यात्राओं में लगे हुये 500 सकल टनभार से कम के समुद्रगामी पोत पर सेवा कर रहा प्रत्येक मास्टर प्ररूप 11 के सक्षमता प्रमाणपत्र का धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को बीस वर्ष से कम की आयु का नहीं हो;
- (ख) जिसने तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे हुये 500 सकल टनभार के कम वाले समुद्र गामी पोत पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारियों के रूप में बारह मास से अन्यून अनुमोदित समुद्री सेवा की हो;
- (ग) जो अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा कर लिया हों और तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे 500 सकल टनभार के कम के पोतों पर मास्टर्स के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो,

**33. नौचालन निगरानी का भाग बनने वाले रेटिंगों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--**

- (1) प्रशिक्षणरत और जिन रेटिंगों की निगरानी के समय कर्तव्य (ड्यूटी) कौशलहीन प्रकृति के होते हैं से भिन्न 500 या उससे अधिक सकल टनभार के समुद्र गामी पोत पर नौचालन निगरानी के भाग बनने वाले हर रेटिंग के पास ऐसी कर्तव्य(ड्यूटी) का पालन करने के लिए प्रवीणता प्रमाण-पत्र को होना चाहिए।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह आवेदन की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का न हों;
- (ख) उसने निम्न पूरे कर लिए हों :-
- कम से कम पन्द्रह मास की अवधि की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा, या
  - अनुमोदित समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण और छह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो; और
- (ग) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/4 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से सक्षमता के मानक को पूरा करता हो,
- (3) उप नियम (2) के खंड (ख) के उप खंड (i) और (ii) द्वारा यथापेक्षित रूप में समुद्रगामी सेवा, प्रशिक्षण और अनुभव नौचालन निगरानी कृत्यों से सहयुक्त होंगे और जिसके अंतर्गत मास्टर या नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी या अर्हता प्राप्त रेटिंग के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन पोत पर की जाने वाले कर्तव्य(ड्यूटी) का पालन करना भी है।

**34. योग्य डेक समुद्रकर्मी(सीफेयरर) के रूप में रेटिंगों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--**

- (1) 500 या उससे अधिक सकल टनभार वाले समुद्र गामी पोत पर सेवा करने वाले प्रत्येक योग्य डेक समुद्रकर्मी(सीफेयरर) प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को वह अठारह वर्ष से कम आयु का न हो;
- (ख) जिसने नौचालन निगरानी का भाग बनने वाले रेटिंग के रूप में प्रवीणता और उसका प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसके पास डेक विभाग में अनुमोदित समुद्र गामी सेवा की हो,-
- जो अठारह मास से कम का न हो, या

- ii. जो बारह मास से कम का न हो और अनुमोदित प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो; और
- (ग) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/5 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- (3) ऐसी प्रत्येक रेटिंग जिसने 1 जनवरी, 2012 से पहले पिछले साठ मास के भीतर बारह मास से अन्यून अवधि के लिए संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट डेक विभाग में सुसंगत क्षमता में सेवा की हो, वह प्रमाणन के लिए पात्र होगा।

### अध्याय 3

#### इंजन विभाग

35. किसी मानवयुक्त इंजन कक्ष में इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारियों या आवधिक रूप से मानव रहित इंजन कक्ष में नामनिर्दिष्ट कर्तव्यों इंजीनियरों (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,— (1) 750 किलोवाट नोदन शक्ति या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्र गामी पोत पर सेवारत इंजीनियरी निगरानी का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी प्ररूप 14 के सक्षमता प्रमाणपत्र का धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,—
- (क) वह प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख के समय वह अठारह वर्ष से कम का नहीं होगा;
- (ख) जिसने एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संयुक्त कार्यशाला जिसके अंतर्गत पोत पर प्रशिक्षण भी है के भाग के रूप में बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो और जो अनुमोदित प्रशिक्षण प्रलेख पुस्तिका में प्रलेखित हो, या उसने संयुक्त कार्यशाला में कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और छत्तीस मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा की हो जिसमें से इंजन विभाग में यह तीस मास से अन्यून समुद्र गामी सेवा की हो;
- (ग) जिसने मुख्य इंजीनियर अधिकारी या प्रमाणित इंजीनियर अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कम से कम छह मास से अन्यून अवधि के लिए अपेक्षित अनुमोदित समुद्र गामी सेवा, इंजन कक्ष प्रमाणित निगरानी ड्यूटी के दौरान कार्य किया हो;
- (घ) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा कर लिया हों और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो; और
- (ङ) एसटीसीडब्ल्यू संहिता खंड ए-VI/1 के पैरा 2, खंड ए-VI/2 के पैरा 1 से पैरा 4, खंड ए-VI/3 के पैरा 1 से पैरा 4 और खंड ए-VI/4 के पैरा 1 से पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
36. 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियरी अधिकारी के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2)—(1) 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्र गामी पोत पर प्रत्येक द्वितीय इंजीनियर अधिकारी प्ररूप 15 में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,—
- (क) समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-4 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक (इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी);
- (ख) 750 या उससे अधिक किलोवाट के पोतों पर अर्हता प्राप्त इंजीनियर अधिकारी के रूप में जिसकी बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो; और
- (ग) जो अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हों और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/2 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
37. 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-1)—(1) 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्र गामी पोत पर प्रत्येक इंजीनियर अधिकारी प्ररूप 16 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक (3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की नोदन मशीनरी से शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी) होगा;
- (ख) जिसने छत्तीस मास से अन्यून अवधि के लिए जिसके अंतर्गत खंड (क) में यथाउपबन्धित सक्षमता प्रमाणपत्र धारक के रूप में कम से कम बारह मास से अन्यून की सेवा सम्मिलित हो
- 750 किलोवाट या अधिक के पोतों पर इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक इंजीनियर अधिकारी के रूप में अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो, और
- परन्तु यदि 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्र गामी पोत के द्वितीय इंजीनियर अधिकारी के रूप में बारह मास तक ऐसी समुद्रगामी सेवा की हो तो छत्तीस मास की उपरोक्त अवधि को घटाकर तीस मास या उसके समानुपातिक कर दिया जाएगा;
- (ग) जिसने अनुमोदित इंजीनियरी प्रबंधन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो;
- (घ) जिसने अनुमोदित सिमूलेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है; और
- (ङ) जिसने अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण पूरा कर लिया हो,
- 38. एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) प्ररूप 17 के एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को समुद्री इंजीनियर अधिकारी, मात्स्यिकी जलयान के इंजीनियर का इंजन ड्राइवर या समुद्रगामी पोत के इंजन ड्राइवर के किसी अन्य सक्षमता प्रमाणपत्र की अपेक्षा उच्चतर श्रेणी का समझा जाएगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी -1) के समुद्र गामी पोतों के लिए मुख्य इंजीनियर अधिकारी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा; और
- (ख) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारणकार्यक्रम को पूरा कर लिया हो।
- (3) ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी जो इन नियम की अपेक्षाओं को पूरा करता हो उसे सक्षमता का एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर प्रमाणपत्र जारी किए जाएगा, उक्त प्रमाणपत्र अभ्यर्थी द्वारा धारित एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम-III/2 एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/2, और इन नियमों के नियम 37 के अनुसार और 3000 किलोवाट नोदन के पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी के रूप में जारी सक्षमता प्रमाणपत्र के अतिरिक्त जारी किया जाएगा।
- 39. 750 किलोवाट से 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3—द्वितीय इंजीनियर अधिकारी 3000 किलोवाट तक सीमित)—**(1) 750 किलोवाट से 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्र गामी पोतों पर प्रत्येक द्वितीय इंजीनियर अधिकारी प्ररूप 18 में सक्षमता के प्रमाणपत्र का धारक होगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-4 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा (इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी हो);
- (ख) जिसके पास 750 किलोवाट या अधिक के पोतों पर अर्हित इंजीनियर अधिकारी के रूप में अनुमोदित समुद्रगामी सेवा का बारह मास से अन्यून का अनुभव हो; और
- (ग) जिसके अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हों और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/3 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- 40. 750 किलोवाट से 3000 किलोवाट के बीच की नोदन शक्ति वाली मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारियों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3—मुख्य इंजीनियर अधिकारी 3000 किलोवाट तक सीमित)—**(1) 750 किलोवाट से 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच

की मुख्य नोदन मशीनरी से शक्ति प्रदत्त समुद्र गामी पोत पर प्रत्येक मुख्य इंजीनियर अधिकारी प्ररूप 19 में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3 – द्वितीय इंजीनियर अधिकारी 3000 किलोवाट तक सीमित के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक होगा;
- (ख) जिसकी समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो जो द्वितीय इंजीनियर अधिकारी -- 3000 किलोवाट तक सीमित हो;
- (ग) जो अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/3 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- (3) प्रत्येक इंजीनियर अधिकारी जो 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए अर्हता प्राप्त हो वह 3000 किलोवाट नोदन शक्ति से कम की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी के रूप में सेवा कर सकता है परन्तु यह कि प्रमाणपत्र इसके लिए पृष्ठांकित हुआ हो।

41. **तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी से शक्ति प्रदत्त पोतों के आवधिक रूप से मानवरहित इंजन कक्ष में नामनिर्दिष्ट कर्तव्यों इंजीनियरों या मानवयुक्त इंजन कक्ष में इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4—तटसमीपीय जल यात्राएं)—**(1) तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच के समुद्र गामी पोतों पर सेवा करने वाले इंजीनियरी निगरानी का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी प्ररूप 20 में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह आवेदन के दिन अठारह साल से कम आयु का न हो;
- (ख) जिसने संयुक्त कार्यशाला कौशल प्रशिक्षण सहित संयुक्त कार्यशाला कौशल प्रशिक्षण और अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूरी कर ली हो जिसके अंतर्गत तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे पोतों पर यथा लागू एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करने वाले पोत पर प्रशिक्षण भी और हो और जो अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित हो या जिसने अन्यथा संयुक्त कार्यशाला कौशल प्रशिक्षण और अनुमोदित समुद्र गामी सेवा पूरी कर ली हो जो छत्तीस मास से अन्यून की हो जिसमें से इंजन विभाग में की गई तीस मास से अन्यून की समुद्र गामी सेवा हो;
- (ग) जिसने अनुमोदित समुद्रगामी सेवा के दौरान मुख्य इंजीनियर अधिकारी या अर्हित इंजीनियर अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन छह मास से अन्यून अवधि के लिए इंजन कक्ष निगरानी झूटी का निष्पादन किया हो;
- (घ) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिये हों और जो तट समीपीय जल यात्राओं में लगे पोतों पर यथा लागू एसटीसीडब्ल्यू के खंड ए-III/1 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में सक्षमता के मानक को पूरा करता हो; और
- (ई) एसटीसीडब्ल्यू संहिता खंड ए-VI/1 के पैरा 2, खंड ए-VI/2 के पैरा 1 से पैरा 4, खंड ए-VI/6 के पैरा 1 से पैरा 4 और खंड ए-VI-6/4 के पैरा 1 से पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

42. **तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किंवा नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3—द्वितीय इंजीनियर अधिकारी - तटसमीपीय जल यात्राएं)—**(1) तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्र गामी पोत पर प्रत्येक द्वितीय इंजीनियर अधिकारी प्ररूप 21 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा

- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--

- (क) वह तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4- तटसमीपीय जल यात्राएं) के रूप में प्रमाणपत्र का धारण किये हो;
- (ख) जिसने इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक इंजीनियर अधिकारी के रूप में बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो; और
- (ग) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हों और जो तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित पोतों पर यथा लागू को पूरा करता हो एसटीसीडब्ल्यू के खंड ए-III/3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से सक्षमता के मानक को पूरा करत हो।

43. **तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3—मुख्य इंजीनियर अधिकारी - तटसमीपीय जल यात्राएं)** — (1) तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (जल इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3—मुख्य इंजीनियर अधिकारी - तटसमीपीय जल यात्राएं) — (1) तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त समुद्रगामी पोतों पर प्रत्येक मुख्य इंजीनियर अधिकारी प्ररूप 22 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,—
- (क) तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदनमशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त समुद्र गामी पोत पर तटसमीपीय जल यात्राओं का द्वितीय इंजीनियर अधिकारी - समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा;
- (ख) तटसमीपीय जल यात्रा का द्वितीय इंजीनियर अधिकारी जिसने समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् बारह मास से अन्यून अनुमोदित समुद्र गामी सेवा की हो;
- (ग) जिसने अनुमोदित इंजीनियरी प्रबंधन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो;
- (घ) जिसने अनुमोदित सिमूलेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो; और
- (ङ) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हों और जो तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित पोतों के लिए यथा लागू एसटीसीडब्ल्यू के खंड ए-III/3 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।

44. **टैंकरों से भिन्न तटसमीपीय जल यात्राओं में 3000 से 8000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2—तटसमीपीय जल यात्राएं)**— टैंकरों से भिन्न तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे 3000 किलोवाट और 8000 किलोवाट के बीच के मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त समुद्र गामी पोत पर प्रत्येक द्वितीय इंजीनियरी अधिकारी प्ररूप 23 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,—
- (क) ऐसा समुद्रीय इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक हो (इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी) को धारण करेगा;
- (ख) जिसके पास इंजीनियरी निगरानी के इंजीनियर भारसाधक अधिकारी के रूप में अनुमोदित समुद्रगामी सेवा का बारह मास से अन्यून का अनुभव हो; और
- (ग) जिसने अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हो और तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे पोतों पर यथा लागू एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड क -III/2 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।

45. **टैंकरों से भिन्न तटसमीपीय जल यात्राओं पर 3000 किलोवाट और 8000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारियों (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1—तटसमीपीय जल यात्राएं) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं** — (1) तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे 3000 से 8000 किलोवाट के बीच के नोदन शक्ति

की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर प्रत्येक मुख्य इंजीनियर अधिकारी प्ररूप 24 के सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--

(क) तटसमीपीय जल यात्राओं में 8000 किलोवाट तक की सीमा वाले समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 या समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 (तटसमीपीय जल यात्राओं में 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या इससे अधिक या 3000 किलोवाट से 8000 किलोवाट की मुख्य नोदन मशीनरी से शक्तिप्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी) के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र को धारण करेगा;

(ख) जिसकी 750 किलोवाट या अधिक के पोतों पर इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक इंजीनियर अधिकारी के रूप में छत्तीस मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो जिसके अंतर्गत खंड (ए) के अधीन यथा उपबन्धित सक्षमता प्रमाणपत्र के धारक के रूप में कम से कम बारह मास से अन्यून की सेवा भी हो,

परन्तु यदि 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्रगामी पोत पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी के रूप में बारह मास से अन्यून की समुद्रीगामी

सेवा हो तो छत्तीस मास की उक्त अवधि को घटाकर तीस मास या उसके समानुपातिक कर दी जाएगी;

(ग) जिसने अनुमोदित इंजीनियरी प्रबंधन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो;

(घ) जिसने अनुमोदित सिमूलेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है; और

(ङ) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरे कर लिए हो तथा तटसमीपीय जलयात्राओं के लिए यथा लागू एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड क -III/2 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

46. **इंजन कक्ष निगरानी के भाग के रूप में रेटिंगों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) प्रशिक्षण के अधीन रेटिंगों या निगरानी के समय जिन रेटिंगों के कर्तव्यों(ड्यूटी) को कौशलहीन प्रकृति का माना जाता है उससे भिन्न, 750 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्रगामी पोत पर आवधिक रूप में मानव रहित इंजन कक्ष में अपने कर्तव्य(ड्यूटी) को निष्पादित करने के लिए नामनिर्दिष्ट या इंजन कक्ष निगरानी के भाग के रूप में प्रत्येक रेटिंग ऐसे कर्तव्य(ड्यूटी) को निष्पादित करने के लिए प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--

(क) जो आवेदन की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं होगा;

(ख) जिसने निम्न पूरा कर लिया हो :-

1. जिसकी पन्द्रह मास से अन्यून अवधि की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा, या

2. जिसकी अनुमोदित समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण या विशेष प्रशिक्षण और छह मास से अन्यून अवधि के लिए अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो; और

(ग) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/4 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

(3) उप-नियम (2) के खंड (i) और खंड (ii) द्वारा अपेक्षित समुद्रगामी सेवा, प्रशिक्षण और अनुभव इंजन कक्ष निगरानी कृत्यों से सहयुक्त होगा और जिसके अंतर्गत मुख्य इंजीनियर या इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी या प्रमाणित रेटिंग के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन पोत पर की गई कर्तव्य(ड्यूटी) निष्पादन भी है जो कि अनुमोदित रेटिंग प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में सम्यक रूप से प्रलेखित हो।

47. **योग्य इंजन समुद्रकर्मी(सीफेयरर) इंजन के रूप में नामनिर्दिष्ट रेटिंगों या आवधिक रूप में मानव रहित कक्ष में कर्तव्यों(ड्यूटी) का निष्पादन करने के लिए के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) 750 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त समुद्रगामी पोत पर सेवा करने वाले प्रत्येक योग्य इंजन समुद्रकर्मी(सीफेयरर) प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--

(क) जो आवेदन की तारीख को उन्नीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा;

- (ख) जो मानव युक्त इंजन कक्ष में निगरानी के भाग के रूप में या आवधिक रूप से मानव रहित इंजन कक्ष में कर्तव्यों(ड्यूटी) के निष्पादन के लिए नामनिर्दिष्ट रेटिंग के रूप में प्रमाणन की अपेक्षाओं को पूरा करता हो;
- (ग) जिसने इंजीनियरी निगरानी के भाग के रूप में रेटिंग रूप में प्रवीणता का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् इंजन विभाग में निम्न प्रकार से अनुमोदित समुद्री सेवा की हो -
1. जो बारह मास से अन्यून हो, या
  2. जो छह मास से अन्यून न हो और अनुमोदित प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो; और
- (घ) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/5 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- (3) ऐसी रेटिंग जिसने 1 जनवरी 2012 से पहले पिछले साठ मास के भीतर बारह मास से अन्यून अवधि इंजन विभाग में सुसंगत क्षमता में सेवा की हो वह प्रमाणन के लिए पात्र होगा।
- 48. इलेक्ट्रो-तकनीकी अधिकारियों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) 750 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त समुद्रगामी पोत पर सेवा कर रहे हर इलेक्ट्रो-तकनीकी अधिकारी प्ररूप 27 के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो आवेदन की अंतिम तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का न हो;
- (ख) जिसने संयुक्त कार्यशाला कौशल प्रशिक्षण और अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूरी कर ली हो जिसके अंतर्गत तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे पोतों पर यथा लागू एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड क-III/6 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करने वाले पोतस्थ प्रशिक्षण भी और जो अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित हो या जिसने अन्यथा संयुक्त कार्यशाला कौशल प्रशिक्षण में ऐसी अनुमोदित समुद्र गामी सेवा पूरी कर ली हो जो छत्तीस मास से अन्यून की हो जिसमें से इंजन विभाग में की गई तीस मास से अन्यून की समुद्र गामी सेवा सम्मिलित हो;
- (ग) जिसने अनुमोदित शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/6 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो; और
- (घ) एसटीसीडब्ल्यू संहिता खंड ए-VI/1 के पैरा 2, खंड क-VI/2 के पैरा 1 से पैरा 4, खंड क-VI/3 के पैरा 1 से पैरा 4 और खंड क-VI/4 के पैरा 1 से पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- (3) जिस समुद्रकर्मी(सीफेयरर) ने 1 जनवरी 2012 से पहले के साठ मास के भीतर इंजन विभाग में सुसंगत क्षमता में बारह मास से अन्यून सेवा की हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/6 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो वह निर्धारण किये जाने का पात्र होगा।
- 49. इलेक्ट्रो-तकनीकी रेटिंगों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) 750 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त समुद्रगामी पोत पर सेवा कर रहे हर इलेक्ट्रो-तकनीकी रेटिंग प्ररूप 28 के प्रवीणता के प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) वह आवेदन की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं होगा;
- (ख) उसके पास निम्न होंगे -
- i. जिसने कम से कम बारह मास के प्रशिक्षण या अनुभव रखते हुये अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूरी की हो, या
  - ii. जिसने समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण या विशेष प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की उस अवधि को पूरा कर लिया हो जो कि छह मास से अन्यून हो, या
  - iii. सारणी क-III/7 में तकनीकी सक्षमताओं की अर्हताओं को पूरा करे और अनुमोदित अवधि के लिए समुद्र गामी सेवा की हो जो कि तीन मास से अन्यून हो; और
- (ग) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-III/7 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

- (3) जिस समुद्रकर्मि ने 1 जनवरी 2012 से पहले के साठ मास के भीतर कम से कम बारह मास से अन्यून की अवधि के लिए पोत पर सुसंगत क्षमता में सेवा की हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड क-III/7 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।

#### अध्याय 4

##### रेडियो संचार और रेडियो प्रचालक

50. **रेडियो प्रचालकों के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं**-- (1) पोतों पर रेडियो कर्तव्यों(ड्यूटी) का निष्पादन करने वाले प्रत्येक भारसाधक व्यक्ति जिसके लिए वैश्विक समुद्रीय विपत्ति सुरक्षा प्रणाली के उपबन्धों का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं है उसको नियम 5 के उपबन्धों को पूरा करना अपेक्षित नहीं है, परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति रेडियो विनियमों द्वारा यथा विहित समुचित प्रमाणपत्र को धारण किये हुये हो,
- (2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो आवेदन की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का न हो;
- (ख) जिसने अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो और जो रेडियो विनियमों के अधीन यथा लागू सक्षमता के विहित मानकों को पूरा करता हो; और
- (ग) खंड ए-VI/1 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक (आधारभूत पाठ्यक्रम) को पूरा करता हो।
- (3) अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने और रेडियो विनियमों के अधीन यथा लागू कृतिक, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निष्पादित करने की सक्षमता को निदर्शित करने पर एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय द्वारा यथापेक्षित प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस पर आवश्यक पृष्ठांकन किया जाएगा।
51. **वैश्विक समुद्रीय विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली रेडियो प्रचालक के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं**-- (1) पोत पर रेडियो कर्तव्यों(ड्यूटी) का भारसाधक या रेडियो कर्तव्यों(ड्यूटी)को निष्पादित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप 34 में सक्षमता प्रमाणपत्र को धारण करेगा जिसे वाणिज्य पोत (विपत्ति और सुरक्षा रेडियो संचार) नियम,1995 के अनुपालन के अतिरिक्त उसे वैश्विक समुद्रीय विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली में भाग लेना आवश्यक है
- (2) इन नियम के अंतर्गत सक्षमता के प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो आवेदन की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का न हो;
- (ख) जिसने यथा लागू वह अनुमोदित वैश्विक समुद्रीय विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली साधारण प्रचालक के पाठ्यक्रम या वह निर्बंधित प्रचालन के पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो और जो एसटीसीडब्ल्यू के खंड ए-IV/2 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो;
- (ग) जो खंड ए-VI/1 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- (3) यथा लागू अनुमोदित वैश्विक समुद्रीय विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली साधारण प्रचालक का पाठ्यक्रम या निर्बंधित प्रचालन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो और एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारिणी ए-IV/2 में सौंपे गये कृतिक, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निष्पादित करने की सक्षमता का निदर्शन करने पर एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय द्वारा यथापेक्षित सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस पर पृष्ठांकन किया जाएगा।

#### अध्याय 5

##### कतिपय किस्मों के पोतों पर कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण अपेक्षाएं

52. **तेल टैंकरों के मास्टर्स, अधिकारियों और रेटिंगों के प्रशिक्षण और अर्हताओं के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं**-- (1) जिन अधिकारियों और रेटिंगों को तेल टैंकरों के स्थोरा या स्थोरा उपस्करों से संबंधित विनिर्दिष्ट कर्तव्य(ड्यूटी) सौंपा गया है वे प्ररूप 37 में तेल टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेंगे,
- (2) तेल टैंकरों स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी ने एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/1 में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में आधारभूत प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और निम्न पूरा कर लिया हो --

- (क) जिसने तेल टैंकों पर पिछले साठ मास के भीतर तीन मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो और टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1-1 के पैरा 1 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो; या
- (ख) जिसने तेल टैंकों पर स्थोरा प्रचालनों के लिए अनुमोदित आधारभूत प्रशिक्षण लिया हो और जो तेल टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1-1 के पैरा 1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- (3) मास्टर, मुख्य इंजीनियर अधिकारी, मुख्य मेट, द्वितीय इंजीनियर अधिकारी और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका तेल टैंकों पर तत्काल लदाई, उतराई, रास्ते में देखभाल, स्थोरा हैंडलिंग, टैंक की सफाई या अन्य स्थोरा संबंधी प्रचालनों का सीधा उत्तरदायित्व हो वह प्ररूप 38 में तेल टैंकर पर स्थोरा प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण का प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (4) तेल टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण का प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो तेल टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रमाणन के लिए अपेक्षाओं को पूरा करता है; और
- (ख) तेल टैंकों स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रमाणन के लिए अर्हित रहते हुये निम्न रखेगा:-
- जिसकी तेल टैंकों पर पिछले साठ मास के भीतर तीन मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो, या
  - जिसने पर्यवेक्षक की क्षमता में तेल टैंकों पर अनुमोदित पोतस्थ प्रशिक्षण में से कम से कम एक मास से अन्यून का प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत कम से कम लदाई और उतराई के तीन प्रचालनों भी हो प्राप्त किया हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड बी-V/1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित हो; और
- (ग) जिसने तेल टैंकर के स्थोरा प्रचालनों के लिए अनुमोदित उन्नत प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, और जिसने तेल टैंकों पर डेक अधिकारियों के लिए अनुमोदित पूर्ण द्रव स्थोरा हैंडलिंग सिमूलेटर का संपूर्ण लक्ष्य पूरा कर लिया हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1-2 के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- (5) यथास्थिति संबंधित मुख्य परीक्षक या संबंधित परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे समुद्रकर्मियों(सीफायरर) को प्रवीणता प्रमाणपत्र जारी किया जाए जो उप-नियम (2) या यथास्थिति उप-नियम (4) के अनुसरण में अर्हित हो या उनके विद्यमान सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित किया गया हो।
- 53. रसायन टैंकों पर मास्टर्स, अधिकारियों तथा रेटिंगों के प्रशिक्षण और अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) रसायन टैंकों पर स्थोरा उपस्कर से संबंधित विनिर्दिष्ट कर्तव्य(ड्यूटी) और उत्तरदायित्व जिन अधिकारियों और रेटिंगों को सौंपे गए हैं वे प्ररूप 37 में रसायन टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रवीणता के प्रमाणपत्र को धारण करेंगे।
- (2) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/1 में यथा विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में प्रत्येक अभ्यर्थी रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रवीणता के प्रमाणपत्र को धारण करेगा और निम्न पूरा किया हो:-
- (क) रसायन टैंकों पर पिछले साठ माह के भीतर तीन मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो और जो रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1-1 के पैरा 1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो; या
- (ख) रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए अनुमोदित आधारभूत प्रशिक्षण लिया हो और रसायन टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1-1 के पैरा 1 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- (3) मास्टर, मुख्य इंजीनियर अधिकारी, मुख्य मेट, द्वितीय इंजीनियर अधिकारी और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रसायन टैंकों पर लदाई, उतराई, रास्ते में देखभाल, स्थोरा को हैंडलिंग करने, टैंक की सफाई या स्थोरा संबंधी अन्य प्रचालनों के लिये सीधे उत्तरदायी हो वह प्ररूप 38 में रसायन टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण में प्रवीणता के प्रमाणपत्र का धारण करेगा।

- (4) रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण का प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो रसायन टैंकरों स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रमाणन के लिए अपेक्षाओं को पूरा करेगा, और
- (ख) जो रसायन टैंकरों स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण का प्रमाणन के लिए अर्हित रहते हुये निम्न रखेगा,-
- जिसने रसायन टैंकरों पर पिछले साठ माह के भीतर तीन मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो, या
  - जिसने रसायन टैंकरों पर कम से कम एक मास का अनुमोदित पोतस्थ प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षक की क्षमता में लदाई और उतराई के कम से कम तीन प्रचालन सम्मिलित हों प्राप्त किया है और वह अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तक में एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड बी-V/1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रलेखित हो; और
- (ग) जिसने रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए अनुमोदित उन्नत प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1-2 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो;
- (5) यथास्थिति संबंधित मुख्य परीक्षक या संबंधित परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि जिन समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) को प्रवीणता का प्रमाणपत्र जारी किया जाए वह उप-नियम (2) या यथास्थिति उप-नियम (4) के अनुसरण में अर्हित है या उनका विद्यमान सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र पृष्ठांकित किया गया हो।
- (6) नियम 52 या नियम 53 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, तेल और रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए अनुमोदित आधारभूत प्रशिक्षण के साथ-साथ तेल रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण का प्रवीणता प्रमाणपत्र को एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1-1 के उपबन्धों के अनुसरण में और रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण पर सुसंगत अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसरण में एक साथ सम्मिलित किया जा सकता है।
- 54. द्रवीकृत गैस टैंकरों पर मास्टर्स, अधिकारियों और रेटिंगों के प्रशिक्षण और अर्हताओं की न्यूनतम अपेक्षाएं,--**
- (1) जिन अधिकारियों और रेटिंगों को स्थोरा या द्रवीकृत गैस टैंकर पर स्थोरा उपस्कर से संबंधित विनिर्दिष्ट कर्तव्य(ड्यूटी) और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं वे प्ररूप 37 में द्रवीकृत गैस टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रवीणता के प्रमाणपत्र को धारण करेंगे।
- (2) द्रवीकृत गैस टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी ने एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/1 के पैरा में यथा विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में आधारभूत प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और निम्न पूरा कर लिया हो-
- (क) जिसकी द्रवीकृत गैस टैंकरों पर पिछले साठ माह के भीतर तीन मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्र गामी सेवा हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो; या
- (ख) जिसने द्रवीकृत गैस टैंकर स्थोरा के लिए अनुमोदित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- (3) द्रवीकृत गैस टैंकरों के मास्टर, मुख्य इंजीनियर अधिकारी, मुख्य मेट, द्वितीय इंजीनियर अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि लदाई, उतराई, रास्ते में देखभाल, स्थोरा हैंडलिंग, टैंक की सफाई या स्थोरा संबंधी अन्य प्रचालनों के लिए सीधे उत्तरदायी हो, वह प्ररूप 38 में रसायन टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण का प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।
- (4) द्रवीकृत गैस टैंकर स्थोरा के प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण का प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (क) जो द्रवीकृत गैस टैंकरों स्थोरा प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रमाणन के लिए अपेक्षाओं को पूरा करे; और
- (ख) जो द्रवीकृत गैस टैंकरों स्थोरा के प्रचालनों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण में प्रमाणन के लिए अर्हित रहते हुये निम्न रखता है,

- i. जिसकी द्रवीकृत गैस टैंकरों पर पिछले साठ मास के भीतर जिसने तीन मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो, या
  - ii. जो द्रवीकृत गैस टैंकरों पर कम से कम एक मास का अनुमोदित पोतस्थ प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षक की क्षमता में लदाई और उतराई के कम से कम तीन प्रचालन सम्मिलित हों और जो अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड बी-V/1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रलेखित हो; और
- (ग) जिसने द्रवीकृत गैस टैंकर स्थोरा प्रचालनों के लिए अनुमोदित उन्नत प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/1-2 के पैरा में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो,
- (5) यथास्थिति संबंधित मुख्य परीक्षक या संबंधित परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे, उन समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) को प्रवीणता प्रमाणपत्र जारी किया जाये जो यथास्थिति उप-नियम (2) या उप-नियम (4) के अनुसरण में अर्हित हैं या जिसका विद्यमान सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित किया गया है।
- 55. यात्री पोतों के मास्टर्स, अधिकारियों, रेटिंगों और अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण और अर्हताओं के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) यह नियम यात्री पोतों के मास्टर्स, अधिकारियों, रेटिंगों और सेवा करने वाले अन्य सवारी यात्री पोतों के कार्मिकों पर लागू होता है।
- (2) सवारी यात्री पोतों पर पोतस्थ कर्तव्यों(ड्यूटी) को सौंपे जाने से पहले समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) ने अपनी क्षमता, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अनुसरण में इस नियम के उप-नियम (3) से उप-नियम (6) द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण को पूरा कर लिया हो, जिन समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) से पूर्वोक्त प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की अपेक्षा है वे, पांच साल से अनधिक अंतरालों के भीतर, नौवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समुचित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
- (3) सवारी यात्री पोतों पर आपात स्थितियों में यात्रियों की सहायता करने के लिए मास्टर, अधिकारी और ऐसे कार्य सूची में सहायता के लिए नामनिर्दिष्ट अन्य कार्मिक जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/2 के पैरा I में यथा विनिर्दिष्ट भीड़ प्रबंधन में प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और जो भीड़ प्रबंधन प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करते हैं।
- (4) सवारी यात्री पोतों पर यात्री स्थानों में यात्रियों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने वाले कार्मिकों ने एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/2 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और जो यात्री स्थानों में यात्रियों को प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले कार्मिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करते हैं।
- (5) यात्री पोतों के मास्टर्स, मुख्य मेट, मुख्य इंजीनियर अधिकारियों, द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों और प्रत्येक उस व्यक्ति ने एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/2 के पैरा 3 के पैरा 3 में यथा जो विनिर्दिष्ट आपदा प्रबंधन और मानव व्यवहार में अनुमोदित प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और जो आपदा प्रबंधन और मानव व्यवहार में प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करते हैं।
- (6) मास्टर, मुख्य इंजीनियर अधिकारी, मुख्य मेट, द्वितीय इंजीनियर अधिकारी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि यात्रियों को पोत पर चढ़ाने और उतारने, माल लादने, उतारने या स्थोरा को बांधने, या रो-रो यात्री पोतों के पेटे के छेदों को बंद करने के लिए सीधा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो वह एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/2 के पैरा 4 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से यात्री सुरक्षा, स्थोरा सुरक्षा और पेटे की विश्वसनीयता का अनुमोदित प्रशिक्षण पूरा कर चुका हो और यात्री सुरक्षा, स्थोरा सुरक्षा और पेटे की विश्वसनीयता का प्रवीणता को धारण करता है।

## अध्याय 6

### आपातकालीन, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, रक्षा, चिकित्सीय देखभाल, और जीवन रक्षक कृत्य -

- 56. सभी समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) के लिए सुरक्षा सुपरिचायक के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं,--** (1) पोत कर्तव्य(ड्यूटी) को दिये जाने से पहले, यात्रियों से भिन्न, समुद्रगामी पोत पर नियोजित या लगे हुये सभी व्यक्ति एसटीसीडब्ल्यू संहिता के भाग बी में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत रूप से जीवन बचाने की तकनीकों में अनुमोदित सुपरिचायक

प्रशिक्षण या समुचित सूचना और अनुदेश इस प्रकार से प्राप्त करेंगे जिससे कि वे एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-V/1 के पैरा 1 में उल्लिखित कृतिकों का निष्पादन कर सकें।

**57. सुरक्षा या प्रदूषण रोकथाम के कर्तव्य(ड्यूटी) के लिए नामनिर्दिष्ट सभी समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए आधारभूत प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं:--** (1) पोत के प्रचालन में सुरक्षा या प्रदूषण रोकथाम के कर्तव्यों (ड्यूटी) के लिए नामनिर्दिष्ट होने के साथ पोत के पूरक भाग के रूप में पोत के कार्य पर पोतस्थ किसी क्षमता में नियोजित या कार्य में लगे समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) के पास निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रवीणता प्रमाणपत्र धारण करेगा:-

- (क) व्यक्तिगत रूप से जीवन बचाने की तकनीकें;
  - (ख) अग्नि रोकथाम और अग्नि शमन
  - (ग) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा; और
  - (घ) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व।
- (2) व्यक्तिगत रूप से जीवन बचाने की तकनीकों की प्रवीणता प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—
- (क) व्यक्तिगत रूप से जीवन बचाने की तकनीक की प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा-
    - (i) जिसने जीवन बचाने की तकनीक के अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया हो, और
    - (ii) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-V/1-1 में दिए गए सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो;
  - (ख) जो समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) इस प्रमाणपत्र को धारण किये हुये हैं उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर नौवहन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे कृतिक का पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करें जिनके प्रशिक्षण का संचालन पोत पर नहीं किया जा सकता, और उसे दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जारी किया जाये।
- (3) अग्नि रोकथाम और अग्नि शमन में प्रवीणता प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—
- (क) अग्नि रोकथाम और अग्नि शमन में प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा -
    - (i) जिसने अग्नि रोकथाम और अग्नि शमन में अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया हो, और
    - (ii) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-V/1-2 में दिए गये सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो,
  - (ख) जो समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) इस प्रमाणपत्र को धारण करते हैं उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर नौवहन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उन कृतिक का पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करें जिन कृतिक का प्रशिक्षण पोत पर संचालन नहीं किया जा सकता, और उसे दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जारी किया गया हो।
- (4) प्रारंभिक प्राथमिक सहायता में प्रवीणता के प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं— प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--
- (i) जिसने प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा के अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया हो, और
  - (ii) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-V/1-3 में दिए गये सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- (5) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व में प्रवीणता के प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—

व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व में प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा--

- i. जिसने व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और
- ii. जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-VI, 1-4 में दिये गये सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो

**58. तीव्र बचाओं नौकाओं से भिन्न जीवन रक्षक क्राफ्ट(जलयान), बचाव नौकाओं में प्रवीणता के प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:-**

- (1) तीव्र बचाओं नौकाओं से भिन्न जीवन रक्षक क्राफ्ट(जलयान), और बचाव नौकाओं में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा -

- (क) जो पाठ्यक्रम को पूरा करने की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का न हो;
- (ख) जिसने बारह मास से अन्यून अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो या जो अनुमोदित समुद्र पूर्व प्रशिक्षण में हाजिर रहा हो और जिस ने छह मास से अन्यून अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो;
- (ग) तीव्र बचाव नौकाओं से भिन्न जीवन रक्षक क्राफ्ट(जलयान), और बचाव नौकाओं में प्रवीणता के अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो; और
- (घ) एसटीसीडबल्यू संहिता के खंड ए-VI/2 पैरा 1 से 4 में दिए गये जीवन रक्षक क्राफ्ट(जलयान) और बचाव नौकाओं में प्रवीणता के प्रमाणपत्रों के लिए सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।
- (2) जो समुद्रकर्मियों(सीफायरर) इस प्रमाणपत्र को धारण करते हैं उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर नौवहन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे कृतिक का पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करें जिनके प्रशिक्षण का संचालन पोत पर नहीं किया जा सकता, और उसे दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जारी किया जाये।

**59. तीव्र बचाव नौकाओं में प्रवीणता के प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं**— (1) तीव्र बचाव नौकाओं में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा—

- (क) जो तीव्र बचाव नौकाओं से भिन्न जीवन रक्षक क्राफ्ट(जलयान) और बचाव नौकाओं में प्रवीणता प्रमाणपत्र का धारक हो;
- (ख) जो तीव्र बचाव नौकाओं में प्रवीणता के अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो, और
- (ग) एसटीसीडबल्यू संहिता के खंड ए-VI/2 के पैरा 7 से पैरा 10 में दिए गए तीव्र बचाव नौकाओं के प्रवीणता प्रमाणपत्रों के लिए सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- (2) इस प्रमाणपत्र को धारण किये हुये समुद्रकर्मियों(सीफायरर) से यह अपेक्षा होगी कि वे नौवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर ऐसे कृतिक का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा करेंगे जिनके प्रशिक्षण का संचालन पोत पर नहीं किया जा सकता है, और उसके दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

**60. उन्नत अग्नि शमन में प्रवीणता के प्रमाणपत्र को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं**—(1) अग्नि शमन कार्यो को करने के लिए नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों(सीफायरर) उन्नत अग्नि शमन में प्रवीणता के प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) उन्नत अग्नि शमन में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा-
- (क) जिसने उन्नत अग्नि शमन में अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो; और
- (ख) जो एसटीसीडबल्यू संहिता के खंड ए-VI/3 के 1 से 4 पैरा में यथा विनिर्दिष्ट रूप में सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।
- (3) इस प्रमाणपत्र को धारण किये हुये समुद्रकर्मियों(सीफायरर्स) से यह अपेक्षित है कि नौवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर ऐसे कृतिक का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करें जिसके प्रशिक्षण के संचालन पोत पर नहीं किए जा सकता और उसके दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

**61. चिकित्सीय प्रथमोपचार में प्रवीणता के प्रमाण पत्र को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं**—(1) पोत पर चिकित्सीय प्रथमोपचार देने के लिए नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों(सीफायरर) चिकित्सीय प्रथमोपचार में प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेंगे।

- (2) चिकित्सीय प्रथमोपचार में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,
- (क) जो चिकित्सीय प्रथमोपचार में अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो; और
- (ख) जो एसटीसीडबल्यू संहिता के खंड ए-VI/4 के पैरा 1 से पैरा 3 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

**62. चिकित्सीय देखभाल में प्रवीणता के प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं**— (1) पोत पर चिकित्सीया देखभाल के भारसाधक नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों(सीफायरर) के चिकित्सीय देखभाल का प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेगा।

- (2) चिकित्सीय देखभाल में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा -
- (क) जो चिकित्सीय देखभाल में अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो; और
- (ख) एसटीसीडबल्यू संहिता के खंड ए-VI/4 के पैरा 4 से पैरा 6 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

**63. सभी समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए सुरक्षा संबंधी सुपरिचयकीकरण के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—**(1) यात्रियों से भिन्न समुद्रगामी पोत पर नियोजित या सभी व्यक्ति के पोतस्थ कर्तव्यों(ड्यूटी) को सौंपे जाने से पहले अपेक्षित सुरक्षा संबंधी सुपरिचायक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जो आईएसपीएस संहिता के उपबन्धों का पालन के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के भाग बी में यथा विनिर्दिष्ट है जिससे वे एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/6 के पैरा 1 में उल्लिखित कृतिक का पालन करने के योग्य हो सकें।

(2) समुद्रगामी पोत पर लगे हुये या नियोजित सुरक्षा कर्तव्यों(ड्यूटी) के लिए नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) को ऐसे कर्तव्यों(ड्यूटी) को सौंपे जाने से पहले एसटीसीडब्ल्यू संहिता के भाग बी में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी सुपरिचायक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(3) पोत सुरक्षा अधिकारी या मास्टर द्वारा सुरक्षा संबंधी सुपरिचायक प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा।

**64. सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—**(1) 1 जनवरी 2014 से प्रवृत्त, वे सभी समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) जो सुरक्षा कर्तव्यों(ड्यूटी) के लिए नामनिर्दिष्ट नहीं हैं वे सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्र धारण करेंगे।

(2) सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,-

(क) जो सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण में अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो, और

(ख) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/ 6 के पैरा 4 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।

**65. सुरक्षा कर्तव्यों के लिए नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए प्रवीणता के प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—**(1) 1 जनवरी 2014 से प्रवृत्त, समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए सुरक्षा कर्तव्यों(ड्यूटी) के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं सभी समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेंगे। उपरोक्त प्रमाणपत्र को सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्रों की अपेक्षा उच्चतर माना जाएगा।

(2) नामनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों(ड्यूटी) वाले समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,--

(क) जो सुरक्षा कर्तव्यों(ड्यूटी) के लिए नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो; और

(ख) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/6 के पैरा 6 से पैरा 8 में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

**66. पोत सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रवीणता प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं—**(1) पोत सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) भी पोत सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करेंगे, ऐसा प्रमाणपत्र सुरक्षा कर्तव्यों के लिए नामनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों(सीफेयरर) के लिए प्रवीणता प्रमाणपत्र और सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण में प्रवीणता प्रमाणपत्र से उच्चतर स्तर का जाना जाएगा।

(2) पोत सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा,-

(क) जिसकी बारह मास से अन्यून की समुद्रगामी अनुमोदित सेवा की हो या समुचित समुद्रगामी सेवा की हो और पोत के प्रचालनों का ज्ञान हो;

(ख) जो पोत सुरक्षा अधिकारी के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर रहा हो; और

(ग) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/5 के पैरा 1 से पैरा 4 में दिए अनुसार पोत सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रवीणता के प्रमाणन के लिए सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

## अध्याय-7

### वैकल्पिक प्रमाणन

**67. वैकल्पिक प्रमाणपत्रों को जारी करना---** (1) इन नियमों के अध्याय 2 और अध्याय 3 में दिए गए प्रमाणन के लिए किसी अपेक्षाओं के होते हुए भी संबंधित मुख्य परीक्षक उक्त अध्यायों में उल्लिखित प्रमाणपत्रों से भिन्न प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं परन्तु यह कि-

(क) सहयुक्त कृत्यों और उत्तरदायित्व के स्तर को एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंडों ए-II/1, ए-II/2, ए-II/3, ए-II/4, ए-II/5 ए-III/1, ए-III/2, ए-III/3, ए-III/4, ए-III/5 तथा ए-IV/2 में से चुने गए हों और उक्त खंडों से जो उपसंज्ञात हों उसके स्वरूप उन प्रमाणपत्रों और पृष्ठांकनों पर विवरणित किया गया हो -

(ख) उन कृत्यों और स्तरों के लिए जो प्रमाणपत्रों और पृष्ठांकनों में विवरणित हैं के लिए एसटीसीडब्ल्यू संहिता के सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट और एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड में जिस प्रकार से दिये गये हैं अभ्यर्थियों ने ऐसा अनुमोदित शिक्षा, और प्रशिक्षण पूरा किया हो;

(ग) प्रमाणपत्र पर विवरणित कृत्यों और स्तरों के निष्पादन के लिए समुचित अनुमोदित समुद्रगामी सेवा अभ्यर्थियों ने पूरी कर ली हो और न्यूनतम समुद्रगामी सेवा की अवधि अध्याय 2 और 3 में यथा विनिर्दिष्ट समुद्रगामी सेवा की अवधि के समतुल्य होगी। तथापि, समुद्रगामी सेवा की न्यूनतम अवधि एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VI/2 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि से कम नहीं होगी;

(घ) प्रचालन के स्तर पर नौचालन का कृत्यों करने वालों के प्रमाणन के लिए अभ्यर्थी नामनिर्दिष्ट रेडियो कर्तव्यों (ड्यूटी) को निष्पादित करने के लिए यथोचित रूप से अध्याय 6 के नियमों की लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगे; और

(ङ) इन नियमों के नियम 5 और एसटीसीडब्ल्यू संहिता के अध्याय 4 में दिए गए उपबन्ध के अनुसरण में प्रमाणपत्रों को जारी किए गया है।

(2) इस अध्याय के अधीन कोई प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि नौवहन महानिदेशक द्वारा एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुच्छेद 4 और विनियम 1/7 के अधीन यथा अपेक्षित रूप से अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन को संसूचित न किया जाए।

**68. समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) का प्रमाणन—**(1) प्रत्येक समुद्रकर्मि (सीफेयरर) जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के अध्याय 2 की सारणी ए-II /1, ए-II/2, ए-II/3, ए-II/4 या ए-II/5 या अध्याय 3 की सारणी ए-III/1, ए-III/2, ए-III/3, ए-III/4 या ए-III/5, या अध्याय 4 की ए-IV में विनिर्दिष्ट किसी कृत्य या कृत्यों के समूह का निष्पादित करता है, वह सक्षमता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र को धारण करेगा।

(2) सारणी ए-II /1 और ए-III/1 में विनिर्दिष्ट कृत्यों में प्रचालन के स्तर पर अध्याय 6 के विनियम VII /1 के पैरा 1.3 में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न होगा :-

(क) जिसकी किसी अर्हित इंजीनियर अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन बारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो जिसके अंतर्गत कम से कम छह माह की इंजन कक्ष कर्तव्यों (ड्यूटी) के निष्पादन भी हो और,

जहां नौचालन कृत्य अपेक्षित हो वहां उसने किसी अर्हित ब्रिज निगरानी अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन ब्रिज निगरानी कर्तव्यों (ड्यूटी) का कम से कम छह मास तक निष्पादन किया हो; और

(ख) जिसने इस सेवा के दौरान पोतस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा किया हो जो कि एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-II/1, ए-III/1 की यथा अनुमोदित सुसंगत अपेक्षाओं को पूरा करता हो और अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में उसे प्रलेखित किया गया हो।

(3) एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-VII /2 तथा ए-III/2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के संयोजन में प्रबंधन स्तर पर अध्याय 8 के उपबन्धों के अधीन प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन में दर्शाए जाने के लिए कृतिक से संबंधित निम्नानुसार अनुमोदित समुद्रगामी सेवा होगी:

(क) पोत की कमान या पोत के मैकेनिकल नोदन का उत्तरदायित्व जिन व्यक्तियों के पास है उससे भिन्न व्यक्तियों के लिए —  
(i) बारह मास तक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय विनियम III/2 या III/3 से संबंधित प्रचालन के स्तर के कर्तव्यों (ड्यूटी) को निष्पादित करना, और

(ii) जहां प्रबंधन स्तर पर नौचालन कृत्यों अपेक्षित है वहां प्रचालन के स्तर पर कम से कम बारह मास तक ब्रिज निगरानी कर्तव्यों (ड्यूटी) का निष्पादन किया हो;

(ख) उनके लिए जिनके पास पोत की कमान है या जो पोत के मैकेनिकल नोदन के लिए उत्तरदायी हैं—(i) एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-III /1 में दिए गये कृत्यों को निष्पादित किए जाने की अड़तालिस मास से अन्यून सेवा की हो जिसके अंतर्गत पृष्ठांकन में दर्शाए जाने वाले कृत्यों से संबंधित खंड (ए) में दिए गए कर्तव्यों (ड्यूटी) को प्रमाणपत्रित अधिकारी के रूप में निष्पादित सेवा से भी है जिसमें चौबीस मास की सेवा उक्त कृत्यों को निष्पादित करने के लिए की गई हो; और

(ii) एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-III/1 और ए-III/2 में दिए गए कृत्यों को चौबीस मास तक निष्पादित किया गया हो।

(4) एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए-II/4 और ए-III/4 में विनिर्दिष्ट कृत्यों में सहयोग के स्तर पर अध्याय 7 के उपबन्धों के अधीन प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न पूरा करेगा,-

(क) अनुमोदित समुद्रगामी में चौबीस मास से अन्यून का अनुभव हो, जो निम्न से मिलकर बनेगा,-

(i) नौचालन निगरानी के कर्तव्यों (ड्यूटी) में बारह मास से अन्यून से सहयुक्त हों; और

(ii) इंजन कक्ष कर्तव्यों (ड्यूटी) से बारह मास से अन्यून से सहयुक्त हों; या

(ख) या तो समुद्र-पूर्व या विशेष पोतस्थ प्रशिक्षण हो, जिसके अंतर्गत समुद्रगामी सेवा की अनुमोदित अवधि भी है जो आठ मास से अन्यून की होगी, जो निम्न से मिलकर बनेगा -

(i) नौचालन निगरानी कर्तव्यों (ड्यूटी) से चार मास से अन्यून से सहयुक्त हों ; और

(ii) इंजन कक्ष कर्तव्यों (ड्यूटी) से चार मास से अन्यून से सहयुक्त हों;

(ग) खंड (4) (ए) और (बी) द्वारा अपेक्षित समुद्रगामी सेवा, प्रशिक्षण और अनुभव समुचित रूप से अर्हित अधिकारी या रेटिंग के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन पालन किया गया है।

(5) एसटीसीडब्ल्यू संहिता की सारणी ए- II /5 और ए- III/5 में अध्याय VII के उपबन्धों के अधीन प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट कृत्यों में सहयोग के स्तर पर, नौचालन और इंजन कक्ष निगरानी के भाग के रूप में रेटिंग के रूप में सेवा करने के लिए अर्हित होगा तथा सक्षमता के उपरोक्त विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करता है और निम्न पूरा किया है,-

(क) तीस मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा, जो निम्न से मिलकर बनेगी,-

(i) योग्य डेक समुद्रकर्म (सीफेयरर) कर्तव्यों (ड्यूटी) के साथ अठारह मास से अन्यून से सहयुक्त हो, और

(ii) योग्य इंजन समुद्रीकर्म (सीफेयरर) कर्तव्यों (ड्यूटी) के साथ बारह मास से अन्यून से सहयुक्त हो, या

(ख) अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कम से कम अठारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो, जो निम्न से मिलकर बनेगी,-

(i) योग्य डेक समुद्रकर्म (सीफेयरर) कर्तव्यों (ड्यूटी) के साथ बारह मास से अन्यून से सहयुक्त हो; और

(ii) योग्य इंजन समुद्रीकर्म (सीफेयरर) कर्तव्यों (ड्यूटी) के साथ छह मास से अन्यून से सहयुक्त हो, या

(ग) अनुमोदित विशेष एकीकृत डेक और इंजन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत डेक और इंजन विभाग की, कम से कम बारह मास से अन्यून की एकीकृत अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो, जो निम्न से मिलकर बनेगी,-

(i) योग्य डेक समुद्रकर्म (सीफेयरर) कर्तव्यों (ड्यूटी) के साथ छह मास से अन्यून से सहयुक्त हो; और

(ii) योग्य इंजन समुद्रीकर्म (सीफेयरर) कर्तव्यों (ड्यूटी) के साथ छह मास से अन्यून से सहयुक्त हो।

**69. वैकल्पिक प्रमाणपत्रों जारी किए जाने को शासित करने वाले सिद्धांत—**(1) संबंधित मुख्य परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन किया जा रहा है, अर्थात्:

(क) किसी भी वैकल्पिक प्रमाणन प्रणाली का तब तक कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाता है कि इन नियमों के अन्य अध्यायों द्वारा उपबन्धित के समतुल्य न्यूनतम स्तर पर समुद्र पर सुरक्षा है और प्रदूषण के विषय में निवारक असर रखा गया है; और

(ख) इस अध्याय के अधीन जारी किए गए वैकल्पिक प्रमाणन के लिए कोई ठहराव इन नियमों के अन्य अध्यायों के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों के साथ पारस्परिक विनमयशीलता का उपबन्ध करेगा।

(2) उप-नियम (1) में पारस्परिक विनमयशीलता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) जो समुद्रकर्म (सीफेयरर) अध्याय 2 या अध्याय 3 की ठहराओं के अधीन प्रमाणपत्रित हैं या अध्याय 7 के अधीन प्रमाणपत्रित हैं वे उन पोतों पर सेवा करने के योग्य हैं जो या तो परंपरागत हैं या अन्य आकार के पोत पटोतन संगठन हैं; और

(ख) ऐसे समुद्रकर्म (सीफेयरर) जो किसी पोत पटोतन के विनिर्दिष्ट ठहरावों के लिए इस प्रकार से प्रशिक्षित नहीं हैं कि वे किसी अन्य स्थान पर अपने कौशलों की योग्यताओं का प्रयोग या हास कर सकें।

- (3) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किसी भी प्रमाणपत्र को जारी करने में निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:-
- (क) वैकल्पिक प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने का प्रयोग निम्न के लिए नहीं किया जाएगा,—
- (i) पोत पर कर्मिंदल की संख्या को घटाने के लिए,
- (ii) समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) की वृत्तिक सत्यनिष्ठा को निम्नतर करने या कौशलहीन करने के लिए, या
- (iii) किसी विशिष्ट निगरानी के दौरान किसी एकल प्रमाणपत्र धारी को इंजन और डेक निगरानी अधिकारियों के संयुक्त कर्तव्यों (ड्यूटी) को सौंपे जाने को न्यायोचित ठहराना; और
- (ख) जिस व्यक्ति के पास कमान होगी वह मास्टर के रूप में नामनिर्दिष्ट होगा; और मास्टर और अन्य के विधिक पद और प्राधिकार को वैकल्पिक प्रमाणन के लिए किसी ठहराव के कार्यान्वयन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।
- 4 उप-नियम(1) और (2) में अंतर्विष्ट सिद्धांतों से यह सुनिश्चित हो कि डेक और इंजन अधिकारियों की सक्षमता बनाये रखा गया है।

## अध्याय 8

### निगरानी

**70. कर्तव्यों (ड्यूटी) के लिए उपयुक्तता—**(1) कंपनी, थकावट को रोकने के प्रयोजन से निम्न करेगी -

- (क) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-VII/1 में यथा विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में निगरानी कार्मिकों और उनके लिए जिनके कर्तव्यों (ड्यूटी) में नामनिर्दिष्ट सुरक्षा, रक्षा और प्रदूषण के रोकथाम के कर्तव्य (ड्यूटी) अंतर्गस्त हैं उनके लिए विश्राम की अवधियों को स्थापित कर उसका प्रवर्तन करेगी, और
- (ख) यह अपेक्षा होगी कि निगरानी प्रणाली में इस प्रकार से ठहराव हो कि सभी निगरानी कार्मिकों की थकान के कारण उनकी दक्षता का ह्रास न हो और उनके कर्तव्यों (ड्यूटी) को इस तरह से संगठित किया जाए कि जल यात्रा के प्रारंभ में पहली निगरानी और पश्चातवर्ती निगरानियों से भारमुक्त होने के बीच उन्हें पर्याप्त विश्राम मिल सके और कर्तव्य (ड्यूटी) के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।
- (2) उप-नियम (1) के खंड (ए) की अपेक्षाओं की अनुपालन में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) कंपनी उन समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) जिनके कर्तव्यों (ड्यूटी) में पोत की सुरक्षा और रक्षा अंतर्गस्त है की थकान द्वारा स्तंभित खतरे का विशेष रूप से ध्यान रखेगी;
- (ख) ऐसे सभी व्यक्तियों जिनको निगरानी के भारसाधक अधिकारी या निगरानी का भाग बनने वाले रेटिंग के रूप में के कर्तव्य (ड्यूटी) सौंपे गए हैं और जिसके कर्तव्यों में नामनिर्दिष्ट सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम और रक्षा कर्तव्य (ड्यूटी) अंतर्गस्त है उसे निम्न से अन्यून अवधि का विश्राम प्रदान किया गया हो,—
- प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि में न्यूनतम दस घंटे; और
  - प्रत्येक सात दिन की अवधि में न्यूनतम सतहत्तर घंटे;
- (ग) विश्राम के घंटों को दो से अनधिक अवधियों में विभक्त किया जाएगा, जिसमें से एक की समयावधि कम से कम छह घंटे की होगी, और विश्राम की क्रमिक अवधियों के बीच चौदह घंटों से अधिक के अंतराल नहीं होंगे।
- (घ) खंड (बी) और (सी) में अधिकथित विश्राम की अवधियों के लिए अपेक्षाओं को आपात स्थिति में या प्रचालन की अन्य अभिभावी शर्तों की दशा में बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है,
- (ङ) कंपनी या नौवहन महानिदेशक और अन्तरराष्ट्रीय लिखतों द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की हाजिरी लेना, अग्नि शमन और जीवन रक्षक अभ्यासों का संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि विश्राम की अवधियों में न्यूनतम व्यवधान आए और थकान उत्प्रेरित न हो;
- (च) कंपनी से अपेक्षा होगी कि निगरानी की अनुसूचियों को वहां पर लगाई जाए जहां कि उन तक आसानी से पहुंच हो और अनुसूचियों को पोत की भाषा या कार्यकरण की भाषा या अंग्रेजी में मानकीकृत प्ररूप में स्थापित की गई हों;

(छ) जब मशीनरी स्थान पर ध्यान रखने या उसे चलाने आदि के लिए कोई न हो तो ऐसे में जब कोई समुद्रकर्मि (सीफेयरर) कार्य पर हो जैसे कि कोई मशीनरी स्थान बिना किसी की देखभाल के है, बंद है या परिचालन आदि में है, ऐसे में कार्य की वजह से यदि आराम की सामान्य अवधि में व्यवधान आया हो तो समुद्रकर्मि को उसके लिए समुचित क्षतिपूर्क विश्राम की अवधि रखता हो;

(झ) कंपनी से यह अपेक्षा होगी कि वह मानकीकृत प्ररूप में समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) के विश्राम के दैनिक घंटों का अभिलेखों कार्यकरण की भाषा या पोत की भाषा और अंग्रेजी में रखेगी, जिससे उसमें यथा विनिर्दिष्ट अनुपालन को मॉनीटर करने और उसके सत्यापन को अनुज्ञात किया जा सके और समुद्रकर्मि (सीफेयरर) ने उससे संबंधित उन अभिलेखों की एक प्रति प्राप्त की हो जो मास्टर द्वारा या मास्टर और समुद्रकर्मि (सीफेयरर) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकित हो;

(ञ) इस उप-नियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि पोत के मास्टर के पोत पर सवार व्यक्तियों या स्थोरा की तत्काल सुरक्षा, या अन्य पोतों या व्यक्तियों की सहायता करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कार्य के घंटों का पालन करने के लिए समुद्रकर्मि (सीफेयरर) से अपेक्षा करने का उसके अधिकार का ह्रास हो गया है। तदनुसार मास्टर विश्राम के घंटों की समय सारणी को निलंबित कर सकेगा और समुद्रकर्मि (सीफेयरर) से किन्हीं कार्य के घंटों का पालन करने की तब तक अपेक्षा कर सकेगा जब तक सामान्य स्थिति प्रत्यवर्तित नहीं हो जाते और सामान्य स्थिति के प्रत्यवर्तित हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र व्यवहार्य हो जाने पर मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्रकर्मि (सीफेयरर) जिसने निर्धारित विश्राम की अवधि में कार्य का पालन किया है उसके लिए समुचित विश्राम अवधि का प्रबंध किया जाये;

(ट) इस नियम के खंड (बी) और खंड (सी) के उप-खंड (2) में विश्राम के अपेक्षित घंटों को नौवहन महानिदेशक शिथिल कर सकता है:

परन्तु यह कि प्रत्येक सात दिन में आराम की अवधि किसी भी अवधि में सत्तर घंटों से कम की नहीं होगी:

यह और कि खंड (बी) के उप-खंड (2) में उपबन्धित साप्ताहिक विश्राम की अवधि में शिथिलता दो अनुक्रमिक सप्ताह से अधिक के लिए अनुज्ञात नहीं की जायेगी। पोत पर शिथिलता दो अवधियों के बीच अंतराल ऐसी शिथिलता की अवधि के दोगुने से कम नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि खंड (बी) के उप-खंड (1) में दिए गए विश्राम के घंटों को तीन अवधियों में विभक्त किया जाएगा, जिसमें से एक कम से कम छह घंटे लम्बी अवधि की होगी और शेष दोनों अवधियों में से कोई भी एक घंटे से कम

लम्बी नहीं होगी। विश्राम की क्रमिक अवधियों के बीच के अंतराल चौदह घंटे से अधिक के न होंगे, यदि कोई शिथिलीकरण प्रत्येक सात दिवस की किसी अवधि में 24 घंटे के दो अंतरालों से अधिक का विस्तार किया गया है और ऐसा शिथिलीकरण खंड बी-VIII/1 में यथा विनिर्दिष्ट थकान के निवारण के विषय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्याधीन होगा।

(3) नौवहन महानिदेशक, एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड बी VIII/1 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संहिता के खंड ए VIII/1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसरण में औषधि और मद्यसार के दुरुपयोग के निवारण करने के प्रयोजन के लिए समुचित उपायों को स्थापित करेगा और वह औषधि और मद्यसार के दुरुपयोग के निवारण करने के प्रयोजन से मास्टरों, अधिकारियों और अन्य समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) को उनके नामनिर्दिष्ट सुरक्षा, रक्षा और समुद्रीय पर्यावरणीय कर्तव्यों (ड्यूटी) का निष्पादन के दौरान उनके रक्त में मद्यसार का स्तर (बीएसी) 0.05% प्रतिशत या श्वास में मद्यसार 0.25 मिग्रा/लीटर या मद्यसार की ऐसी मात्रा जो उपरोक्त मद्यसार की सांद्रता के समान पहुँचती हो उससे अनधिक की एक सीमा स्थापित करेगा।

**71 निगरानी व्यवस्थाएं और पालन किए जाने वाले सिद्धांत—**(1) एसटीसीडब्ल्यू संहिता में दी गई अपेक्षाओं, सिद्धांतों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन कंपनियां, मास्टर, मुख्य इंजीनियर अधिकारी, और सभी निगरानी कार्मिक करेंगे और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुद्रगामी पोतों पर सदैव निरंतर सुरक्षित निगरानी या अभिभावी परिस्थितियों और शर्तों के अनुसार समुचित निगरानियां बनाए रखी गई हैं।

(2) प्रत्येक पोत का मास्टर अभिभावी परिस्थितियों और शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए और मास्टर के साधारण निदेशन के अधीन यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा निगरानी या निगरानियों को बनाए रखने के लिए निगरानी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं--

(क) नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारियों ऐसे सभी समयों पर जब वे नौचालन ब्रिज पर वस्तुतः उपस्थित रहें या प्रत्यक्षतः किसी स्थल से सहयुक्त हो जैसे कि चार्टकक्ष या ब्रिज नियंत्रण कक्ष में हों, उनकी कर्तव्य (ड्यूटी) की अवधियों के दौरान पोत के सुरक्षित नौचालन के लिए वे उत्तरदायी हैं

(ख) अपनी कर्तव्य (ड्यूटी) की अवधियों के दौरान समुचित आवृत्तियों पर निरंतर रेडियो निगरानी को बनाए रखने के लिए रेडियो प्रचालक उत्तरदायी हैं;

(ग) एसटीसीडब्ल्यू संहिता में यथापरिभाषित इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी, मुख्य इंजीनियर अधिकारी के निदेशन में, तथा मशीनरी स्थान की देखभाल के लिए बुलाए जाने पर तत्काल उपलब्ध होगा और, यथावश्यक रूप से अपनी उत्तरदायित्व की अवधियों के दौरान जब अपेक्षित हो मशीनरी स्थान में वस्तुतः उपस्थित रहेगा;

(घ) निरंतर सुरक्षा के प्रयोजन से समुचित और प्रभावी निगरानी या निगरानियों को बनाए रखना होगा, पोत पर जिस समय लंगर पड़ा हो या पोत बंधा हुआ हो, यदि पोत खतरनाक स्थोरा ले जा रहा हो, ऐसी निगरानियों के संगठन उस परिसंकटमय स्थोरा की प्रकृति, मात्रा, पैक करने और भराई तथा तैरते समय पटोत्तन पर अभिभावी किन्हीं विशेष दशाओं का पूरा विवरण लेगे; और

(ङ) सुरक्षा के प्रयोजन के लिए यथालागू समुचित और प्रभावी निगरानी या निगरानियों को बनाए रखा जाएगा।

## अध्याय 9

### प्रकीर्ण उपबन्ध

**72. अवचार के दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई—**(1) अभ्यर्थियों द्वारा प्ररूप 29 में आवेदन को भरते समय ऐसी विशिष्टियों को देने का प्रतिषेध है जो कि मिथ्या है या जिसमें किसी तत्त्विक जानकारी को छिपाया गया है। अभ्यर्थियों के लिए इस बात का भी निषेध है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज या उसकी अनुप्रमाणित या प्रमाणित प्रति में किसी प्रविष्टि को सुधारने या परिवर्तन करने या अन्यथा बिगाड़ने देंगे और न ही वे बिगाड़ा हुआ या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। यदि दो या दो से अधिक ऐसे दस्तावेजों के बीच कोई परिशुद्धि या कोई फर्क है तो ऐसे फर्क के बारे में स्पष्टीकरण दिया जायेगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा दोषी है या जो दोषी रहा है या घोषित किया है वह निम्न का दोषी होगा-

(क) किसी भी साधन से अपनी या अपने अभ्यर्थिता के लिए का समर्थन प्राप्त करने का; या

(ख) प्रतिरूपण करने का; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करने का; या

(घ) कूटरचित दस्तावेज या बिगाड़े गये दस्तावेज को प्रस्तुत करने का; या

(ङ) ऐसे कथन करना जो कि गलत या मिथ्या हो या जिसमें तात्विक सूचना को छिपाया गया है करने का; या

(च) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लेने का; या

(छ) परीक्षा के दौरान नावाजिब साधनों का प्रयोग करने का; या

(ज) लिपि में असंगत सामग्री लिखना का जिसके अंतर्गत अभद्र भाषा या अश्लील सामग्री भी है; या

(झ) परीक्षा हॉल में किसी भी अन्य रीति से कदाचार करने का, या

(ञ) संबंधित परीक्षक द्वारा परीक्षा का संचालन किए जाने के लिए नियोजित कर्मचारियों या प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों को तंग करना या शारीरिक क्षति कारित करने का; या

(ट) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट कृत्यों में से सभी का या किसी एक को करने का प्रयत्न करना या, यथास्थिति पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट कृत्यों में से सभी का यह किसी एक को करने का दुष्प्रेरण करने का हो,

को -उप-नियम(3) के अधीन यथा उपबन्धित दंडात्मक उपाय किए जाने के अध्याधीन होंगे।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जो इस नियम के उप-नियम(2) के अधीन दोषी या दोषी घोषित किया जायेगा,

(क) उसे संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा जिस परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता है उसके लिए उसे निरहित किया जाएगा; या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि हेतु निम्न के लिए विवर्जित किया जाएगा,--

(i) संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा उसके द्वारा संचालित किसी परीक्षा के लिए या निर्धारण किये जाने के लिए;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी नियोजन से; और

(ग) यदि वह पहले से ही किसी सेवा में है तो ऐसी सेवा के सुसंगत नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बातों के होते हुए भी, जो अभ्यर्थी संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा, वह इस अधिनियम के अधीन दाण्डिक अभियोजन चलाये जाने के लिए भी दायी होगा।

**73 अपील प्राधिकारी और अपील की प्रक्रियाएं—**(1) कोई समुद्रकर्म (सीफेयरर) जो इन नियमों के अधीन नौवहन महानिदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा तैयार किसी आदेश से व्यथित है वह उस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर नौवहन महानिदेशक को अपील कर सकेगा।

(2) कोई अपील यदि अपील किए जाने के लिए विहित अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् की गई है तो स्वीकार्य नहीं की जायेगी:

परन्तु यह कि विहित अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् अपील स्वीकार्य की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपील्य प्राधिकारी को इस बात का समाधान कर देता है कि विहित अवधि के भीतर अपील न किये जाने का उसके पास पर्याप्त कारण है।

(3) इस नियम के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(4) किसी अपील का निपटान करने से पहले अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(5) अपील को यथासंभव यथाशीघ्र निपटाया जाएगा, जो इस आदेश को किये जाने के छह मास की अवधि के भीतर होगा।

(6) अपील प्राधिकारी को जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वह उसकी पुष्टि, उसमें परिवर्तन या उसे उलट सकता है।

**74. छूट और अभिमुक्ति प्राप्त करने की शक्ति—**(1) जब नौवहन महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हो कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय और इन नियमों के उपबन्धों की संपूर्ण अपेक्षाओं को लागू करना आयुक्तियुक्त और असाधनीय है, जो वह किसी समुद्रकर्म (सीफेयरर) को ऐसे अपवादों और शर्तों की अपेक्षाओं से लिखित में आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकता है।

(2) रेडियो अधिकारी या रेडियो टेलीफोन प्रचालक (ऑपरेटर) से भिन्न की क्षमता में, सिवाय उस दशा के जिसमें सुसंगत रेडियो विनियमों में यथाउपबन्धित समुचित प्रमाणपत्र जिसे वह जिसे वह धारण नहीं करता है संबंधित मुख्य परीक्षक की असाधारण आवश्यक परिस्थितियों के अधीन यदि यह राय हो कि व्यक्तियों, सम्पत्ति या पर्यावरण को ऐसी किसी बात से खतरा नहीं है तो वह छह मास से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधिके लिए विनिर्दिष्ट पोत पर सेवा करने के विनिर्दिष्ट समुद्रकर्म (सीफेयरर) को अभिमुक्ति की अनुज्ञा जारी कर सकता है।

परन्तु यह कि वह जिस व्यक्ति को ऐसी अभिमुक्ति जारी की गई है वह संबंधित मुख्य परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार रिक्त पद पर सुरक्षित रीति से भरे जाने के लिए समुचित रूप से अर्हित होगा, किंतु ऐसी अभिमुक्ति मास्टर या मुख्य इंजीनियर अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बाध्यकारी अपरिहार्य परिस्थितियों के सिवाय प्रदान नहीं की जायेगी और यह यथासाध्य अल्पतम अवधि के लिए ही होगी।

(3) पद को भरने के लिए अभिमुक्ति केवल उसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो कि उससे तत्काल नीचे के पद को भरने के लिए उपयुक्त रूप से प्रमाणपत्रित हो। जहां एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय द्वारा और इन नियमों के अधीन जहां नीचे के पद के लिए प्रमाणन अपेक्षित नहीं है, वहां संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा उस समुद्रकर्म (सीफेयरर) को अभिमुक्ति जारी की जाएगी जिसकी अर्हता और अनुभव संबंधित मुख्य परीक्षक के राय में भरे जाने वाले पद के लिए अपेक्षाओं के समतुल्य है:

परन्तु यह कि ऐसा समुद्रकर्म (सीफेयरर) जो समुचित प्रमाणपत्र धारण करता है, उससे यह अपेक्षा होगी कि वह संबंधित मुख्य परीक्षक द्वारा विहित परीक्षण पास होगा और संबंधित मुख्य परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत पद यथासंभव शीघ्र समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र के धारक द्वारा भरा जाएगा।

(4) नौवहन महानिदेशक प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक क्षमता की बाबत जारी की गई अभिमुक्तियों जिसके लिए समुद्रगामी पोतों को वर्ष के दौरान प्रमाणपत्र जारी किये गए हैं महासचिव को उसकी एक रिपोर्ट क्रमशः 1600 से उच्च या निम्न सकल टनभार वाले ऐसे रजिस्ट्रीकृत पोतों की कुल संख्या के बारे में जानकारी के साथ भेजेगा।

**75 नौवहन महानिदेशक द्वारा पर्यवेक्षण —**(1) नौवहन महानिदेशक यह पर्यवेक्षण करेगा कि प्रमाणन के लिए समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) का समस्त प्रशिक्षण और निर्धारण निम्नानुसार है:

(क) लिखित कार्यक्रमों के अनुसरण में संरचित है जिसके अंतर्गत ऐसी पद्धतियां और परिदान के माध्यम, प्रक्रिया और पाठ्यक्रम सामग्री भी है जो एसटीसीडब्ल्यू संहिता के अध्याय II से अध्याय VIII में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करने यथा आवश्यक हैं; और

(ख) एसटीसीडब्ल्यू संहिता के खंड ए-1/6 के पैरा 3 से पैरा 6 के अनुसरण में अर्हित व्यक्तियों द्वारा संचालित, मॉनीटर, मूल्यांकन किया गया और समर्थित हैं।

**76. खो गए या क्षतिग्रस्त हो गए प्रमाण पत्रों को बदला जाना—**(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र क्षतिग्रस्त हो गया है या खो गया है वह उसकी दूसरी प्रति दिए जाने के लिए प्रमाणपत्र देने वाले, समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी को आवेदन कर सकता है जिसने प्रमाणपत्र परिदत्त किया था।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र प्ररूप 30 में किया जाएगा और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस उसके साथ संलग्न होगी;-

परन्तु यह कि पोत पर आग लगने या पोत को पूरी तरह हानि हो जाने के कारण प्रमाणपत्र की हानि की दशा में कोई फीस नहीं लिया जाएगा।

(3) उप-नियम(1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्रधान अधिकारी, उसे संबंधित मुख्य परीक्षक के निर्दिष्ट करेगा जो ऐसी जाँच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, आवेदक को यथासाध्य शीघ्रता से संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति देगा किंतु यह किसी भी दशा में छह मास की अवधि के अपश्चात् हो।

**77. परीक्षा परिणामों का पुनर्विलोकन-** ऐसा अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में असफल घोषित किया गया है वह प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग को परिणामों की घोषणा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर परिणामों की पुनर्विलोकन के लिए प्ररूप 31 में आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन के साथ अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी। प्रधान अधिकारी आवेदन संबंधित मुख्य परीक्षक के पास अग्रेषित करेगा ऐसे किसी परीक्षक से भिन्न परीक्षक को जिसका मूलतः परीक्षा से व्यवहार है, मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन के समानुदेशित करेगा। ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम अनुमोदित होने पर अंतिम होंगे और ऐसे पुनर्विलोकन के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

**78 फीस—**(1) प्रत्येक अभ्यर्थी यथास्थिति परीक्षा देने या पूछताछ करने के लिए जब आवेदन करता है तो वह प्रत्येक अवसर पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के मापमान के अनुसार फीस का संदाय करेगा।

(2) इन नियमों के अधीन संदत फीस का प्रतिसंदाय नहीं किया जाएगा।

**79. निरसन—**(1) वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयरर प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक) नियम, 1998 को निरसित किया जाता है।

(क) निरसित नियमों के अधीन जारी किए गए सभी प्रमाणपत्र उनके समाप्त होने की तारीख तक विधिमान्य बने रहेंगे और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन पुनर्विधिमान्यकरण के लिए लागू होंगे।

(ख) निरसित नियमों के अधीन की गई सभी नियुक्तियों, किए गए कार्य या किये जाने से लोग किए गए कार्य इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किए गए कार्य या किए जाने से लोग किए गए किया समझा जाएगा।

(2) उप-नियम(1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, नौवहन महानिदेशक इन नियमों के आरंभ से पहले जारी किए गए किन्हीं प्रमाणपत्रों को पुनर्विधिमान्यकरण किए जाने, जारी किए जाने, निलंबित या निरस्त किए जाने के लिए मानदंड, प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करेगा।

**अनुसूची**  
**फीस**  
**(नियम 78 देखें)**

क्र.स.	रैंक	नियम	लिखित परीक्षा रू. में	मौखिक परीक्षा रू.में
1	500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी (विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट)	20		
	क) नौचालन		1000	1000
	ख) स्थोरा हैंडलिंग और नौभरण		1000	1000
	ग) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना		1000	1000
2	घ) रेडियो संचार 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मुख्य मेट (विदेशगामी पोत का प्रथम मेट)	21	1000	1000
	क) नौचालन		3000	3000
	ख) स्थोरा हैंडलिंग और नौभरण		3000	3000
	ग) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना		3000	3000
3	3000 या उससे अधिक हजार सकल टनभार के पोतों पर मास्टर (विदेशगामी पोत का मास्टर)	22	12000	12000
4	एक्स्ट्रा मास्टर	23	12000	12000
5	500 और 3000 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मुख्य मेट (विदेशगामी पोत का मुख्य मेट)	24		
	क) नौचालन		2000	2000
	ख) स्थोरा हैंडलिंग और नौभरण		2000	2000
	ग) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना		2000	2000
6	500 और 3000 सकल टनभार के बीच के पोतों का मास्टर (विदेशगामी पोत का मास्टर)	25	6000	6000
7	तट समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 या अधिक सकल टनभार वाले पोतों पर नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी (नौचालन निगरानी अधिकारी)	26		
	क) नौचालन		500	500
	ख) स्थोरा हैंडलिंग और नौभरण		500	500
	ग) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना		500	500
8	तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के	27		

	बीच के पोतों पर मुख्य मेट क) नौचालन ख) स्थोरा हैंडलिंग और नौभरण ग) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना		2000 2000 2000	2000 2000 2000
9	तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मास्टर	28	6000	6000
10	तट समीपीय जल यात्राओं में लगे 500 सकल टनभार के कम के पोतों पर नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी	31		
	क) नौचालन ख) स्थोरा हैंडलिंग और नौभरण ग) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देख भाल करना		500 500 500	500 500 500
11	तट समीपीय जल यात्राओं में लगे 500 सकल टनभार के कम के पोतों पर मास्टर	32	2000	2000
12	नौचालन निगरानी के भाग बनने वाले रेटिंग	33		1500
13	योग्य डेक समुद्रकर्म (सीफियर)	34		3000
14	मानवयुक्त इंजन कक्ष में इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी या फिर आवधिक रूप से मानवरहित इंजन कक्ष में नामनिर्दिष्ट इंजीनियर (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 )	35		
	क) समुद्री इंजीनियरी ख) इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी ग) अनुरक्षण और मरम्मत		1000 1000 1000	1000 1000 1000
15	घ) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना तटसमीपीय जलयात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की नोदन शक्ति की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर मानवयुक्त इंजन कक्ष में इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी या आवधिक रूप से मानवरहित इंजन कक्ष में नामनिर्दिष्ट ड्यूटी इंजीनियर (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4- तट समीपीय जल यात्राएं)	41	1000	1000
	क) समुद्री इंजीनियरी ख) इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी ग) अनुरक्षण और मरम्मत		500 500 500	500 500 500
16	घ) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर	36	500	500

	अधिकारी श्रेणी 2) क) समुद्री इंजीनियरी ख) इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी		3000 3000	3000 3000
	ग) अनुरक्षण और मरम्मत		3000	3000
17	घ) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना 3000 किलोवाट या उससे अधिक की नोदन शक्ति की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1)	37	3000 12000	3000 12000
18	टैंकरों से भिन्न तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे 3000 किलोवाट और 8000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 एनसीवी)	44		
	क) समुद्री इंजीनियरी		2000	2000
	ख) इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी ग) अनुरक्षण और मरम्मत घ) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखरेख करना		2000 2000 2000	2000 2000 2000
19	टैंकरों से भिन्न तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे 3000 किलोवाट और 8000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1 एनसीवी)	45	6000	6000
20	750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3- द्वितीय इंजीनियर अधिकारी 3000 किलोवाट तक सीमित ) क) समुद्री इंजीनियरी	39	2000	2000
	ख) इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी		2000	2000
	ग) अनुरक्षण और मरम्मत		2000	2000
	घ) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना		2000	2000
21	750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3-मुख्य इंजीनियर 3000 किलोवाट तक सीमित)	40	6000	6000
22	तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3- द्वितीय इंजीनियर अधिकारी- तटसमीपीय जल यात्रा)	42		
	क) समुद्री इंजीनियरी		2000	2000

	ख) इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी		2000	2000
	ग) अनुरक्षण और मरम्मत		2000	2000
	घ) पोत के प्रचालन को नियंत्रित करना और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल करना		2000	2000
23	तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की नोदन शक्ति की मुख्य नोदन पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3- मुख्य इंजीनियर अधिकारी- तट समीपीय जल यात्रा)	43	6000	6000
24	एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर	38	12000	12000
25	इंजन कक्ष निगरानी का भाग बनने वाला रेटिंग	46		1500
26	योग्य इंजन कर्मी	47		2500
27	इलेक्ट्रो तकनीकी अधिकारी	48		
	क) समुद्री इंजीनियरी		1500	1500
	ख) इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी		1500	1500
	ग) अनुरक्षण और मरम्मत		1500	1500
28	इलेक्ट्रो- तकनीकी रेटिंग	49		1500

क्र.सं.	प्रयोजन	नियम	फीस रु. में
29	सक्षमता प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्य प्रति जारी करना	76	3000
30	परीक्षा परिणामों की पुनर्विलोकन	77	
	क) तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे पोतों पर या विदेशगामी पोत के सहयोग के स्तर का प्रमाण पत्र		1500
	ख) विदेशगामी पोत के प्रचालन के स्तर का प्रमाण पत्र		6000
	ग) विदेशगामी पोत के प्रबंधन के स्तर का प्रमाण पत्र		1500
	घ) तटसमीपीय जलयात्राओं में लगे पोत के प्रचालन के स्तर का प्रमाण पत्र		3000
	ड) तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे पोत के प्रबंधन के स्तर का प्रमाण पत्र		6000
31	हार्ड कवर प्रमाण पत्रों का लेखन		
	क) सहयोग स्तर के प्रमाण पत्र		750
	ख) विदेशगामी पोत के प्रचालन और प्रबंधन के स्तर के प्रमाणपत्र		3000
	ग) तटसमीपीय जल यात्राओं में लगे पोत के प्रचालन और प्रबंधन स्तर के प्रमाणपत्र		1500
32	परीक्षा के किसी भाग की पात्रता या छूट या दोनों के निर्धारण के संबंध में पूछताछ के प्रत्येक अवसर पर		3000
33	तेल या रसायन या द्रवीकृत गैस टैंकर के प्रत्येक आधारभूत प्रशिक्षण के लिए प्रवीणता प्रमाण पत्र जारी किया जाना	52, 53, 54	3000
34	तेल या रसायन या द्रवीकृत गैस टैंकर के प्रत्येक उन्नत प्रशिक्षण के लिए	52, 53, 54	4500

35	प्रवीणता प्रमाणपत्र जारी किया जाना।		
36	सक्षमता प्रमाण पत्र का पुनर्विधिमान्यकरण		5000
37	प्रचालन के स्तर के सक्षमता प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए पृष्ठांकन जारी किया जाना	5(9)	5000
38	प्रचालन के स्तर की प्रवीणता के प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए पृष्ठांकन जारी किया जाना	5(9)	3000
39	प्रबंधन के स्तर के सक्षमता के प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए पृष्ठांकन जारी किया जाना	5(9)	6000
39	प्रबंधन स्तर की प्रवीणता के प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए पृष्ठांकन जारी किया जाना	5(9)	6000

### परिशिष्ट

इस परिशिष्ट में निम्नलिखित प्ररूपों के रूप विधान संलग्न हैं:

प्ररूप सं.	नियम सं.	रैंक
1	20	विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट(500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी)
2	21	विदेशगामी पोत का प्रथम मेट (3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मुख्य मेट)
3	22	विदेशगामी पोत पर मास्टर (3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर मास्टर)
4	23	एक्स्ट्रा मास्टर
5	24	विदेशगामी पोत का प्रथम मेट (500 और 3000 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मुख्य मेट)
6	25	विदेशगामी पोत का मास्टर (500 सकल टनभार के बीच के पोतों पर मास्टर)
7	26	नौचालन निगरानी रखने वाला अधिकारी (एनसीवी) (तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोतों पर नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी)
8	27	तट समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 और 6000 सकल टनभार के बीच के पोत का मुख्य मेट
9	28	तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 500 सकल से 6000 सकल टनभार के बीच के पोत का मास्टर
10	31	तट समीपीय जल यात्राओं में लगाये गए 500 सकल और 6000 सकल टनभार से कम के पोत की नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी
11	32	तट समीपीय यात्राओं में लगा 500 सकल टनभार से कम के पोत का मास्टर
12	33	नौचालन निगरानी का भाग बनने वाला रेटिंग
13	34	योग्य डेक समुद्रीकर्मी(सीफेयरर)
14	35	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 (मानवयुक्त इंजन कक्ष में इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी या आवधिक रूप से मानव रहित इंजन कक्ष में नामनिर्दिष्ट ड्यूटी इंजीनियर)
15	36	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 (3000 किलोवाट या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)
16	37	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1 (3000 किलोवाट या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी)

17	38	एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर
18	39	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 (750 किलोवाट तथा 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)
19	40	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 मुख्य इंजीनियर अधिकारी 3000 किलोवाट तक सीमित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों मुख्य इंजीनियर अधिकारी)
20	41	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 एनसीवी (तट समीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों के मानवयुक्त इंजन कक्ष में इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी या आवधिक रूप से व्यक्ति रहित इंजन कक्ष में नामनिर्दिष्ट ड्यूटी इंजीनियर)
21	42	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 द्वितीय इंजीनियर अधिकारी (एनसीवी) (तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)
22	43	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 मुख्य इंजीनियर अधिकारी (एनसीवी) (तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी)
23	44	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 (एनसीवी) (तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित 3000 किलोवाट से 8000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)
24	45	समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1 (एनसीवी) (टैंकरों से भिन्न तटसमीपीय जल यात्राओं में 3000 किलोवाट और 8000 किलोवाट के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्तिप्रदत्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी)
25	46	इंजन कक्ष निगरानी का भाग बनने वाला रेटिंग
26	47	योग्य डेक समुद्रीकर्मी
27	48	इलेक्ट्रो-तकनीकी अधिकारी
28	49	इलेक्ट्रो-तकनीकी रेटिंग
29	72	वाणिज्य पोत (एसटीसीडब्ल्यू) नियम, 2011 के अधीन प्रमाणपत्रों के लिए परीक्षा और प्रमाणन के लिए आवेदन
30	76	सक्षमता प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्य प्रति को जारी किए जाने के लिए आवेदन
31	77	वाणिज्य पोत (एसटीसीडब्ल्यू) नियम, 2011 के नियम 77 के अधीन प्रमाणपत्रों के लिए परीक्षा और प्रमाणन के लिए आवेदन
32	5(9)	सक्षमता प्रमाण पत्र की मान्यता को सत्यापित करने के लिए पृष्ठांकन
33	5(9)	प्रवीणता प्रमाण पत्र की मान्यता को सत्यापित करने के लिए पृष्ठांकन
34	51	जीएम डीएसएस रेडियो प्रचालक(ऑपरेटर)

**प्ररूप 1**  
(नियम 20 देखिए)

**भारत सरकार**

**विदेशगामी पोत के द्वितीय मेट के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(500 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत पर नौचालन निगरानी का भार साधक अधिकारी)

**(एसटीसीडबल्यू अभिसमय का विनियम II/1)**

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।


सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर विदेशगामी पोत के द्वितीय मेट (नौचालन निगरानी के भार साधक अधिकारी) के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/1 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और ..... तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडबल्यू अभिसमय के विनियम II/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)


प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

( )  
मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता .....तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 2**  
**(नियम 21 देखिए)**

**भारत सरकार**

**विदेशगामी पोत के प्रथम मेट के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत का प्रथम मेट)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II/2)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर विदेशगामी पोत के प्रथम मेट (3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत पर प्रथम मेट) के कर्तव्यों (ज्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और ..... तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम II/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )  
उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

( )  
मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है



..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो



(शासकीय मुहर)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 3**

(नियम 22 देखिए)

**भारत सरकार****विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत का मास्टर)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर विदेशगामी पोत के प्रथम मेट (3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत पर प्रथम मेट) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और ..... तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं० ..... तारीख ..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम II/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप नॉटिकल सलाहकार

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

नॉटिकल सलाहकार

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता .....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता .....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 4**  
(नियम 23 देखिए)

**भारत सरकार**

(एक्स्ट्रा मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र)

**वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र**

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर विदेशगामी पोत के प्रथम मेट के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

यह प्रमाण पत्र तारीख..... की----- परीक्षा पास करने पर दिया जाता है।

प्रमाण पत्र सं०.....तारीख.....को जारी किया गया।

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार  
भारत सरकार

**प्ररूप 5**  
(नियम 24 देखिए)  
**भारत सरकार**

**विदेशगामी पोत के प्रथम मेट के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(500 से 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत पर मुख्य मेट)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II/2)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में विदेशगामी पोत के प्रथम मेट (500 से 3000 सकल टनभार या अधिक के पोत पर मुख्य मेट) के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और ..... तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 6**  
(नियम 25 देखिए)

**भारत सरकार**

**विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(500 से 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत का मास्टर)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II /2)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44 ) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में विदेशगामी पोत के मास्टर (500 से 3000 या उससे अधिक सकल टनभार के पोत पर मास्टर) के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II /2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और ..... तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम II/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 7**

(नियम 26 देखिए)

**भारत सरकार****नौचालन निगरानी अधिकारी के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र****(तट समीपीय जलयानों में प्रचालित 500 या उससे अधिक सकल टन भार के पोतों के नौचालन निगरानी का भार साधक अधिकारी)**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय 1/3 के साथ पठित विनियम 11/1)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम 1/3 के साथ पठित विनियम 11/1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर नौचालन निगरानी अधिकारी (एनसीवी) के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम 11/1 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और ..... तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक तट समीपीय जलयानों में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप नौ सलाहकार

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

नौ सलाहकार

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 8**

(नियम 27 देखिए)

**भारत सरकार**

**तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालित 500 और 6000 सकल टन भार के बीच वाले पोतों के मुख्य मेट के रूप सक्षमता प्रमाण पत्र**  
(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम I/3 के साथ पठित विनियम II/1)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम I/3 के साथ पठित विनियम II/2)  
वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर 500 और 6000 सकल टन भार के तटसमीपीय जलयात्रा पोत पर मुख्य मेट के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44)के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और .....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक तट समीपीय जलयात्रा में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 9**  
(नियम 28 देखिए)

**भारत सरकार**

**(तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालित 500 और 6000 सकल टन भार के बीच वाले पोतों के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र)**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम 1/3 के साथ पठित विनियम 11/2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर 500 और 6000 सकल टन भार के तटसमीपीय जलयात्रा के पोत पर मास्टर के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम 11/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और..... तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक तट समीपीय जलयात्रा में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता .....तक के लिए बढ़ाई जाती है



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 10**  
(नियम 31 देखिए)

**भारत सरकार**

**तट समीपीय जलयानों में प्रचालित 500 से कम सकल टन भार के पोतों के नौचालन निगरानी के भार साधक अधिकारी के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम 1/3 के साथ पठित विनियम 11/3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर तट समीपीय जलयानों में प्रचालित 500 से कम सकल टन भार के पोतों पर नौचालन निगरानी के भार साधक अधिकारी के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम 11/3 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक तट समीपीय जलयानों में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित


( )

( )

उप नौ सलाहकार  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
नौ सलाहकार  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ाई जाती है



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 11**  
(नियम 32 देखिए)

**भारत सरकार**

**तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालित 500 से कम सकल टन भार के पोतों के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम 1/3 के साथ पठित विनियम 11/3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालित 500 या उससे कम सकल टन भार के पोतों पर मास्टर के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम 11/3 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है .....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक तट समीपीय जलयात्रा में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप नौ सलाहकार

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

नौ सलाहकार

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 12**  
(नियम 33 देखिए)  
**भारत सरकार**

**(नौचालन निगरानी का भाग बनने वाले रेटिंग के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र )**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II/4) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 ( 1958 का 44 ) और सीफेयरर के लिए यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय (एसीटीसीडब्लू) 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि -----को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/4 के उपबंधों के अनुसार आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)
नौचालन	सहायक	

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
नौचालन निगरानी का भाग बनने वाला रेटिंग	

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

समाप्ति की तारीख : असीमित

पोत पर सेवा के दौरान एसीटीसीडब्लू अभिसमय के विनियम II/2 के पैरा 11 के अनुसार इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति को अवश्य उपलब्ध रखा जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

पृष्ठांकन सं०.....समुद्रकर्म (सीफेयरर) की पहचान दस्तावेज की सं०.....पासपोर्ट सं०..... सीडीसी सं०.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

**प्ररूप 13**  
(नियम 34 देखिए)

**भारत सरकार**

**(योग्य डेक समुद्रकर्मि (सीफेयरर) के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र)**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II/5) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 ( 1958 का 44 ) और सीफेयरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ----- को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/5 के उपबंधों के अनुसार आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
-	-	-
नौचालन	सहायक	
स्थोरा हैंडलिंग और नौभरण	सहायक	
पोत का प्रचालन नियंत्रण और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल	सहायक	
अनुरक्षण और मरम्मत	सहायक	

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
योग्य डेक समुद्रकर्मि (सीफेयरर)	

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

समाप्ति की तारीख : असीमित

पोत पर सेवा के दौरान एसटीसीडब्लू अभिसमय के विनियम I/2 के पैरा 11 के अनुसार इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति को अवश्य उपलब्ध रखा जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

पृष्ठांकन सं०.....समुद्रकर्मि (सीफेयरर) की पहचान दस्तावेज की सं०.....पासपोर्ट सं०..... सीडीसी सं०.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

**प्ररूप 14**  
(नियम 35 देखिए)

**भारत सरकार**

**समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(मानवयुक्त इंजन कक्ष या आवधिक रूप से मानवरहित का इंजन कक्ष में नामनिर्दिष्ट कर्तव्यों (ड्यूटी) इंजीनियर वाले पोतों की इंजीनियरी निगरानी का भार साधक अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम III 1958 (58 का 44) और सीफियरर के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 (इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/1 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 15**  
(नियम 36 देखिए)

**भारत सरकार**

**समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(3000 किलो वाट या उससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)  
वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्म (सीफायरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 (द्वितीय इंजीनियर अधिकारी) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ाई जाती है



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....  
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।  
अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ाई जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 17**  
(नियम 38 देखिए)

**भारत सरकार**

(एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र)

**वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र**

सेवा में,

वाणिज्यिक नौवहन में पोत के समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1(मुख्य इंजीनियर अधिकारी) के कर्तव्यों(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

यह प्रमाण पत्र तारीख..... को ----- में परीक्षा पास करने पर दिया जा रहा है।

प्रमाण पत्र सं०.....तारीख.....को जारी किया गया।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक  
मुख्य सर्वेक्षक,  
भारत सरकार

**प्ररूप 18**  
(नियम 39 देखिए)

**भारत सरकार**

**समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**

(द्वितीय इंजीनियर अधिकारी 3000 किलो वाट तक सीमित)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/3)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44 ) और समुद्रकर्मियों (सीफायरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत के समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 (द्वितीय इंजीनियर अधिकारी 3000 किलो वाट तक सीमित) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/3 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

प्ररूप 19  
(नियम 40 देखिए)

भारत सरकार

**समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**  
(मुख्य इंजीनियर अधिकारी 3000 किलो वाट तक सीमित)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्मियों (सीफायरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत के समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 (मुख्य इंजीनियर अधिकारी 3000 किलो वाट तक सीमित) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/3 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक  
मुख्य सर्वेक्षक  
भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 20**  
(नियम 41 देखिए)

**भारत सरकार**

**समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 (एनसीवी) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**  
(तटसमीपीय जल यात्राओं में प्रचालित पोत पर इंजीनियरी निगरानी का भारसाधक अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम 1/3 के साथ पठित विनियम III/1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्मियों (सीफायरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत के समुद्री इंजीनियर श्रेणी 4 (इंजीनियर निगरानी का भारसाधक अधिकारी-तट समीपीय जलयात्रा) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/1 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

## प्ररूप 21

(नियम 42 देखिए)

## भारत सरकार

**समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**  
**(तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालित पोतों का द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम I/3 के साथ पठित विनियम III/3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्मियों (सीफायरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।


सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत के समुद्री इंजीनियर श्रेणी 3 (द्वितीय इंजीनियर अधिकारी-तट समीपीय जलयात्रा) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/3 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता .....तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

## प्ररूप 22

(नियम 43 देखिए)

## भारत सरकार

**समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**  
**(तट समीपीय जलयानों में प्रचालित पोतों का मुख्य इंजीनियर अधिकारी)**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्मियों (सीफायरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत के समुद्री इंजीनियर श्रेणी 3 ( मुख्य इंजीनियर अधिकारी- तट समीपीय जलयानों) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/3 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

## प्ररूप 23

(नियम 44 देखिए)

## भारत सरकार

**तट समीपीय जलयात्रा (3000 से 8000 किलोवाट के बीच) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**  
(तट समीपीय समुद्री जलयात्रा पर 3000 किलोवाट से 8000 किलोवाट के बीच मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त टैंकरों से भिन्न पोतों का द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय विनियम I/3 के साथ पठित विनियम III/2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत पर समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2- तट समीपीय जलयात्रा (तट समीपीय जलयात्रा पर 3000 किलोवाट से 8000 किलोवाट के बीच मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त टैंकरों से भिन्न पोतों का द्वितीय इंजीनियर अधिकारी) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक तट समीपीय जलयात्रा में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

## प्ररूप 24

(नियम 45 देखिए)

भारत सरकार

तट समीपीय समुद्री जलयात्रा (3000 से 8000 किलोवाट के बीच) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1 के रूप में

सक्षमता प्रमाण पत्र

(तट समीपीय जलयात्रा पर 3000 किलोवाट से 8000 किलोवाट के बीच मुख्य नौदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त टैंकरों से भिन्न पोतों का मुख्य इंजीनियर अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम I/3 के साथ पठित विनियम III/2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,


1. वाणिज्यिक नौवहन में समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-1 तट समीपीय जलयात्रा (तट समीपीय जलयात्रा पर 3000 किलोवाट से 8000 किलोवाट के बीच मुख्य नौदन मशीनरी द्वारा शक्ति प्रदत्त टैंकरों से भिन्न पोतों का मुख्य इंजीनियर अधिकारी) के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक तट समीपीय जलयात्रा में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता ..... तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

## प्ररूप 25

(नियम 46 देखिए)

## भारत सरकार

**इंजन कक्ष निगरानी का भाग बनने वाले रेटिंग के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र**  
**(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/4)**

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44 ) और समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
 सेवा में,

भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ----- को यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/4 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
समुद्री इंजीनियरी	सहायक	

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
इंजन कक्ष निगरानी का भाग बनने वाला रेटिंग	

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

समाप्ति की तारीख : असीमित

पोत पर सेवा के दौरान, एसटीसीडब्लू अभिसमय के विनियम I/2 के पैरा 11 के अनुसार इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति को अवश्य उपलब्ध रखा जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

पृष्ठांकन सं०..... समुद्रकर्म (सीफेयरर) की पहचान दस्तावेज की सं०..... पासपोर्ट सं०..... सीडीसी सं०.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
 सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
 सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

**प्ररूप 26**  
(नियम 47 देखिए)

**भारत सरकार**

**योग्य इंजन समुद्रकर्मि(सीफेयरर) के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र**

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/5) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्मि(सीफेयरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ----- को यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/5 के उपबंधों के अनुसार आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
समुद्री इंजीनियरी	सहायक	
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी	सहायक	
अनुरक्षण और मरम्मत	सहायक	
पोत का प्रचालन नियंत्रण और पोत पर सवार व्यक्तियों की देखभाल	सहायक	

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता योग्य इंजन समुद्रकर्मि(सीफेयरर)	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

समाप्ति की तारीख : असीमित

पोत पर सेवा के दौरान, एसटीसीडब्लू अभिसमय के विनियम I/2 के पैरा 11 के अनुसार इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति को अवश्य उपलब्ध रखा जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

पृष्ठांकन सं०.....समुद्रकर्मि (सीफेयरर) की पहचान दस्तावेज की सं०.....पासपोर्ट सं०..... सीडीसी सं०.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

## प्ररूप 27

(नियम 48 देखिए)

## इलेक्ट्रो-तकनीकी अधिकारी के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र

## (प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/6)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्म (सीफायरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

1. वाणिज्यिक नौवहन में पोत के इलेक्ट्रो – तकनीकी अधिकारी के कर्तव्यों (ड्यूटी) को पूरा करने के लिए आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति को यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/6 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति के तारीख तक तट समीपीय जलयानों में लगे जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)



प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 11 के अनुसार अवश्य उपलब्ध रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक

मुख्य सर्वेक्षक

भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता .....तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 28**  
(नियम 49 देखिए)  
**भारत सरकार**

**इलेक्ट्रो-तकनीकी रेटिंग के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र**  
(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III/7)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978, के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।  
सेवा में,

भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ----- को यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/7 के उपबंधों के अनुसार आपको सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
समुद्री इंजीनियरी	सहायक	
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रण इंजीनियरी	सहायक	
अनुरक्षण और मरम्मत	सहायक	

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमताओं में सेवा कर सकता है।

क्षमता इलेक्ट्रो-तकनीकी रेटिंग	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)
-----------------------------------	------------------------------------

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख..... को जारी किया गया।

समाप्ति की तारीख : असीमित

पोत पर सेवा के दौरान, एसटीसीडब्लू अभिसमय के विनियम I/2 के पैरा 11 के अनुसार इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति को अवश्य उपलब्ध रखा जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

पृष्ठांकन सं०.....समुद्रकर्म (सीफेयरर) की पहचान दस्तावेज की सं०.....पासपोर्ट सं०..... सीडीसी सं०.....

प्रमाण पत्र धारक का फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

**प्ररूप 29**  
**(नियम 72 देखिए)**  
**भारत सरकार**

**पोत परिवहन मंत्रालय**

**नौवहन महानिदेशालय**

**विदेशगामी और तटसमीपीय जलयात्रा व्यापारों के मानव-संयोजन के पोतों के लिए वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 2011 के अधीन प्रमाण पत्रों के लिए परीक्षा और निर्धारण हेतु आवेदन।**

क. वैयक्तिक विवरण :

1. पूरा नाम .....
- (बड़े अक्षरों में) (उपनाम)(अन्य नाम)

फोटो

2. स्थायी पता.....
- .....
3. वर्तमान पता.....
- .....
4. टेलीफोन नं० (यदि कोई हो).....
5. राष्ट्रियता (सबूत प्रस्तुत करें).....
6. पास पोर्ट सं०.....
7. जारी करने की तारीख और स्थान.....
8. सतत् उन्मोचन प्रमाण पत्र (सीडीसी) सं०.....
9. जारी करने की तारीख और स्थान.....
10. जन्म की तारीख.....
11. जन्म-स्थान.....
- (सबूत प्रस्तुत करें)
12. वैयक्तिक चिन्ह.....

**टिप्पण :-** जो कोई स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या व्यपदेशन करता है, कारित होने देता है या कारित करने में सहायता करता है, वह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 182 और धारा 420 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा।

ख. विद्यालय शिक्षा के ब्यौरे :

(पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

1. विद्यालय शिक्षा का स्तर:.....
2. मुख्य विषय: .....
3. पास होने का वर्ष:.....
4. विद्यालय/ महाविद्यालय/ बोर्ड:.....
5. संस्थान का पता: .....

ग. समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण/ समुद्री इंजीनियरी कार्यशाला के ब्यौरे:.....

1. प्रशिक्षण संस्थान:.....
2. संस्थान का पता:.....
3. ....से .....तक हाजिर रहे।
4. परिणाम:.....
5. पाठ्यक्रम जिसमें हाजिर रहे:.....

घ-1 समुद्रगामी सेवा के व्यौर (डेक विभाग के कार्मिक के लिए)

[illegible]

**घ-2: समुद्रगामी सेवा के ब्यौरे (इंजन विभाग के कार्मिक के लिए):**

[illegible]

ड.: संरचित पोतस्थ प्रशिक्षण के संबंध में रिपोर्ट :

फेज-1	समाप्त होने भाग संख्यांक की तारीख	मास्टर का नाम	सक्षमता प्रमाण पत्र के ब्यौरे
फेज-2			
फेज-3			
फेज-4			

कंपनी के नामनिर्दिष्ट प्रशिक्षण अधिकारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर :

प्रमाण पत्र सं. :

नाम : .....

निर्धारण केन्द्र के प्रधान की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर :

नाम : शासकीय मुहर

च.: निर्धारण केन्द्र की रिपोर्ट :

1. अनुमोदित संस्थानों के स्तर पर समुद्र पश्च अनुमोदित शिक्षा और प्रशिक्षण :

कृत्य या कृत्य का भाग	संस्थान	से	तक	टिप्पणी

2. निर्धारण केन्द्र के प्रधान की टिप्पणी:  
प्रचालन-स्तर की परीक्षा या निर्धारण के लिए पात्रता

हस्ताक्षर :

नाम :

शासकीय मुहर :

छ. प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संबंधी अभिसमय के माड्यूलर पाठ्यक्रमों (समुद्र पश्च) के विवरण

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संबंधी विनियम/संहिता	अनुमोदित संस्थान	अवधि		विधि मान्यता
				से	तक	

ज.: पूर्वतन प्रमाण पत्र (भारत में या अन्यत्र जारी किया गया, यदि कोई नहीं है, तो विवरण दें)

संख्याक	प्रमाण पत्र के व्यौरे	वर्ग/श्रेणी	परीक्षा का स्थान और तारीख		यदि किसी समय निलंबित या रद्द किया है, तो उल्लेख करें		
			परीक्षा	जारी किया जाना	प्राधिकारी न्यायालय	तारीख	कारण

झ. अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा :

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दिए गए विवरण, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इस प्ररूप में इसके साथ भेजे गए कागज-पत्र, सत्य और असली दस्तावेज हैं और वे उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं जिसका नाम उस पर उपसंजात है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि घ में अंतर्विष्ट विवरण बिना किसी अपवाद के मेरी समुद्रीगामी सेवा का सत्य और सही वृत्तान्त है और मैं यह घोषणा शुद्ध अन्तःकरण से उसके सत्य होने का विश्वास करते हुए करता हूँ।

उपरोक्त घोषणा पर मेरी उपस्थिति

में हस्ताक्षर किए गए

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मास्टर और मेट/ इंजीनियर अधिकारियों का परीक्षक

समुद्री वाणिज्य विभाग

.....जिला

## ज. परीक्षा के लिए स्थान के आबंटन का अनुरोध

के लिए आवेदन	मास	श्रेणी/ग्रेड	संदर्भ फीस		लिखित पेपर							मौखिक			अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	परीक्षक के हस्ताक्षर
			रकम	हस्ताक्षर और तारीख	एनएवी1	एनएवी2	एनएवी3	एनएवी4	स्थोरा/एसएम	एसओएफ1	एसओएफ2	एनएवी	कार्गो/एसएम	एसओएफ		

ट. 1 : दृष्टि परीक्षण : परीक्षा की तारीख ..... परिणाम..... परीक्षक के हस्ताक्षर .....

ट. 2 : परीक्षा का परिणाम (केवल कार्यालय प्रयोजन के लिए) :

प्रयासों की संख्या	मास	वर्ग	लिखित पेपर							मौखिक			सिगनल	परीक्षक के हस्ताक्षर
			एनएवी1	एनएवी2	एनएवी3	एनएवी4	स्थोरा/एसएम	एसओएफ1	एसओएफ2	एनएवी	कार्गो/एसएम	एसओएफ		

**टिप्पणी :** द्वितीय मेट वि.गा./ एन.डब्ल्यू. के.ओ.-एन.सी.वी.: एन.ए.वी.1: स्थलीय और तटवर्ती नौचालन एनएवी2: खगोलीय नौचालन, एनएवी3: मौसम विज्ञान, एनएवी4: ब्रिज निगरानी और आपात स्थितियों: प्रथम मेट (वि.गा./एनसीवी) फेज 1: एनएवी1: स्थलीय और तटवर्ती नौचालन, एनएवी2: मौसम विज्ञान, एसओएफ1: पोत सुरक्षा, क्षति नियंत्रण और कार्मिक प्रबंधन, एसओएफ2: नौ वास्तु पेपर1 प्रथम मेट: (वि.गा./एसीवी) फेज 11: एनएवी1: नौचालन सहायता जिसके अंतर्गत कंपास भी है, एनएवी2: ब्रिज निगरानी, पोत हैडलिंग और आपात स्थितियों, एनएवी इंजीनियरी का ज्ञान, उपकरण और नियंत्रण पद्धति, एसओएफ1: नौ वास्तु पेपर 2, एसओएफ2: समुद्री विधान, मास्टर (वि.गा./एसीवी) एसएम

ठ. परीक्षा केन्द्र की रिपोर्ट :

(1) मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि .....  
ने श्रेणी के लिए यथा अपेक्षित समुद्रगामी सेवा/ निगरानी सेवा/ अनुमोदित

कार्यशाला प्रशिक्षण के शंसा पत्र और सबूत संतोषप्रद रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं।

(2) अभ्यर्थी ..... श्रेणी के संबंध में वाणिज्यिक पोत परिवहन (सीफेयरर के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संबंधी मानक) नियम, 1998 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(3) अभ्यर्थी ने कृत्यों के संबंध में निम्नानुसार अपनी परीक्षाएं पास कर ली हैं:—

कृत्य	परीक्षा केन्द्र	मास	टिप्पणी

ड. मास्टर्स और मेटों/ इंजीनियर अधिकारियों के मुख्य परीक्षक के लिए :—

(1) मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ..... जिनका जन्म ..... तारीख को ..... में हुआ है, ने समुद्रगामी सेवा/ निगरानी सेवा के शंसा पत्र और सबूत संतोषप्रद रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं।

(2) अभ्यर्थी ..... श्रेणी के संबंध में वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयरर के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 1998 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(3) अभ्यर्थी ने निम्नलिखित कृत्यों के संबंध में निम्नानुसार अपनी परीक्षाएं पास कर ली हैं:—

कृत्य	परीक्षा केन्द्र	मास	टिप्पणी

अभ्यर्थी ..... के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए पात्र होने की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ढ: प्रमाणन के पूर्व अंतिम निर्धारण :

चिकित्सक दृष्टया योग्यता	स्थिति
समुद्री पूर्व प्रशिक्षण	
संरचित पोतस्थ प्रशिक्षण	
समुद्री सेवा अपेक्षा	
लिखित परीक्षा (निर्धारण)	
मौखिक निर्धारण/मोड्यूलर पाठ्यक्रम	
पात्रता	हां/ नहीं

समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा ..... श्रेणी के लिए की गई सिफारिश के अनुसार सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

नौवहन महानिदेशालय का निर्धारणकर्ता मास्टर और मेट/ इंजीनियर अधिकारी

टिप्पणी.....

मुख्य परीक्षक

(मास्टर और मेट/ इंजीनियर अधिकारी)

**प्ररूप 30**  
**(नियम 76 देखिए)**

सक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जारी किए जाने के लिए आवेदन

(क) पूरा नाम .....

जन्म की तारीख और स्थान .....

(ख) सक्षमता का प्रमाण-पत्र, जिसकी प्रमाणित प्रति अपेक्षित है, के ब्यौरे:

श्रेणी.....सं०.....

पास करने की तारीख..... को जारी किया गया।

(ग) पिछले बारह मास के भीतर सेवा के ब्यौरे :

पोत का नाम	रजिस्ट्री पत्तन प्राधिकृत सं०	क्षमता	से	तक	टिप्पणी

(घ) (i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के भाग (क), (ख) और (ग) में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही और सत्य हैं, और धारा (ख) में उल्लिखित सक्षमता प्रमाण-पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में विरूपित हो गए / नष्ट हो गए / खो गया है।

(ii) सक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि को .....के पत्तन पर मुझे परिदत्त किया जाए।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(ङ) केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए:

(i) उपरोक्त कथन पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था और यह सिफारिश की जाती है कि ऊपर उल्लिखित सक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जारी की जाए।

प्रधान अधिकारी

समुद्री वाणिज्य विभाग

.....जिला

(ii) प्रमाणित प्रति संलग्न है

(iii) प्रमाणित प्रति जारी की जाती है

संलग्न समुचित फीस\* प्रभारित की जाए/ जारी की गई

न की जाए।

-----\* फीस प्राप्त की

प्रधान अधिकारी

टिप्पणी : \* जो लागू न हो उन शब्दों को, काट दें।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के जारी किए जाने पर यह प्ररूप संबंधित मुख्य परीक्षक को वापस किया जाएगा।

## प्ररूप 31

## (नियम 77 देखिए)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (एसटीसीडब्ल्यू) नियम 2014 के नियम 77 के अनुसार परिणाम के पुनर्विलोकन करने का अनुरोध

सेवा में,

प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई/ कोलकाता/ चेन्नई/ कांडला/ कोच्चि\*

विषय : वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (एसटीसीडब्ल्यू) नियम 2014 के नियम 77 के अनुसार परिणाम के पुनर्विलोकन करने का अनुरोध

मैं आपके केन्द्र से ..... श्रेणी के लिए ..... माह ..... 20..... में लिखित कृत्य/कृत्यों के लिए उपस्थित हुआ था। मुझे उक्त कृत्य/कृत्यों में असफल घोषित किया गया था। यह निवेदन है कि उपरोक्त उपबन्धों की दिशा में मेरे लिखित परीक्षा परिणाम की पुनर्विलोकन किया जाए। मैं उक्त वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (एसटीसीडब्ल्यू) नियम 2011 के अधीन अनुसूची के अनुसार विहित फीस ₹..... तारीख..... का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूँ।

आवेदक की कोई अतिरिक्त टिप्पणी, यदि कोई हो,

पृष्ठांकन सं०.....चक्रानुक्रम सं०.....नाम.....हस्ताक्षर/ तारीख.....

केवल शासकीय प्रयोग के लिए

सं०.....

तारीख.....

सेवा में,

मास्टर और मेट/ इंजीनियर अधिकारियों के मुख्य परीक्षक

द्वारा,

प्रधान अधिकारी, स.वा.वि., मुंबई/ कोलकाता/ चेन्नई/कांडला/ कोच्चि\*

अभ्यर्थी ने परिणाम घोषित होने के पश्चात् एक मास की विहित समय सीमा के भीतर आवेदन किया है। अतः आवेदन के अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी के परिणाम का यथाअपेक्षित पुनर्विलोकन किया जाए और उसका परिणाम इस विभाग को संसूचित किया जाए।

समुद्री वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त टिप्पणी, यदि कोई हो :

प्रधान अधिकारी

केवल शासकीय प्रयोग के लिए

सं०.....

तारीख.....

सेवा में,

प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई/कोलकाता/ चेन्नई/कांडला/ कोच्चि \*

द्वारा,

मास्टर और मेट/ इंजीनियर अधिकारियों के मुख्य परीक्षक

उपरोक्त अभ्यर्थी के परिणाम का पुनर्विलोकन किया गया है और मास्टर और मेट/ इंजीनियर अधिकारियों के मुख्य परीक्षक ने अभ्यर्थी को ..... कृत्य में सफल / असफल घोषित किया है। तदनुसार अभ्यर्थी को सूचना दी जाए।

निदेशालय में परिणामों के अभिलेख तदनुसार संशोधित कर दिए गए हैं। समुद्री वाणिज्य विभाग भी अपने अभिलेख में समरूप संशोधन कर लें। यदि अभ्यर्थी के पहले के परिणाम को संशोधित किये जाने की दशा में इस पत्र की प्रतिलिपि को माह के परिणाम और अभ्यर्थी के प्ररूप 29 के साथ अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।

निदेशालय की अतिरिक्त टिप्पणी, यदि कोई हो तो:

मास्टर एवं मेट/ इंजीनियर अधिकारियों के मुख्य परीक्षक

**अनुदेश: 1.** जिस प्रकार लागू हो हटाए \*

**प्ररूप 32**  
**[नियम 5(9) देखिए]**

**भारत सरकार**

समुद्रकर्म (सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के यथा संशोधित उपबंधों के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र की मान्यता प्रमाणित करने वाला पृष्ठांकन।

सेवा में,

भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि .....सरकार द्वारा या उनकी ओर से .....को जारी प्रमाण पत्र सं0..... यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी उपरोक्त अभिसमय के विनियम 1/10 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है और विधिमान्य धारक को पिछले पृष्ठ पर दर्शाए गए पृष्ठांकन की विधिमान्यता के किसी विस्तार के समापन की तारीख तक या ----- तक नीचे पन्ने के दूसरी ओर उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमताओं में सेवा कर सकता है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

पृष्ठांकन सं0..... तारीख..... को जारी किया गया।

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पोत पर सेवा के दौरान, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम 1/2 पैरा 11 के अनुसार इस प्रमाण-पत्र की मूल प्रति उपलब्ध रखा जाएगा।

प्रमाण-पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण-पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण-पत्र धारक का फोटो

इस प्रमाण-पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

**प्ररूप 33**  
**[नियम 5(9) देखिए]**

**भारत सरकार**

समुद्रकर्मियों (सीफेयरर) के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के यथा संशोधित उपबंधों के अधीन प्रवीणता प्रमाण-पत्र की मान्यता प्रमाणित करने वाला पृष्ठांकन।

सेवा में,

भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि .....सरकार द्वारा या उनकी ओर से .....को जारी प्रमाण पत्र सं0..... यथा संशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी उपरोक्त अभिसमय के विनियम 1/10 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है और विधिमान्य धारक को पिछले पृष्ठ पर दर्शाए गए पृष्ठांकन की विधिमान्यता के किसी विस्तार के समापन की तारीख तक या ----- तक नीचे पन्ने के दूसरी ओर उपदर्शित सीमाओं के अध्याधीन निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित क्षमता या सुरक्षित मानव-संयोजन के प्रशासन के लिए लागू अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमताओं में सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

पृष्ठांकन सं0..... तारीख..... को जारी किया गया।

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पोत पर सेवा के दौरान, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के विनियम 1/2 पैरा 11 के अनुसार इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध रखा जाएगा।

प्रमाण-पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान.....

प्रमाण-पत्र धारक के हस्ताक्षर.....

प्रमाण-पत्र धारक का फोटो

इस प्रमाण-पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

(शासकीय मुहर)

सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

## प्ररूप 34

(नियम 51 देखें)

(भारत सरकार)

जीएमडीएसएस रेडियो ऑपरेटर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र

(एसटीसीडबल्यू कन्वेंशन का विनियमन IV/2)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) और समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी के मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन 1978, यथा संशोधित के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण-पत्र.  
सेवा में,

1. वाणिज्य पोत परिवहन में पोत पर जीएमडीएसएस रेडियो ऑपरेटर के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए आपको विधिवत योग्य पाए जाने पर केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (58 का 44) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आपको यह सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करती है।
2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि उपर्युक्त नाम वाला व्यक्ति यथा संशोधित एसटीसीडबल्यू कन्वेंशन के विनियमन IV/2 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत योग्य पाया गया है तथा निम्नलिखित कृत्यों को विनिर्दिष्ट स्तरों पर निष्पादित करने के लिए दर्शाई गई किन्हीं सीमाओं के अधीन \_\_\_\_\_ तक या इस प्रमाण-पत्र की मान्यता के किसी विस्तार के समाप्त होने की तारीख तक के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो तो)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित कृत्यों में या प्रशासन की प्रयोजनीय सुरक्षाप्रद जन नियोजन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट क्षमता में सेवा कर सकता/ती है।

क्षमता	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो तो)


प्रमाण-पत्र सं. सवावि ..... जारी करने की तारीख.....

पोत पर सेवा के दौरान इसका धारक एसटीसीडबल्यू कन्वेंशन के विनियमन I/2 परिच्छेद 11 के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र की मूल प्रति आवश्यक रूप से अपने पास उपलब्ध रखें।

प्रमाण-पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान :

प्रमाण-पत्र धारक के हस्ताक्षर:

प्रमाण-पत्र धारक का फोटो :



शासकीय मोहर

( )

मास्टर और मेंटों के परीक्षक

समुद्री वाणिज्य विभाग

मुंबई/चेन्नई/कोलकाता/कोच्चि/कांडला

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता .....तक के लिए बढ़ायी जाती है।



अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुहर)

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
पुनर्विधिमान्यकरण की तारीख .....

[फा. सं. ए-12012/1/2011-एम ए]

सुनील मिश्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2014

**MERCHANT SHIPPING (STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCH-KEEPING FOR  
SEAFARERS) RULES, 2014**

**G.S.R546(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 78 and sections 87, 88, 98, 456, 457 and 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession Merchant Shipping (Standard of Training, Certification and watch keeping for Seafarers) Rules, 1998, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**CHAPTER I**

**GENERAL PROVISIONS**

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**— (1) These rules shall apply to,—

(a) any candidate who is a citizen of India; and

(b) any other candidate who is not a citizen of India and is permitted by the Chief Examiner concerned to be examined, assessed and certified under these rules.

**3. Objective.**— (1) The objective of these rules is to give full and complete effect of implementation to the amended provisions of International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers, 1978 as adopted by Conference of Parties to STCW Convention in Manila on 25th June, 2010 and relevant national requirements.

**4. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) “Able seafarer deck” means a rating qualified in accordance with the provisions of rule 34 in chapter II of these rules;

(2) “Able seafarer engine” means a rating qualified in accordance with the provisions of rule 47 in chapter III of these rules;

(3) “Act” means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(4) “Approved” means approved by the Director General of Shipping or the Chief Examiner concerned as the case may be;

(5) “Approved sea-going service” means service on board a ship relevant to the issue or revalidation of a certificate or other qualification as approved by the Chief Examiner concerned as prescribed in the Approved training, examination and assessment programme;

(6) “Approved training course” means a course approved by the Director General of Shipping conducted in a training institute for the purpose of issuance of certificate of competency, certificate of proficiency, endorsement, upgradation and revalidation;

(7) “Approved training, examination and assessment programme” means the programme of training and assessment of seafarers as approved by the Director General of Shipping specifying the complete scheme of training and standards including examination and assessments for the purpose of issuance of certificates or endorsements under these rules;

(8) “Approved training institute” means a training institute approved by the Director General of Shipping;

(9) “Assessment Centre” means a centre designated by the Director General of Shipping responsible for assessment of candidates and maintaining records for the purposes of assessment;

(10) “Assistant Engineer Officer” means a person under training to become a certificated engineer officer and includes a “Trainee marine engineer” or “Engine cadet” or “Junior engineer”;

(11) “Certificate of competency” means a certificate issued, and endorsed for masters, officers and Global Maritime Distress & Safety Systems radio operators in accordance with the provisions of the Act and these rules, made there under entitling the lawful holder thereof to serve in the capacity and perform the functions involved at the level of responsibility specified therein;

(12) “Certificate of proficiency” means a certificate, other than a certificate of competency, issued to a seafarer, stating that the relevant requirements of training, competencies or sea-going service in the STCW Convention and under these rules have been met;

(13) “Chemical tanker” means a ship constructed or adapted and used for the carriage in bulk of any liquid product listed in chapter 17 of the International Bulk Chemical Code;

(14) “Chief Engineer Officer” means the senior engineer officer responsible for the mechanical propulsion and the operation and maintenance of mechanical, electrical and allied installations of the ship;

(15) “Chief Examiner” means the Nautical Adviser to the Government of India for Master and Deck Department personnel or the Chief Surveyor with the Government of India for Engine Department personnel as the case may be;

(16) “Chief Mate” means the officer next in rank to the master and upon whom the command of the ship shall fall in the event of the incapacity of the master;

(17) “Company” means the owner of the ship or any other organisation or person such as the manager or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the ship-owner and who, on

assuming such responsibility, has agreed to take over all the duties and responsibilities imposed on the company by the STCW Convention and these rules;

- (18) "Deck officer" means an officer qualified in accordance with the provisions of chapter II;
- (19) "Documentary evidence" means documentation, other than a certificate of competency or certificate of proficiency, used to establish that the relevant requirements of the STCW Convention and these rules have been met;
- (20) "Electro-technical officer" means an officer qualified in accordance with the provisions of rule 48;
- (21) "Electro-technical rating" means a rating qualified in accordance with the provisions of rule 49;
- (22) "Engineer officer" means an officer qualified in accordance with the provisions under of chapter III;
- (23) "Examiner" means Principal Officer Nautical, Deputy Nautical Adviser, Nautical Surveyor or Principal Officer Engineering, Deputy Chief Surveyor, Engineer and Ship Surveyor, Radio Surveyor as the case may be, appointed under section 79 of the Act;
- (24) "Form" means a form appended to these rules;
- (25) "Function" means a group of tasks, duties and responsibilities, as specified in the STCW Code, necessary for ship operation, safety of life at sea, security or protection of the Marine environment;
- (26) "Global Maritime Distress & Safety Systems radio operator" means a person who is qualified in accordance with the provisions of chapter IV;
- (27) "ISM Code" means the International Safety Management Code for the safe operation of ships and for pollution prevention;
- (28) "ISPS Code" means the International Ship and Port Facility Security Code;
- (29) "liquefied gas tanker" means a ship constructed or adapted and used for the carriage in bulk of any liquefied gas or other product listed in chapter 19 of the International Gas Carrier Code;
- (30) "Master" means the person having lawful command of a ship;
- (31) "Month" means a calendar month or thirty days made up of periods of less than one month;
- (32) "Near-Coastal Voyages" means voyages in the vicinity of a party as defined by the party concerned.
- (33) The Near-Coastal Voyages-India (NCV) the coastal tradeon voyages from any port or place in Bangladesh, India, Maldives, Myanmar and Sri Lanka and any other country in the vicinity with whom an undertaking is signed by India to any other port or place in these countries;
- (34) "Officer" means a member of the crew, other than the Master, designated as such;
- (35) "Oil tanker" means a ship constructed and used for the carriage of petroleum and petroleum products in bulk;
- (36) "Party" means a State for which the STCW Convention has entered into force;
- (37) "Passenger ship" means passenger ship as defined in the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;
- (38) "propulsion power" means the total maximum continuous rated output power, in kilowatts, of all the ship's main propulsion machinery which appears on the ship's certificate of registry;
- (39) "radio duties" include, as appropriate, watch-keeping and technical maintenance and repairs conducted in accordance with the radio regulations made under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;
- (40) "radio operator" means a person holding an appropriate certificate issued or recognised under the provisions of radio regulations;
- (41) "rating" means a member of the ship's crew other than the master or an officer;
- (42) "regulations" means regulations contained in the annex to the STCW Convention;
- (43) "ro-ro passenger ship" means a passenger ship with ro-ro spaces or special category spaces as defined in the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;
- (44) "Second Engineer Officer" means the Engineer Officer next in rank to the Chief Engineer Officer and upon whom the responsibility for the mechanical propulsion and the operation and maintenance of mechanical, electrical and allied installations of the ship will fall in the event of the incapacity of the Chief Engineer Officer;
- (45) "security duties" include all security tasks and duties on board ships as defined under Chapter XI-2 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 and the International Ship and Port Facility Security Code;
- (46) "Ship Security Officer" means the person on board the ship, accountable to the master, designated by the company as responsible for the security of the ship including implementation and maintenance of the ship security plan and liaison with the company security officer and port facility security officers;
- (47) "Structured shipboard training programme" means an on-board training programme to ensure that the quality of approved seagoing service is planned and monitored by the company, supervised by the master and documented in training record book, as approved by the concerned Chief examiner;
- (48) "STCW Code" means the Seafarers' Training, Certification and Watch-keeping Code, 1995; as amended.
- (49) "STCW Convention" means the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers, 1978 as amended from time to time;
- (50) "Year" means a calendar year;
- (51) words and phrases used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.

**5. Certificates and endorsements.**— (1) A Certificate of competency may be issued for the following grades, namely:—

- 
- (a) Second Mate of a Foreign-going Ship;
- (b) First Mate of a Foreign-going Ship;
- (c) Master of a Foreign-going Ship;
- (d) Extra Master;
- (e) Navigational Watch-keeping Officer;
- (f) Mate of a Home Trade Ship;
- (g) Master of a Home Trade Ship;
- (h) Marine Engineer Officer Class IV;
- (i) Marine Engineer Officer Class III;
- (j) Marine Engineer Officer Class II;
- (k) Marine Engineer Officer Class I; (l) Extra First Class Engineer;
- (m) Chief Mate of a ship of between 500 and 6,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages;
- (n) Master of a ship of between 500 and 6,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages;
- (o) Officer in Charge of a navigational watch of a ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages;
- (p) Master of a ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages;
- (q) Marine Engineer Officer Class I - Near-Coastal Voyages (between 3000 and 8000kW);
- (r) Marine Engineer Officer Class II - Near-Coastal Voyages (between 3000 and 8000kW);
- (s) Electro Technical Officer; and
- (t) Global Maritime Distress and Safety System Radio Operator
- (2) A Certificate of proficiency may be issued for the following, namely:—
- (a) Rating forming part of a navigational watch;
- (b) Able Seafarer Deck;
- (c) Rating forming part of a engine room watch;
- (d) Able Seafarer Engine;
- (e) Electro Technical Rating;
- (f) Basic training for oil, or as the case may be, chemical tanker cargo operations;
- (g) Advanced training for oil tanker cargo operations;
- (h) Advanced training for chemical tanker cargo operations;
- (i) Basic training for liquefied gas tanker cargo operations;
- (j) Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations;
- (k) Crowd management training;
- (l) Safety training for personnel providing direct services to passengers in passenger spaces;
- (m) Crisis management and human behaviour training;
- (n) Passenger safety, cargo safety and hull integrity training;
- (o) Personal survival techniques;
- (p) Fire prevention and fire fighting;
- (q) Elementary first aid;
- (r) Personal safety and social responsibilities;
- (s) Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats;
- (t) Proficiency in fast rescue boats;
- (u) Advanced fire fighting;
- (v) Medical first aid;
- (w) Medical care;
- (x) Security awareness training;
- (y) Seafarers with designated security duties; and
- (z) Ship Security Officer.

(3) Certificates of competency shall be issued only by the Chief Examiner concerned on behalf of the Government of India, following verification of the authenticity and validity of any necessary documentary evidence.

(4) Certificates shall be issued to masters and officers by an examiner only on behalf of the Government of India in according with the Regulation V/1-1 and V/1-2 of the STCW Convention.

(5) In respect of radio operators, the Chief Examiner or examiners concerned may issue a separate certificate of competency indicating that the holder has the additional knowledge required by applicable rules of chapter I, IV and VI to a candidate holding appropriate certificate issued by the Ministry of Communications, Government of India.

(6) The endorsement required by article VI of the STCW Convention to attest the issue of a certificate shall be issued only after all the requirements of the STCW Convention have been complied with.

(7) Endorsements may be incorporated in the format of the certificates being issued as provided in section A-I/2 of the STCW Code, paragraph 1 and if issued separately, the form of endorsement shall be as provided in paragraph 2, of the said section.

- (8) The endorsements for recognition under STCW Convention regulation I/10 for,—
- a certificate of competency; or
  - a certificate of proficiency issued to masters and officers in accordance with the provisions of STCW Convention regulations V/1-1 and V/1-2, shall be attested for its recognition only after ensuring the authenticity and validity of the certificate.
- (9) The endorsement referred to in sub-rule (8) be issued if all requirements of the STCW Convention have been complied with and the form of the endorsement shall be made in Form 32 and Form 33 appended to these rules.
- (10) The endorsements referred to in sub rules (8) and (9) shall,—
- be issued as separate documents;
  - be issued by the Examiner only;
  - be assigned a unique number; and
  - expire as soon as the certificate endorsed expires or is withdrawn, suspended or cancelled by the Party who issued it.
- (11) The capacity in which the holder of an endorsement for recognition of certificate is authorised to serve shall be identified in the form of endorsement in terms identical to those used in the applicable safe manning documents.
- (12) Subject to the provisions of regulation 1/10 contained in paragraph 5 of sub rule (5) of rule 13, any certificate required by these rules must be kept available in its original form on board the ship on which the holder is serving.
- (13) The Chief Examiner concerned shall ensure that certificates are issued only to candidates who comply with the requirements of these rules.
- (14) The Chief Examiner concerned, by means of endorsement on the certificate of competency may restrict, limit or enable the holder thereof to serve in the capacity and perform the functions involved at the level of responsibility specified therein.
- (15) Candidates for certification shall provide proof:-
- of their identity;
  - of their age;
  - that they meet the standards of medical fitness specified in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules 2000;
  - of having completed the approved sea going service and any related compulsory training required by these rules for the certificate applied for; and
  - that they meet the standards of competence prescribed by these rules for the capacities, functions and levels that are identified in the certificate or endorsement.
- (16) The Chief Examiner concerned shall maintain a register or registers of all certificates and endorsements for masters, officers, and as applicable, ratings which are issued, have expired or have been revalidated, suspended, cancelled or reported lost or destroyed and of dispensations issued.
- (17) The Chief Examiner concerned shall make available information on the status of such certificates of competency, endorsements and dispensations to other Parties to the STCW Convention and companies which request verification of the authenticity and validity of certificates produced to them by seafarers seeking recognition of their certificates under STCW Convention regulation I/10 or employment on board ship.
- (18) The information referred to in sub-rule (17) shall be made available in English language through electronic means latest by the 1<sup>st</sup> January, 2017.

**6. Principles governing Near-Coastal Voyages.—** (1) The Director General of Shipping shall not impose training; experience or certification requirements on the seafarers serving on board the ships entitled to fly the flag of another Party to the STCW Convention and engaged on Near-Coastal Voyages in a manner resulting in more stringent requirements for such seafarers than for seafarers serving on board Indian flag ships.

(2) The Director General of Shipping affording the ships the benefits of the near-coastal voyage provision of the STCW Convention, which includes voyages off the coast of other Parties within the limits of their Near-Coastal Voyages, shall enter into an undertaking with the Parties concerned specifying the details of involved trading areas and other relevant conditions.

(3) The Director General of Shipping shall prescribe training, experience and certification requirements for seafarers serving on Indian flag ships when regularly engaged on Near-Coastal Voyages off the coast of another Party, which shall be at least equal to those of the Party, off whose coast the ship is engaged provided that they do not exceed the requirements of the Convention in respect of ships not engaged on Near-Coastal Voyages. Seafarers serving on a ship which extend its voyage beyond what is defined as a near-coastal voyage and enters water not covered by that definition shall fulfill the appropriate competency requirement of the STCW Convention and these rules.

(4) The Director General of Shipping may afford a ship which is entitled to fly Indian flag the benefits of the near-coastal voyage provisions of the STCW Convention when it is regularly engaged off the coast of a non-Party on Near-Coastal Voyages, provided an undertaking is entered into with the country concerned specifying the details of involved trading areas and other relevant conditions.

(5) The certificates of seafarers issued by the Chief Examiner concerned for its defined Near-Coastal Voyages limits may be accepted by other Parties for service in their defined Near-Coastal Voyages limits, provided the Parties concerned enter into an undertaking specifying the details of involved trading areas and other relevant conditions thereof.

(6) The Director General of Shipping while defining Near-Coastal Voyages shall,-

- (a) meet the principles governing Near-Coastal Voyages specified in section A-I/3 of STCW Code;
- (b) communicate to the Secretary-General of the International Maritime Organization, in conformity with the requirements of regulation I/7 of the STCW Convention, the details of the provisions adopted; and
- (c) incorporate the Near-Coastal Voyages limits in the certificates or endorsements issued pursuant to paragraph 5,6,7 of regulation I/2, of the STCW Convention.

**7. Control Procedures.**— (1) Control exercised by a duly authorised surveyor under article X of the STCW Convention shall be limited to the following namely:—

- (a) all seafarers serving on board who are required to be certified in accordance with the STCW Convention hold an appropriate certificate or a valid dispensation, or provide documentary proof that an application for an endorsement has been submitted to the administration in accordance with sub rule (5) of rule 13;
- (b) the numbers and certificates of the seafarers serving on board are in conformity with the applicable safe manning document; and
- (c) the assessment, in accordance with section A-1/4 of the STCW Code, of the ability of the seafarers of the ship to maintain watch-keeping and security standards, as appropriate, as required by the STCW convention if there are clear grounds for believing that such standards are not being maintained because any of the following have occurred:
  - (i) the ship has been involved in a collision, grounding or stranding, or
  - (ii) there has been a discharge of substances from the ship when under way, at anchor or at berth which is illegal under any international convention, or
  - (iii) the ship has been maneuvered in an erratic or unsafe manner whereby routing measures as adopted by the International Maritime Organization or safe navigation practices and procedures have not been followed, or
  - (iv) the ship is otherwise being operated in such a manner as to pose a danger to persons, property, the environment, or a compromise to security.

(2) Failure to correct any of the deficiencies referred to in paragraph 2 of regulation I/4 of STCW Convention, in so far as it has been determined by the duly authorised surveyor carrying out the control that they pose a danger to persons, property or the environment, shall be the grounds under article X of the STCW Convention to detain a ship.

**8. Investigation of incidents and prevention of unlawful practices.**— The Director General of Shipping shall establish processes and procedures for the impartial investigation of any reported incompetency, act, omission or compromise to security that may pose a direct threat to safety of life or property at sea or to the marine environment by the holders of certificates or endorsements issued by the Chief Examiner concerned in connection with their performances of duties related to their certificates and for the withdrawal, suspension and cancellation of such certificates for such cause and for the prevention of fraud, as per the provision under the Merchant Shipping (Cancellation or Suspension of Certificate of Competency) Rules, 2003, as applied.

(2) The Director General of Shipping shall take measures in accordance with the provision contained in Chapter IX of these rules, to prevent fraud and other unlawful practices involving certificates and endorsements issued.

**9. Training and assessment.**— (1) The Director General of Shipping shall designate assessment centres which shall,-

- (a) assess and maintain records of candidates with regard to their sea-going service, ashore and on-board training, courses attended, examinations and assessments completed and certificates held by the seafarers;
- (b) examine the documentary evidence that the candidate has fulfilled the eligibility criteria for joining an approved training and assessment programme; and
- (c) assist the Chief Examiner or Examiner concerned, as the case may be, in the conduct of online, written, oral and practical examinations and assessment on completion of the approved training and assessment programme for each function.

(2) The Chief Examiner concerned shall ensure that,—

- (a) the training and assessment of seafarers, including e-learning and distance learning, as required under the STCW Convention and these rules are administered, supervised and monitored in accordance with the provisions of section A-I/6 of the STCW Code; and
- (b) persons responsible for imparting training and assessment of competence of seafarers, as required under the STCW Convention and these rules, are appropriately qualified in accordance with the provisions of section A-I/6 of the STCW Code for the type and level of training or assessment involved.

(3) The Company shall ensure that,-

- (a) all the structured shipboard training programmes are planned and monitored to meet the applicable standards of competence as specified by the STCW Convention and these rules; and
- (b) seafarers are guided to achieve the required levels of competence as specified in the STCW Convention.

**10. Communication of information.**— In addition to the information required to be communicated by article IV, the Director General of Shipping shall provide to the Secretary-General of the International Maritime Organization, within the time periods and in the format as specified in section A-I/7 of the STCW Code, such other information as may be required by the STCW Code on other steps taken to give the STCW Convention full and complete effect.

**11. Quality standards.**—(1) The Director General of Shipping shall in accordance with the provisions of section A-I/8 of the STCW Code ensure that all training, assessment of competence, certification, including medical certification, endorsement, revalidation activities under his authority and record keeping are continuously monitored through a quality standards system to ensure achievement of defined objectives, including the qualifications and experience of instructors and assessors.

(2) The Director General of Shipping shall ensure that an evaluation is periodically undertaken, in accordance with the provisions of section A-1/8 of the STCW Code, by qualified persons who are not themselves involved in the activities concerned.

(3) The evaluation referred to 8 in sub-rule (7) shall include all changes to national regulations and procedures in compliance with the amendments to the STCW Convention and STCW Code, with dates of entry into force later than the date information was communicated to the Secretary-General of the International Maritime Organization.

(4) The Director General of Shipping shall once in five years communicate the report containing results of the evaluation required by sub-rule (2) and sub-rule (3) to the International Maritime Organization in accordance with the format specified in section A-I/7 of the STCW Code.

**12. Medical standards.**— (1) The standards of medical fitness for seafarers and the issue of medical certificates shall be in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules 2000 and taking into account guidelines adopted by the International Maritime Organization.

(2) Medical certificates shall remain valid for a period of two years; provided that if the seafarer is under the age of 18, the maximum period of validity shall be one year.

(3) If the period of validity of a medical certificate expires in the course of a voyage, then the medical certificate shall continue in force until the next port of call where a medical practitioner recognized by the Director General of Shipping is available, however the period shall not exceed three months.

(4) In urgent cases the Director General of Shipping may permit a seafarer to work without a valid medical certificate until the next port of call where a recognized medical practitioner referred to in sub-rule (3) recognized by the Chief Examiner concerned is available, provided that:

(a) the period of such permission does not exceed three months; and

(b) the seafarer concerned is in possession of an expired medical certificate of recent date.

**13. Recognition of certificates.**— (1) The Chief Examiner concerned may recognise, by endorsement in accordance with the paragraph 7 of regulation I/2 of STCW Convention, a certificate issued by or under the authority of another Party to a master, officer or radio operator and that,—

(a) the Director General of Shipping has confirmed, through an evaluation of that Party, which may include inspection of facilities and procedure, that the requirements of the STCW Convention regarding standards of competence, training and certification and quality standards are fully complied with; and

(b) an undertaking is agreed with the Party concerned that prompt notification will be given of any significant change in the arrangements for training and certification in compliance with the STCW Convention.

(2) Candidates who present, for recognition, certificates issued under the provisions of regulations II/2, III/2 or III/3, or issued under regulation VII/1 at the management level, as defined in the STCW Code, shall complete an approved training course to have an appropriate knowledge of the Indian maritime legislation relevant to the functions they are permitted to perform.

(3) Information provided and measures agreed upon under this rule shall be communicated to the Secretary-General of the International Maritime Organization, by the Directorate General of Shipping, in conformity with the requirements of regulation I/7 of the STCW Convention.

(4) Certificates issued by or under the authority of a non-Party shall not be recognized.

(5) Notwithstanding the requirements of paragraph 7 of regulation I/2, of the STCW Convention, the Chief Examiner concerned may if the circumstances require, subject to the provisions of sub rule (1) of this rule, allow a seafarer to serve for a period not exceeding three months on board a ship entitled to fly Indian flag, while holding an appropriate and valid certificate issued and endorsed as required by another Party for use on board that Party's ship but which has not yet been endorsed so as to render it appropriate for service on board ships entitled to fly the Indian flag, provided that necessary documentary proof shall be required that application for an endorsement has been submitted to the Chief Examiner concerned.

(6) Certificates and endorsements issued by a Party under the provisions of STCW Convention regulation 1/10 in recognition of, or attesting the recognition of, a certificate issued by another Party shall not form the basis for recognition of certificate by the Chief Examiner concerned.

**14. Upgradation and Revalidation of certificates.**— (1) Every master, officer and radio operator holding a certificate issued or recognized under any Chapter of the STCW Convention other than Chapter VI, who is serving at sea or intends to return to sea after a period ashore, shall, in order to continue to qualify for sea-going service, be required, at intervals not exceeding five years, to

(a) meet the standards of medical fitness as prescribed by these rules; and

(b) establish continued professional competence in accordance with section A-1/11 of the STCW Code.

(c) comply with additional requirements as specified by Directorate General of Shipping.

(2) Every master, officer and radio operator shall, for continuing seagoing service on board ships for which special training requirements have been internationally agreed upon and as may be specified by the Director General of Shipping shall successfully complete approved relevant training.

(3) Every master and officer shall, for continuing seagoing service on board tankers, meet the requirements as provided in sub rule (1), and be required, at intervals not exceeding five years, to establish continued professional competence for tankers in accordance with paragraph 3 of the section A-I/11 of the STCW Code.

(4) For the purpose of updating the knowledge of masters, officers and radio operators, the companies shall ensure that the texts of recent changes in national and international regulations concerning the safety of life at sea, security and the protection of the marine environment are made available to ships.

(5) For the purpose of upgradation of certificates of competency issued under STCW Convention, the act and the rules made there under;

(a) the Chief Examiner concerned shall determine the need for requiring the holders of certificate issued before the 1<sup>st</sup> January, 2017 to undergo appropriate refresher and updating training or assessment and formulate the structure of refresher and updating courses as provided under section A-I/11 of STCW Code.

(b) every seafarer who holds a certificate may apply for revalidation and upgrading and such candidate shall,-

(i) meet the standards of medical fitness as prescribed in these rules;

(ii) complete an approved refresher and updating course;

(c) be subject to assessment of service or training or both by an assessment centre; and

(d) be issued with a certificate or endorsement regarding complying with the requirements of the STCW Convention.

**15. Use of simulators.**— (1) The performance standards and other provisions set forth in section A-I/12 of the STCW Convention and such other requirements as are provided in part A of the STCW Code for any certificate concerned shall be complied with in respect of,—

(a) all mandatory simulator-based training;

(b) any assessment of competency which is carried out by means of a simulator; and

(c) any demonstration by means of a simulator, or continued proficiency.

**16. Conduct of trials.**— For the purpose of these rules, the term “trial” means an experiment or series of experiments, conducted over a limited period, which may involve the use of automated or integrated systems in order to evaluate alternative methods of performing specific duties or satisfying particular arrangements as provided by the STCW Convention, which shall provide at least the same degree of safety, security and pollution prevention as prescribed under these rules.

(2) The Director General of Shipping shall authorize ships to participate in trial and conduct of trial in compliance with the provisions of the STCW Convention.

**17. Responsibilities of companies.**—(1) The companies shall be responsible for the assignment of seafarers for service in their ships in accordance with the provisions of the STCW Convention and these rules and shall require every such company to ensure that,-

(a) each seafarer assigned to any of its ships holds an appropriate certificate in accordance with the provisions of the STCW Convention and as established by these rules;

(b) its ships are manned in compliance with the applicable safe manning requirements;

(c) seafarers assigned to any of its ships have received refresher and updating training as required by the STCW Convention and these rules;

(d) documentation and data including their experience, training, medical fitness and competency in assigned duties relevant to all seafarers employed on its ships are maintained and readily accessible for scrutiny;

(e) seafarers, on being assigned to any of its ships, are familiarized with their specific duties and with all ship arrangements including structured shipboard training programme, installations, equipment, procedures and ship characteristics that are relevant to their routine or emergency duties;

(f) the ship's complement can effectively co-ordinate their activities in an emergency situation and in performing functions vital to safety, security and to the prevention or mitigation of pollution; and

(g) at all times on board its ships there shall be effective oral communication in accordance with paragraph 3 and 4 of regulation 14, of Chapter V the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 .

**18. Transitional provisions.**— (1) Until 1st January 2017, the Chief Examiner concerned may continue to issue, recognize and endorse certificates in accordance with the provisions of the STCW Convention, the act and the rules made there under prior to the commencement of these rules in respect of those seafarers who commenced approved seagoing service, an approved education and training programme or an approved training course before 1 July 2013.

(2) Until 1st January 2017, the Chief Examiner concerned may continue to renew and revalidate certificates and endorsements in accordance with the provisions of the STCW Convention, the act and the rules made there under;

(3) Notwithstanding anything contained sub-rule (1) and sub-rule (2), the Director General of Shipping may impose any measures to ensure early implementation of the STCW Convention and these rules.

**19. Personnel of Indian Navy, Coast Guard and Inland Vessels.**— (1) Personnel of Indian Navy, Coast Guard and Inland Vessels who intend to become holders of a certificate of competency or certificate of proficiency complying with the requirements of these rules shall be required to successfully complete approved training and assessment programme prior to issuance of such certificate. Such candidate's existing experience and qualifications shall form the basis for comparison of their standards with those specified in the STCW Convention and the STCW Code as well as those

prescribed under these rules and for determining the required merchant ship sea-going service and requirements to undergo approved training and assessment programme.

(2) The Director General of Shipping shall, inspect the training and assessment facilities, procedure for certification, issuance of degrees, criteria for promotions in ranks, medical standards and other relevant details of the Indian Navy, Coast Guard and Inland Vessels to evaluate the standards and skills of their personnel which shall form the basis for comparison of their standards with those as specified in the STCW Convention, STCW Code and these rules.

## CHAPTER II

### MASTER AND DECK DEPARTMENT

#### **20. Minimum requirements for certification of officer in charge of a navigational watch (Second Mate of a foreign-going ship) on ships of 500 gross tonnage or more.—**

(1) Every officer in charge of a navigational watch serving on a sea-going ship of 500 gross tonnage or more shall hold a certificate of competency in Form 1.

(2) Every candidate for certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of issue of Certificate;
- (b) have approved sea-going service of not less than twelve months as part of an approved training and assessment programme which includes on-board training that meets the requirements of section A-II/1 of the STCW Code and is documented in an approved training record book, or otherwise have approved sea-going service of not less than thirty six months in the deck department;
- (c) have performed bridge watch-keeping duties for a period of not less than six months during the required approved sea-going service under the supervision of the Master or a qualified officer;
- (d) meet the applicable requirements of Chapter IV for performing designated radio duties;
- (e) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-II/1 of the STCW Code; and
- (f) meet the standard of competence specified in paragraph 2 of section A-VI/1, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/2, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/3 and paragraphs 1 to 3 of section A-VI/4 of the STCW Code.

#### **21. Minimum requirements for certification of Chief Mate (First Mate of a foreign-going ship) on ships of 3000 gross tonnage or more.—**

(1) Every Chief Mate on a sea-going ship of 3000 gross tonnage or more shall hold a certificate of competency in Form 2.

(2) Every candidate for certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as officer in charge of a navigational watch (Second Mate of a foreign-going ship) on ships of 500 gross tonnage or more;
- (b) have approved sea-going service for a period of not less than eighteen months on ships of 500 gross tonnage or more of which not less than six months of approved sea-going service on ships of 3000 gross tonnage or more as officer in charge of a navigational watch; and
- (c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence specified in section A-II/2 of the STCW Code for masters and Chief Mates on ships of 3000 gross tonnage or more.

#### **22. Minimum requirements for certification of Master (Master of a foreign-going ship) on ships of 3000 gross tonnage or more.—**(1) Every Master on a sea-going ship of 3000 gross tonnage or more shall hold a certificate of competency in Form 3.

(2) Every candidate for certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Chief Mate (First mate of a foreign-going ship) on ships of 3000 gross tonnage or more;
- (b) have approved sea-going service as an officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more for a period of not less than thirty six months, which shall include not less than eighteen months on ships of 3000 gross tonnage or more; and twelve months on ships of 500 gross tonnage or more, as holder of certificate of competency clause (a).
- (c) From the afore said total of 36 months sea-going service, at least 12 months sea-going service should be performed after obtaining a certificate of competency mentioned in clause (a) of which at least six months of sea service should be on ships of 3000 gross tonnage or more;

Provided that the period of thirty six months shall be reduced to thirty months, if twelve months of such sea-going service has been served as Chief Mate on ships of 3000 gross tonnage or more, or pro rata;

- (d) have completed approved advanced ship management course;
- (e) have completed approved simulator training course in ship handling and manoeuvring; and
- (f) have completed approved examination and assessment.

#### **23. Minimum requirements for certification of Extra Master.—**(1) An Extra Master certificate of competency in Form 4 is a higher grade certificate than any other certificate of competency as Master or Mate of a foreign going ship or a ship operating in Near-Coastal Voyages or navigational watch keeping officer and is an evidence that the candidate has attained a higher level of professional excellence.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Master (Master of a foreign-going ship) on ships of 3000 gross tonnage or more;
- (b) have completed an approved education, training, examination and assessment.

(3) Every candidate who meets the requirements of this rule shall be issued with an Extra Master certificate of competency. This shall be issued in addition to the certificate of competency as Master (Master of a foreign-going ship) on ships of 3000 gross tonnage or more as per regulation II/2 of STCW Convention and section A-II/2 of the STCW Code and rule 22 of these rules held by the candidate.

**24. Minimum requirements for certification of Chief Mate (First Mate of a foreign-going ship) on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage.**—(1) Every Chief Mate (First Mate of a foreign-going ship) on a sea-going ship of between 500 and 3,000 gross tonnage shall hold a certificate of competency in Form 5.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as officer in charge of a navigational watch (Second Mate of a foreign-going ship) on ships of 500 gross tonnage or more;
- (b) have approved sea-going service of not less than six months in the capacity of officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more; and
- (c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standards of competence as specified in section A-II/2 of the STCW Code for Masters and Chief Mates on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage.

**25. Minimum requirements for certification of Master (Master of a foreign-going ship) on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage.**—(1) Every Master on a sea-going ship of between 500 and 3,000 gross tonnage shall hold a certificate of competency in Form 6.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Chief Mate (First Mate of a foreign-going ship) on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage;
- (b) have approved sea-going service as an officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more for a period of not less than thirty six months, which shall include not less than twelve months on ships of 500 gross tonnage or more as holder of certificate of competency in clause (a)

Provided, the period of thirty six months shall be reduced to twenty four months, if twelve months of such sea-going service has been served as Chief Mate on ships of 500 gross tonnage or more, or pro rata;

- (c) have completed an approved advanced ship management course;
- (d) have completed an approved simulator training course in ship handling and manoeuvring; and
- (e) have completed an approved examination and assessment.

**26. Minimum requirements for certification of Officer in Charge of a Navigational watch (Navigational Watch-keeping Officer) on ships of between 500 and 6000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages.**—(1) Every officer in charge of a navigational watch serving on a sea-going ship of between 500 and 6000 gross tonnage, operating in Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 7.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of issue of certificate;
- (b) have approved sea-going service of not less than twelve months as part of an approved training and assessment programme which includes on-board training that meets the requirements of section A-II/1 of the STCW Code as applicable to ships operating in Near Coastal Voyages and is documented in an approved training record book, or otherwise have approved sea-going service of not less than thirty six months.
- (c) have performed, bridge watch-keeping duties for a period of not less than six months during the required sea-going service under the supervision of the Master or a qualified officer;
- (d) meet the applicable requirements of Chapter IV for performing designated radio duties;
- (e) have completed approved education, training, examination, and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-II/1 of the STCW Code as applicable to ships engaged on Near Coastal Voyages; and
- (f) meet the standards of competence specified in paragraphs 2 of section A-VI/1., paragraphs 1 to 4 of section A-VI/2, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/3, and paragraphs 1 to 3 of section A-VI/4 of the STCW Code.

**27. Minimum requirements for certification of Chief Mate on ships of between 500 and 6000 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages.**—(1) Every Chief Mate on a sea-going ship of between 500 and 6000 gross tonnage operating in Near Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 8.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Officer in Charge of a Navigational Watch (Navigational Watch-keeping Officer) on ships of 500 gross tonnage or more engaged on Near-Coastal Voyages;
- (b) have approved sea-going service of not less than twelve months as officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more engaged on Near Coastal Voyages; and
- (c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-II/2 of the STCW Code as applicable for masters and Chief Mates on ships of between 500 and 6000 gross tonnage engaged on Near Coastal Voyages.

**28. Minimum requirements for certification of Master on ships of between 500 and 6000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages.—** (1) Every Master on a sea-going ship of between 500 and 6000 gross tonnage operating in Near Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 9.

(2) Every candidate for the certification shall,—

(a) hold a certificate of competency as Chief Mate operating in Near Coastal Voyages on ships of between 500 and 6000 gross tonnage;

(b) have approved sea-going service as an Officer in Charge of a Navigational Watch on ships of 500 gross tonnage or more engaged on Near Coastal Voyages for a period of not less than thirty six months, which shall include not less than twelve months on ships of 500 gross tonnage or more as holder of certificate of competency in clause (a):

Provided that the period of thirty six months shall be reduced to thirty months, if twelve months of such sea-going service has been served as Chief Mate on ships of 500 gross tonnage or more engaged on Near-Coastal Voyages, or pro rata;

(c) have completed an approved advanced ship management course;

(d) have completed an approved simulator training course in ship handling and maneuvering; and

(e) have completed an approved examination and assessment.

**29. Minimum requirements for certification of Officers in Charge of a Navigational Watch on ships of less than 500 gross tonnage not engaged on Near-Coastal Voyages.—** Every officer in charge of a navigational watch serving on a sea-going ship of less than 500 gross tonnage not engaged on Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency as Officer in Charge of a Navigational Watch on ships of 500 gross tonnage or more in Form 1.

**30. Minimum requirement for certification of Masters on ships of less than 500 gross tonnage not engaged on Near-Coastal Voyages.—** Every master serving on a sea-going ship of less than 500 gross tonnage not engaged on Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency as Master on ships of between 500 and 3000 gross tonnage in Form 6.

**31. Minimum requirement for certification of Officers in Charge of a Navigational Watch on ships of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages.—** (1) Every Officer in Charge of a Navigational Watch on a sea-going ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 10.

(2) Every candidate for certification shall,—

(a) be not less than eighteen years of age on the date of issue of certificate;

(b) have completed,—

(i) special training as may be specified from time to time by the Director-General of Shipping, including not less than twelve months approved seagoing service, or

(ii) approved sea-going service in the deck department of not less than thirty six months;

(c) meet the applicable requirements of Chapter IV for performing designated radio duties;

(d) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standards of competence specified in section A-II/3 of the STCW Code for Officers in Charge of a Navigational Watch on ships of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages; and

(e) meet the standard of competence specified in paragraph 2 of section A-VI/1, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/2, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/3 and paragraphs 1 to 3 of section A-VI/4 of the STCW Code.

**32. Minimum requirement for certification of Masters on ships of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages.—** (1) Every Master serving on a sea-going ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 11.

(2) Every candidate for certification shall,—

(a) be not less than twenty years of age on the date of issue of certificate;

(b) have approved sea-going service of not less than twelve months as Officer in Charge of a Navigational Watch on a sea-going ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages;

(c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standards of competence specified in section A-II/3 of the STCW Code for Masters on ships of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages.

**33. Minimum requirements for certification of ratings forming part of a navigational watch.—** (1) Every rating forming part of a navigational watch on a sea-going ship of 500 gross tonnage or more, other than ratings under training and ratings whose duties while on watch are of an unskilled nature, shall hold a certificate of proficiency to perform such duties.

(2) Every candidate for the certification shall,—

(a) be not less than eighteen years of age on the date of application;

(b) have completed,—

(i) approved sea-going service for a period of not less than fifteen months; or

(ii) approved pre-sea training and approved sea-going service for a period of not less than six months; and

(c) meet the standard of competence as specified in section A-II/4 of the STCW Code.

(3) The sea-going service, training and experience as required by sub-clause (i) and (ii) of clause (b) sub-rule (2) shall be associated with navigational watch-keeping functions and shall also involve the performance of duties carried

out on board the ship under the direct supervision of the Master or the Officer in Charge of the Navigational Watch or a qualified rating.

**34. Minimum requirements for certification of ratings as Able Seafarer Deck.**—(1) Every Able Seafarer Deck serving on a sea-going ship of 500 gross tonnage or more shall hold a certificate of proficiency.

(2) Every candidate for certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of issue of certificate;
- (b) after having obtained certificate of proficiency as a rating forming part of a navigational watch, have approved sea-going service in the deck department of,—
  - (i) not less than eighteen months; or
  - (ii) not less than twelve months and have completed approved training; and
- (c) meet the standards of competence specified in section A-II/5 of the STCW Code.

(3) Every rating who has served in a relevant capacity in the deck department, as specified by the Chief Examiner concerned, for a period of not less than twelve months within the last sixty months preceding the 1 January, 2012, shall be eligible for certification.

### CHAPTER III ENGINE DEPARTMENT

**35. Minimum requirements for certification of Officers in Charge of an Engineering Watch in a manned engine room or designated duty engineers in a periodically unmanned engine room (Marine Engineer Officer Class IV).**—

(1) Every Officer in Charge of an Engineering Watch serving on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more shall hold a certificate of competency in Form 14.

(2) Every candidate for certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of issue of certificate;
- (b) have completed combined workshop skill training and an approved sea-going service of not less than twelve months as part of an approved training programme which includes onboard training that meets the standards of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code and is documented in an approved training record book, or otherwise have completed combined workshop skill training and an approved seagoing service of not less than thirty six months of which not less than thirty months shall be sea-going service in the engine department;
- (c) have performed during the required approved sea-going service, engine room certified watch keeping duties for a period of not less than six months under the supervision of the Chief Engineer Officer or a Certified Engineer Officer;
- (d) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code; and
- (e) meet the standard of competence specified in paragraph 2 of section A-VI/1, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/2, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/3 and paragraphs 1 to 3 of section A-VI/4 of the STCW Code.

**36. Minimum requirements for certification of Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class II).**—(1) Every Second Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more shall hold a certificate of competency in Form 15.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class IV (Officer in Charge of an Engineering Watch);
- (b) have not less than twelve months approved sea-going service as qualified engineer officer on ships of 750 kW or more; and
- (c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/2 of the STCW Code.

**37. Minimum requirements for certification of Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class I).**—(1) Every Chief Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more shall hold a certificate of competency in Form 16.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class II (Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more);
- (b) have approved sea-going service as Engineer Officer in Charge of an Engineering Watch on ships of 750 kW or more for a period of not less than thirty six months which shall include not less than twelve months as holder of certificate of competency as provided under clause (a):

Provided that the period of thirty six months shall be reduced to thirty months, if twelve months of such sea-going service has been served as Second Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more, or pro rata;

- (c) have completed an approved engineering management course;
- (d) have completed approved simulator training course; and
- (e) have completed approved examination and assessment.

**38. Minimum requirements for certification of Extra First Class Engineer.**—(1) A certificate of competency as extra First Class Engineer in Form 17 shall be deemed to be of a higher grade than any other certificate of competency as Marine Engineer Officer, Engineer or engine driver of a fishing vessel or engine driver of a sea-going ship.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Chief Engineer Officer for sea-going ships of 3000 kW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class I); and
- (b) have completed an approved education, training, examination and assessment programme.

(3) Every candidate who meets requirements of this rule shall be issued with an extra First Class Engineer certificate of competency. This shall be issued in addition to the certificate of competency as Chief Engineer Officer on ships of 3000 kW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class I) as per regulation III/2 of the STCW Convention and section A-III/2 of the STCW Code held by the candidate, and rule 37 of these rules.

**39. Minimum requirements for certification of Second Engineer Officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (Marine Engineer Officer Class III – Second Engineer Officer limited to 3000 kW).**—(1) Every Second Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power shall hold a certificate of competency in Form 18.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class IV (Officer in Charge of an Engineering Watch);
- (b) have not less than twelve months of approved seagoing service as qualified Engineer Officer on ships of 750 kW or more, and
- (c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/3 of the STCW Code.

**40. Minimum requirements for certification of Chief Engineer Officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (Marine Engineer Officer Class III – Chief Engineer Officer limited to 3000 kW).**—(1) Every Chief Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power shall hold a certificate of competency in Form 19.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class III – Second Engineer Officer limited to 3000 kW;
- (b) have not less than twelve months of approved sea-going service after obtaining certificate of competency as Marine Engineer Officer Class III - Second Engineer Officer – limited to 3000 kW;
- (c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/3 of the STCW Code.

(3) Every Engineer Officer who is qualified to serve as Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more, may serve as Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of less than 3,000 kW propulsion power, provided the certificate is so endorsed.

**41. Minimum requirements for certification of Officer in Charge of an Engineering Watch in a Manned Engine Room or Designated Duty Engineers in a Periodically Unmanned Engine Room of ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power, operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class IV - Near-Coastal Voyages).**—(1) Every Officer in Charge of an Engineering Watch serving on a sea-going ship of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 20.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of application;
- (b) have completed combined workshop skill training and an approved sea-going service of not less than twelve months as part of an approved training programme which includes onboard training that meets the standards of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code as applicable to ships engaged on Near-Coastal Voyages and is documented in an approved training record book, or otherwise have completed combined workshop skill training and an approved seagoing service of not less than thirty six months of which not less than thirty months shall be sea-going service in the engine department;
- (c) have performed during the required approved sea-going service, engine room watch keeping duties for a period of not less than six months under the supervision of the Chief Engineer Officer or a qualified Engineer Officer;
- (d) have completed approved education training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code as applicable to ships engaged on Near-Coastal Voyages; and
- (e) meet the standard of competence specified in paragraph 2 of section A-VI/1, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/2, , paragraphs 1 to 4 of section A-VI/3, paragraphs 1 to 3 of section A-VI/4, of the STCW Code.

**42. Minimum requirements for certification of Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class III- Second Engineer Officer - Near-Coastal Voyages).**—(1) Every Second Engineer Officer

on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages, shall hold a certificate of competency in Form 21.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate as Officer in Charge of an Engineering Watch on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class IV - Near-Coastal Voyages);
- (b) have not less than twelve months approved sea-going service as Engineer Officer in Charge of an Engineering Watch; and
- (c) have completed approved education training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/3 of the STCW Code as applicable to the ships operating in Near-Coastal Voyages.

**43. Minimum requirements for certification of Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class III - Chief Engineer Officer - Near-Coastal Voyages).—**(1) Every Chief Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 22.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class III - Second Engineer Officer - Near-Coastal Voyages on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages;
- (b) have not less than twelve months of approved sea-going service after obtaining certificate of competency as Marine Engineer Officer Class III - Second Engineer Officer - Near-Coastal Voyages;
- (c) have completed an approved engineering management course;
- (d) have completed approved simulator training course; and
- (e) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/3 of the STCW Code as applicable to the ships operating in Near-Coastal Voyages.

**44. Minimum requirements for certification of Second Engineer Officers on ships other than Tankers powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW propulsion power on Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class II – Near-Coastal Voyages).—**(1) Every Second Engineer Officer on a sea-going ship other than tanker powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW propulsion power engaged on Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 23.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class IV (Officer in Charge of an Engineering Watch);
- (b) have not less than twelve months approved sea-going service as Engineer Officer in charge of an Engineering Watch; and
- (c) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/2 of the STCW Code as applicable to ships engaged on Near-Coastal Voyages .

**45. Minimum requirements for certification of Chief Engineer Officers on ships other than Tankers powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW propulsion power on Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class I – Near-Coastal Voyages).—**(1) Every Chief Engineer Officer on a sea-going ship other than tanker powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW propulsion power engaged on Near-Coastal Voyages shall hold a certificate of competency in Form 24.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class II or Marine Engineer Officer Class II with limitation of upto 8000 kW on Near-Coastal Voyages (Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more or 3000 kW to 8000 kW engaged on Near-Coastal Voyages);
- (b) have approved sea-going service as Engineer Officer in Charge of an Engineering Watch on ships of 750 kW or more for a period of not less than thirty six months which shall include not less than twelve months as holder of certificate of competency as provided under clause (a):

Provided that the period of thirty six months shall be reduced to thirty months, if twelve months of such sea-going service has been served as Second Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more, or pro rata;

- (c) have completed an approved engineering management course;
- (d) have completed approved simulator training course; and
- (e) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/2 of the STCW Code as applicable to Near-Coastal Voyages.

**46. Minimum requirements for certification of ratings forming part of an engine room watch.—**(1) Every rating forming part of an engine room watch or designated to perform duties in a periodically unmanned engine room on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more, other than ratings under training and ratings whose duties while on watch are of an unskilled nature, shall hold a certificate of proficiency to perform such duties.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of application;
- (b) have completed-
  - (i) approved sea-going service for a period of not less than fifteen months; or
  - (ii) approved pre-sea training or special training and approved sea-going service for a period of not less than six months; and
- (c) meets the standard of competence specified in section A-III/4 of the STCW Code.

(3) The sea-going service, training and experience requirements by clause (i) and (ii) of sub-rule (2) shall be associated with engine room watch-keeping functions and shall also involve the performance of duties carried out on board the ship under the direct supervision of the Chief Engineer or the Officer in charge of an Engineering Watch or a certified rating duly documented in an approved rating training record book.

**47. Minimum requirements for certification of ratings as Able seafarer engine in a manned engine room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine room.**—(1) Every Able seafarer engine serving on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 KW propulsion power or more shall hold a certificate of proficiency.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) be not less than nineteen years of age on the date of application;
- (b) meet the requirements for certification as a rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room;
- (c) after having obtained certificate of proficiency as a rating forming part of an Engineering Watch, have approved sea-going service in the engine department of-
  - (i) not less than twelve months, or
  - (ii) not less than six months and have completed approved training; and
- (d) meets the standard of competence specified in section A-III/5 of the STCW Code.

(3) Rating who has served in a relevant capacity in the engine department for a period of not less than twelve months within the last sixty months preceding the 1<sup>st</sup> day of January, 2012, shall be eligible for certification.

**48. Minimum requirements for certification of Electro-Technical Officers.**—(1) Every Electro-Technical Officer serving on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more shall hold a certificate of competency as per Form 27.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the last date of application;
- (b) have completed not less than twelve months of combined workshop skills training and approved sea-going service of which not less than six months shall be sea-going service as part of an approved training program which meets the requirements of section A-III/6 of the STCW code and is documented in an approved training record book, or otherwise not less than thirty six months of the combined workshop skills training and approved seagoing service of which not less than thirty months shall be sea-going service in the engine department;
- (c) have completed approved education and training and meet the standard of competence specified in section A-III/6 of the STCW Code; and
- (d) meet the standard of competence specified in paragraph 2 of section A-VI/1, paragraphs 1 to 4 of section A-VI/2, paragraphs 1 to 4 section A-VI/3, paragraphs 1 to 3 of section A-VI/4, of the STCW Code.

(3) The seafarer who has served in a relevant capacity in the engine department for a period of not less than twelve months within the last sixty months preceding the 1<sup>st</sup> day of January, 2012 and meets the standard of competence specified in Section A-III/6 of the STCW code shall be eligible for assessment.

**49. Minimum requirements for certification of Electro-Technical ratings.**—(1) Every Electro-Technical rating serving on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more shall hold a certificate of proficiency in Form 28.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of application;
- (b) have—
  - (i) completed approved sea-going service including not less than twelve months training and experience, or
  - (ii) completed approved pre-sea training or special training and an approved period of sea-going service which shall not be less than six months, or
  - (iii) qualifications that meet the technical competences in table A – III/7 and an approved period of sea-going service, which shall not be less than three months; and
- (c) meets the standard of competence specified in section A-III/7 of the STCW Code.

(3) The seafarer who has served in a relevant capacity on board the ship for a period of not less than twelve months within the last sixty months preceding the 1<sup>st</sup> day of January, 2012 and meets the standard of competence specified in section A-III/7 of the STCW Code shall be eligible for assessment.

#### CHAPTER IV RADIO COMMUNICATION AND RADIO OPERATORS

**50. Minimum requirements for certification of radio operators.**—(1) Every person in charge of performing radio duties on ships not required to comply with the provisions of the Global Maritime Distress and Safety System are not required to meet the provisions of rule 51

Provided that such persons shall hold an appropriate certificate as prescribed by radio regulations.

(2) Every candidate for the certification shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of application;
- (b) have completed an approved training programme and meet prescribed standards of competence as applicable under radio regulations; and
- (c) meet the standard of competence specified in section A-VI/1, paragraph 2 (Basic courses).

(3) On completion of the approved training programme and demonstration of competence to perform the tasks, duties and responsibilities as applicable under the radio regulations be issued with a certificate and necessary endorsement shall be made on the same as required by the STCW Convention.

**51. Minimum requirements for certification of Global Maritime Distress and Safety System Radio Operator.**—(1) Every person in charge of or performing radio duties on a ship required to participate in the Global Maritime Distress and Safety System in addition to the compliance of the provisions of Merchant Shipping (Distress and Safety Radio Communication) Rules, 1995 shall hold a certificate of competency in Form 34.

(2) Every candidate for certification of competency under this rule shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of application;
- (b) attend an approved Global Maritime Distress and Safety System General Operator's Course or Restricted Operator's Course, as applicable, and meet the standard of competence as specified in section A-IV/2 of the STCW Code; and
- (c) meet the standard of competence specified in paragraph 2 of section A-VI/1.

(3) On completion of the approved Global Maritime Distress and Safety System General Operator's Course or Restricted Operator's Course, as applicable, and demonstration of competence to perform the tasks, duties and responsibilities as set out in Table A-IV/2 of the STCW Code be issued with a certificate of competency and necessary endorsement shall be made on the same as required by the STCW Convention.

#### CHAPTER V SPECIAL TRAINING REQUIREMENTS FOR PERSONNEL ON CERTAIN TYPES OF SHIPS

**52. Minimum requirements for the training and qualifications of Masters, Officers and Ratings on Oil Tankers.**—

(1) Officers and ratings assigned specific duties and responsibilities related to cargo or cargo equipment on Oil tankers shall hold a certificate of proficiency in basic training for Oil tanker cargo operations in Form 37.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in basic training for Oil tanker cargo operations shall have completed basic training in accordance with the provisions specified in section A-VI/1 of the STCW Code and shall have completed—

- (a) at least three months of approved sea-going service within the last sixty months on oil tankers and meet the standard of competence as specified in paragraph 1 of section A-V/1-1 of the STCW Code for Oil tanker cargo operations; or
- (b) an approved basic training for Oil tanker cargo operations and meet the standard of competence specified in paragraph 1 of section A-V/1-1 of the STCW Code for Oil tanker cargo operations.

(3) Masters, Chief Engineer Officers, Chief Mates, Second Engineer Officers and any person with immediate responsibility for loading, discharging, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo-related operations on Oil tankers shall hold a certificate of proficiency in advanced training for Oil tanker cargo operations in Form 38.

(4) Every candidate for a certificate of proficiency in advanced training for Oil tanker cargo operations shall—

- (a) meet the requirements for certification in the basic training for Oil tanker cargo operations; and
- (b) while qualified for certification in basic training for Oil tanker cargo operations, have—
  - (i) at least three months of approved sea-going service within the last sixty months on Oil tankers, or
  - (ii) at least one month of approved onboard training on Oil tankers in a supervisory capacity, which includes at least three loading and three unloading operations and is documented in an approved training record book as specified in section B-V/1 of the STCW Code; and
- (c) have completed approved advanced training for Oil tanker cargo operations, and an approved full mission liquid cargo handling simulator for deck officers on Oil tankers and meet the standard of competence as specified in paragraph 2 of section A-V/1-2 of the STCW Code.

(5) The Chief Examiner concerned or the Examiner concerned, as the case may be, shall ensure that a certificate of proficiency is issued to seafarers who are qualified in accordance with sub- rule (2), or as the case may be, sub-rule (4), or endorse an existing certificate of competency or certificate of proficiency.

**53. Minimum requirements for the training and qualifications of Masters, Officers and Ratings on Chemical Tankers.**—(1) Officers and ratings assigned specific duties and responsibilities related to cargo or cargo equipment on Chemical tankers shall hold a certificate of proficiency in basic training for Chemical tanker cargo operations in Form 37.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in basic training for Chemical tanker cargo operations shall have completed basic training in accordance with the provisions as specified in section A-VI/1 of the STCW Code and shall have completed-

- (a) at least three months of approved sea-going service within the last sixty months on Chemical tankers and meet the standard of competence as specified in paragraph 1 of section A-V/1-1 of the STCW Code for Chemical tanker cargo operations; or
- (b) an approved basic training for Chemical tanker cargo operations and meet the standard of competence specified in paragraph 1 of section A-V/1-1 of the STCW Code for Chemical tanker cargo operations.

(3) Masters, Chief Engineer Officers, Chief Mates, Second Engineer Officers and any person with immediate responsibility for loading, discharging, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo-related operations on Chemical tankers shall hold a certificate of proficiency in advanced training for Chemical tanker cargo operations in Form 38.

(4) Every candidate for a certificate of proficiency in advanced training for Chemical tanker cargo operations shall,-

- (a) meet the requirements for certification in the basic training for Chemical tanker cargo operations; and
- (b) while qualified for certification in basic training for Chemical tanker cargo operations, have-
  - (i) at least three months of approved sea-going service within the last sixty months on Chemical tankers, or
  - (ii) at least one month of approved onboard training on Chemical tankers in a supernumerary capacity, which includes at least three loading and three unloading operations and is documented in an approved training record book as specified in section B-V/1 of the STCW Code; and
- (c) have completed approved advanced training for Chemical tanker cargo operations and meet the standard of competence specified in paragraph 2 of section A-V/1-2 of the STCW Code.

(5) The Chief Examiner concerned or the Examiner concerned, as the case may be shall ensure that a certificate of proficiency is issued to seafarers who are qualified in accordance with sub-rule (2) or, as the case may be, sub-rule (4), or endorse an existing certificate of competency or certificate of proficiency.

(6) Notwithstanding the provisions of rule 52 or rule 53, the approved basic training for Oil and Chemical tanker cargo operations as well as the certificate of proficiency in basic training for Oil and Chemical tanker cargo operations may be combined together in accordance with the provisions of section A-V-1-1 of the STCW Code and in accordance with the relevant International Maritime Organisation Model Course on basic training for Oil and Chemical tanker cargo operations.

**54. Minimum requirements for the training and qualifications of Masters, Officers and Ratings on Liquefied Gas Tankers.**—(1) Officers and ratings assigned specific duties and responsibilities related to cargo or cargo equipment on liquefied gas tankers shall hold a certificate of proficiency in basic training for liquefied gas tanker cargo operations in Form 37.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in basic training for liquefied gas tanker cargo operations shall have completed basic training in accordance with the provisions as specified in paragraph 1 of section A-VI/1 of the STCW Code and shall have completed-

- (a) at least three months of approved sea-going service within the last sixty months on liquefied gas tankers and meet the standard of competence as specified in the STCW Code; or
- (b) an approved basic training for liquefied gas tanker cargo operations and meet the standard of competence as specified in the STCW Code.

(3) Masters, Chief Engineer Officers, Chief Mates, Second Engineer Officers and any person with immediate responsibility for loading, discharging, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo-related operations on liquefied gas tankers shall hold a certificate of proficiency in advanced training for liquefied gas tanker cargo operations in Form 38.

(4) Every candidate for a certificate of proficiency in advanced training for liquefied gas tanker cargo operations shall,-

- (a) meet the requirements for certification in basic training for liquefied gas tanker cargo operations; and
- (b) while qualified for certification in basic training for liquefied gas tanker cargo operations, have:
  - (i) at least three months of approved sea-going service within the last sixty months on liquefied gas tankers, or
  - (ii) at least one month of approved onboard training on liquefied gas tankers in a supernumerary capacity, which includes at least three loading and three unloading operations and is documented in an approved training record book as specified in section B-V/1 of the STCW Code; and
- (c) have completed approved advanced training for liquefied gas tanker cargo operations and meet the standard of competence as specified in paragraph 2 of section A-V/1-2 of the STCW Code.

(5) The Chief Examiner concerned or the Examiner concerned, as the case may be, shall ensure that a certificate of proficiency is issued to seafarers who are qualified in accordance with sub-rule (2) or as the case may be, sub-rule (4), or endorse an existing certificate of competency or certificate of proficiency.

**55. Minimum requirements for the training and qualifications of Masters, Officers, Ratings and other Personnel on Passenger Ships.**—(1) This rule applies to Masters, Officers, ratings and other personnel serving on board passenger ships.

(2) Prior to being assigned shipboard duties on board passenger ships, seafarers shall have completed the training required by sub-rules (3) to (6) of this rule in accordance with their capacity, duties and responsibilities. Seafarers who are required to be trained as aforesaid shall, at intervals not exceeding five years, undertake appropriate refresher training as specified by the Director General of Shipping.

(3) Masters, Officers and other personnel designated on muster lists to assist passengers in emergency situations on board passenger ships shall have completed training in crowd management as specified in paragraph 1 of section A-V/2 of the STCW Code and hold a certificate of proficiency in crowd management training.

(4) Personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships shall have completed the safety training as specified in paragraph 2 of section A-V/2 of the STCW Code and hold a certificate of proficiency in safety training for personnel providing direct services to passengers in passenger spaces.

(5) Masters, Chief Mates, Chief Engineer Officers, Second Engineer Officers and any person designated on muster lists of having responsibility for the safety of passengers in emergency situations on board passenger ships shall have completed approved training in crisis management and human behaviour as specified in paragraph 3 of section A-V/2, of the STCW Code and hold a certificate of proficiency in crisis management and human behaviour training.

(6) Masters, Chief Engineer Officers, Chief Mates, Second Engineer Officers and every person assigned immediate responsibility for embarking and disembarking passengers, loading, discharging or securing cargo, or closing hull openings on board ro-ro passenger ships shall have completed approved training in passenger safety, cargo safety and hull integrity as specified in paragraph 4 of section A-V/2 of the STCW Code and hold a certificate of proficiency in passenger safety, cargo safety and hull integrity training.

## CHAPTER VI

### EMERGENCY, OCCUPATIONAL SAFETY, SECURITY, MEDICAL CARE AND SURVIVAL FUNCTIONS

**56. Minimum requirements for safety familiarization for all seafarers.**—(1) Before being assigned to shipboard duties, all persons employed or engaged on a sea-going ship, other than passengers, shall receive approved familiarization training in personal survival techniques or receive sufficient information and instruction as specified in part B of the STCW Code, so as to perform tasks mentioned in paragraph 1 of section A-VI/1 of STCW Code.

**57. Minimum requirements for basic training for all seafarer with designated safety or pollution prevention duties.**—(1) Seafarers employed or engaged in any capacity on board ship on the business of that ship as part of the ship's complement with designated safety or pollution prevention duties in the operation of the ship shall hold a certificate of proficiency in each of the following:

- (a) personal survival techniques;
- (b) fire prevention and fire fighting;
- (c) elementary first aid; and
- (d) personal safety and social responsibilities.

(2) Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in personal survival techniques-

(a) every candidate for a certificate of proficiency in personal survival techniques shall,-

- (i) attend an approved training course in personal survival techniques; and
- (ii) meet the standard of competence set out in table A-VI/1-1 of the STCW Code;

(b) seafarers holding this certificate shall be required, every five years, to undertake refresher training in those tasks where training cannot be conducted on board, as specified by the Director General of Shipping, and be issued with a documentary evidence.

(3) Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in fire prevention and fire fighting—

(a) every candidate for a certificate of proficiency in fire prevention and fire fighting shall,—

- (i) attend an approved training course in fire prevention and fire fighting; and
- (ii) meet the standard of competence set out in table A-VI/1-2 of the STCW Code;

(b) seafarers holding this certificate shall be required, every five years, to undertake refresher training in those tasks where training cannot be conducted on board, as specified by the Director General of Shipping, and be issued with a documentary evidence.

(4) Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in elementary first aid— every candidate for a certificate of proficiency in elementary first aid shall,-

- (i) attend an approved training course in elementary first aid; and
- (ii) meet the standard of competence set out in table A-VI/1-3 of the STCW Code.

(5) Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in personal safety and social responsibilities - every candidate for a certificate of proficiency in personal safety and social responsibilities shall,-

- (i) attend an approved training course in personal safety and social responsibilities; and
- (ii) meet the standard of competence set out in table A-VI/1-4 of the STCW Code.

**58. Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in survival craft, rescue boats other than fast rescue boats.**—(1) Every candidate for a certificate of proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats shall,—

- (a) be not less than eighteen years of age on the date of completion of the course;
- (b) have approved sea-going service of not less than twelve months or have attended an approved pre-sea training course and have approved sea-going service of not less than six months;
- (c) attend an approved training course of proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats; and
- (d) meet the standard of competence for certificates of proficiency in survival craft and rescue boats set out in paragraphs 1 to 4 of section A-VI/2 of the STCW Code.

(2) Seafarers holding this certificate shall be required, every five years, to undertake refresher training in those tasks where training cannot be conducted on board, as specified by the Director General of Shipping, and be issued with a documentary evidence.

**59. Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in fast rescue boats.**—(1) Every candidate for a certificate of proficiency in fast rescue boats shall:

- (a) be the holder of a certificate of proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats;
- (b) attend an approved training course of proficiency in fast rescue boats; and
- (c) meet the standard of competence for certificates of proficiency in fast rescue boats set out in paragraphs 7 to 10 of section A-VI/2, of the STCW Code.

(2) Seafarers holding this certificate shall be required, every five years, to undertake refresher training in those tasks where training cannot be conducted on board, as specified by the Director General of Shipping, and be issued with a documentary evidence.

**60. Minimum requirements for issue of a certificate of proficiency in advanced fire fighting.**—(1) Seafarers designated to control fire-fighting operation shall hold a certificate of proficiency in advanced fire fighting.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in advanced fire fighting shall,—

- (a) attend an approved training course in advanced fire fighting; and
- (b) meet the standard of competence as specified in paragraphs 1 to 4 of section A-VI/3, of the STCW Code.

(3) Seafarers holding this certificate shall be required, every five years, to undertake refresher training in those tasks where training cannot be conducted on board, as specified by the Director General of Shipping, and be issued with a documentary evidence.

**61. Minimum requirements for the issue of certificate of proficiency in medical first aid.**—(1) Seafarers designated to provide medical first aid on board ship shall hold a certificate of proficiency in medical first aid.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in medical first aid shall,—

- (a) attend an approved training course in medical first aid; and
- (b) meet the standard of competence as specified in paragraphs 1 to 3 of section A-VI/4, of the STCW Code.

**62. Minimum requirements for the issue of certificate of proficiency in medical care.**—(1) Seafarers designated to take charge of medical care on board ship shall hold a certificate of proficiency in medical care.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in medical care shall,—

- (a) attend an approved training course in medical care; and
- (b) meet the standard of competence as specified in paragraph 4 to 6 of section A-VI/4, of the STCW Code.

**63. Minimum requirements for security-related familiarization training for all seafarers.**—(1) Before being assigned to shipboard duties, all persons employed or engaged on a sea-going ship which is required to comply with the provisions of the ISPS Code, other than passengers, shall receive security-related familiarization training, as specified in part B of the STCW Code, to be able to perform tasks mentioned in paragraph 1 of section A-VI/6 of the STCW Code.

(2) Seafarers with designated security duties engaged or employed on a sea-going ship shall, before being assigned such duties, receive security-related familiarization training in their assigned duties and responsibilities, as specified in part B of the STCW Code.

(3) The security-related familiarization training shall be conducted by the Ship Security Officer or the Master.

**64. Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in security-awareness training.**—(1) All seafarers without designated security duties shall hold a certificate of proficiency in security-awareness training with effect from the 1<sup>st</sup> January, 2014.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in security-awareness training shall,—

- (a) attend an approved training course in security-awareness training; and
- (b) meet the standard of competence as specified in paragraph 4 of section A-VI/6, of the STCW Code.

**65. Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for seafarers with designated security duties.**—(1) All seafarers with designated security duties shall hold a certificate of proficiency for seafarers with designated security duties with effect from the 1<sup>st</sup> January, 2014. This certificate shall be deemed to be of a higher level than certificates of proficiency in security-awareness training.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency for seafarers with designated security duties shall,—

- (a) attend an approved training course for seafarers with designated security duties; and
- (b) meet the standard of competence as specified in paragraphs 6 to 8 of section A-VI/6, of the STCW Code.

**66. Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for Ship Security Officers.**—(1) Seafarers designated as Ship Security Officer shall hold a certificate of proficiency for Ship Security Officer. This certificate shall be deemed to be of a higher level than certificates of proficiency in security-awareness training and certificate of proficiency for seafarers with designated security duties.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency as Ship Security Officer shall,—

- (a) have approved sea-going service of not less than twelve months or appropriate sea-going service and knowledge of ship operations;
- (b) attend an approved training course for Ship Security Officer; and
- (c) meet the standard of competence for certification of proficiency as Ship Security Officer, set out in paragraphs 1 to 4 of section A-VI/5 of the STCW Code.

## CHAPTER VII

### ALTERNATIVE CERTIFICATION

**67. Issue of alternative certificates.**—(1) Notwithstanding the requirements for certification laid down in chapters II and III of these rules, the Chief Examiner concerned may issue certificates other than those mentioned in the said Chapters, provided that,—

- (a) the associated functions and levels of responsibility to be stated on the certificates and in the endorsements are selected from and identical to those appearing in sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 and A-IV/2 of the STCW Code;
- (b) the candidates have completed approved education and training and meet the requirements for standards of competence, specified in the relevant sections of the STCW Code and as set forth in section A-VII/1 of the STCW Code, for the functions and levels that are to be stated in the certificates and in the endorsements;
- (c) the candidates have completed approved sea-going service appropriate to the performance of the functions and levels that are to be stated on the certificate and the minimum duration of sea-going service shall be equivalent to the duration of sea-going service as specified in chapters II and III.  
However, the minimum duration of sea-going service shall be not less than the duration as specified in section A-VII/2 of the STCW Code;
- (d) the candidates for certification who are to perform the function of navigation at the operational level shall meet the applicable requirements of the rules in chapter IV, as appropriate, for performing designated radio duties; and
- (e) the certificates are issued in accordance with the rule 5 of these rules and the provisions set forth in Chapter VII of the STCW Code.

(2) No certificate shall be issued under this Chapter unless the same has been communicated by the Director General of Shipping to the International Maritime Organization as required under article IV and regulation I/7 of the STCW Convention.

**68. Certification of seafarers.**—(1) Every seafarer who performs any function or group of functions, specified in tables A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 or A-II/5 of chapter II or in tables A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 or A-III/5 of Chapter III or A-IV of Chapter IV of the STCW Code, shall hold a certificate of competency or certificate of proficiency.

(2) Every candidate for certification under the provisions specified in paragraph 1.3 of regulation VII/1 of Chapter VII at the operational level in functions specified in tables A-II/1 and A-III/1 shall,—

- (a) have approved seagoing service of not less than twelve months, which service shall include a period of at least six months performing engine-room duties under the supervision of a qualified Engineer Officer and, where the function of navigation is required, a period of at least six months performing bridge watch-keeping duties under the supervision of a qualified bridge watch-keeping officer; and
- (b) have completed, during this service, onboard training programmes approved as meeting the relevant requirements of sections A-II/1 and A-III/1 of the STCW Code and documented in an approved training record book.

(3) Every candidate for certification under the provisions of chapter VII at the management level in a combination of functions specified in tables A-II/2 and A-III/2 of the STCW Code shall have approved seagoing service related to the functions to be shown in the endorsement to the certificate as follows:

- (a) for persons other than those having command or responsibility for the mechanical propulsion of a ship – (i) twelve months performing duties at the operational level related to STCW Convention, regulation III/2 or III/3 as appropriate; and, (ii) where the function of navigation at the management level is required, at least twelve months performing bridge watch-keeping duties at the operational level;
- (b) for those having command or the responsibility for the mechanical propulsion of a ship – (i) not less than forty eight months, including the duties provided under clause (a), performing, as a certificated officer, duties related to the functions to be shown in the endorsement to the certificate, of which twenty four months shall be served performing functions set out in table A-III/1 of the STCW Code; and (ii) twenty four months shall be served performing functions set out in tables A-III/1 and A-III/2 of the STCW Code.

(4) Every candidate for certification under the provisions of Chapter VII at support level in functions specified in tables A-II/4 and A-III/4 of the STCW Code shall have completed,—

- (a) approved seagoing service including not less than twenty four months experience, made up of,–
  - (i) not less than twelve months associated with navigational watch-keeping duties; and
  - (ii) not less than twelve months associated with engine-room duties; or

(b) special training, either pre-sea or on board ship, including an approved period of seagoing service which shall not be less than eight months, made up of,-

- (i) not less than four months associated with navigational watch-keeping duties; and
- (ii) not less than four months associated with engine-room duties;

(c) the seagoing service, training and experience required by clauses (4)(a) and (b) shall be carried out under the direct supervision of an appropriately qualified officer or rating.

(5) Every candidate for certification under the provisions of chapter VII at the support level in functions specified in tables A-II/5 and A-III/5 of the STCW Code shall, while qualified to serve as a rating forming part of a navigational and engine-room watch, meet the standards of competence as specified above and have completed,—

- (a) approved seagoing service of not less than thirty months, made up of,—
  - (i) not less than eighteen months associated with able seafarer deck duties, and
  - (ii) not less than twelve months associated with able seafarer engine duties; or
- (b) an approved training programme and not less than eighteen months of approved seagoing service, made up of,—
  - (i) not less than twelve months associated with able seafarer deck duties; and
  - (ii) not less than six months associated with able seafarer engine duties; or
- (c) an approved special integrated deck and engine training programme, including not less than twelve months' approved seagoing service in an integrated deck and engine department, made up of,—
  - (i) not less than six months associated with able seafarer deck duties; and
  - (ii) not less than six months associated with able seafarer engine duties.

**69. Principles governing the issue of Alternative Certificates.**—(1) Chief Examiner concerned shall ensure that the following principles are observed, namely:—

- (a) no alternative certification system shall be implemented unless it ensures a degree of safety at sea and has a preventive effect as regards pollution at least equivalent to that provided by the other Chapters of these rules; and
- (b) any arrangement for alternative certification issued under this Chapter shall provide for the interchangeability of certificates with those issued under other Chapters of these rules.

(2) The principle of interchangeability in sub-rule (1) shall ensure that,—

- (a) seafarers certificated under the arrangements of Chapter II or Chapter III and those certificated under Chapter VII are able to serve on ships which have either traditional or other forms of shipboard organisation; and
- (b) seafarers are not trained for specific shipboard arrangements in such a way to utilise or impair their ability to their skills elsewhere.

(3) In issuing any certificate under the provisions of this Chapter, the following principles shall be taken into account, namely:—

- (a) the issue of alternative certificates shall not be used to,—
  - (i) reduce the number of crew on board,
  - (ii) lower the integrity of the professional or to de-skill seafarers, or
  - (iii) justify the assignment of the combined duties of the engine and deck watch keeping officers to a single certificate holder during any particular watch; and
- (b) the person in command shall be designated as the Master; and the legal position and authority of the Master and others shall not be adversely affected by the implementation of any arrangement for alternative certification.

(4) The principles contained in sub-rule (1) and (2) shall ensure that the competency of both deck and engineer officers is maintained.

## CHAPTER VIII WATCH-KEEPING

**70. Fitness for duty.**—(1) The company shall, for the purpose of preventing fatigue,—

- (a) establish and enforce rest periods for watch keeping personnel and whose duties involve designated safety, security and prevention of pollution duties in accordance with the provisions as specified in section A-VIII/1 of the STCW Code; and
- (b) require that watch systems are so arranged that the efficiency of all watch keeping personnel is not impaired by fatigue and that duties are so organized that the first watch at the commencement of a voyage and subsequent relieving watches are sufficiently rested and otherwise fit for duty.

(2) To comply with the requirements of clause (a) of sub-rule (1), the following principles shall be observed, namely:—

- (a) the company shall take into account the danger posed by fatigue of seafarers, especially those whose duties involve the safe and secure operation of a ship;
- (b) all persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch and whose duties involve designated safety, prevention of pollution and security duties shall be provided with a rest period of not less than,—
  - (i) a minimum of ten hours of rest in any twenty four-hour period; and
  - (ii) seventy seven hours in any seven-day period;

- (c) the hours of rest may be divided into not more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the intervals between consecutive periods of rest shall not exceed fourteen hours;
- (d) the requirements for rest periods laid down in clauses (b) and (c) need not be maintained in the case of an emergency or in other overriding operational conditions;
- (e) musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills specified by the company or Director General of Shipping and by international instruments, shall be conducted in a manner that minimises the disturbance of rest periods and does not induce fatigue;
- (f) the company shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible and the schedules shall be established in a standardised format in the working language or languages of the ship and in English;
- (g) when a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, look-out or steering, etc. the seafarer shall have an adequate compensatory rest period, if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work;
- (h) the company shall require that records of daily hours of rest of seafarers be maintained in a standardised format, in the working language or languages of the ship and in English, to allow monitoring and verification of compliance as specified therein and the seafarer shall receive a copy of the records pertaining to him, which shall be endorsed by the Master or by a person authorised by the Master and by the seafarer;
- (i) nothing in this sub-rule shall be deemed to impair the right of the Master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the Master may suspend the schedule of hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored and as soon as practicable after the normal situation has been restored, the Master shall ensure that the seafarer who performed the work in a scheduled rest period is provided with an adequate period of rest;
- (j) the Director General of Shipping may relax the required hours of rest in sub-clause (ii) of clause (b) and clause (c) of this rule:

Provided that the rest period shall be not less than seventy hours in any seven-day period:

Provided further that the relaxation from the weekly rest period provided for in sub-clause (ii) of clause (b), shall not be allowed for more than two consecutive weeks. The intervals between two periods of relaxation on board shall not be less than twice the duration of such relaxation.

Provided also that the hours of rest provided for in sub-clause (i) of clause (b) may be divided into three periods, one of which shall be at least six hours in length and neither of the other two periods shall be less than one hour in length. The intervals between consecutive periods of rest shall not exceed fourteen hours. Relaxation, if any shall not extend beyond two intervals of twenty four 24-hour each in any seven-day period and such relaxation shall be subject to the guidance regarding prevention of fatigue as specified in section B-VIII/1.

(3) The Director General of Shipping shall, for the purpose of preventing drug and alcohol abuse, establish adequate measures in accordance with the provisions as specified in section A-VIII/1 of the STCW Code while taking into account the guidance specified in section B-VIII/1 of the said Code and he shall also establish, for the purpose of preventing alcohol abuse, a limit of not greater than 0.05% blood alcohol level (BAC) or 0.25 mg/l alcohol in the breath or a quantity of alcohol leading to such alcohol concentration for Masters, Officers and other seafarers while performing designated safety, security and marine environmental duties.

**71. Watch-keeping arrangements and principles to be observed.**—(1) The companies, Masters, Chief Engineer Officers and all watch keeping personnel shall comply with the requirements, principles and guidance set out in the STCW Code and shall ensure that a safe continuous watch or watches appropriate to the prevailing circumstances and conditions are maintained in all sea-going ships at all times.

(2) The Master of every ship shall ensure that watch keeping arrangements are adequate for maintaining a safe watch or watches, taking into account the prevailing circumstances and conditions and that, under the Master's general direction,—

- (a) officers in charge of the navigational watch are responsible for navigating the ship safely during their periods of duty, when they shall be physically present on the navigating bridge or in a directly associated location such as the chartroom or bridge control room at all times;
- (b) radio operators are responsible for maintaining a continuous radio watch on appropriate frequencies during their periods of duty;
- (c) officers in charge of an Engineering Watch, as defined in the STCW code, under the direction of the Chief Engineer Officer, shall be immediately available and on call to attend the machinery spaces and, when required, shall be physically present in the machinery space during their periods of responsibility;
- (d) an appropriate and effective watch or watches are maintained for the purpose of safety at all times, while the ship is at anchor or moored and, if the ship is carrying hazardous cargo, the organisation of such watches takes full account of the nature, quantity, packing and stowage of the hazardous cargo and of any special conditions prevailing on board, afloat or ashore; and

(e) as applicable, an appropriate and effective watch or watches are maintained for the purposes of security.

## CHAPTER IX MISCELLANEOUS PROVISIONS

**72. Action against candidates found guilty of misconduct.**—(1) Candidates are prohibited from furnishing any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application in Form 29. Candidates are also prohibited from correcting or altering or otherwise tampering with any entry in a document or its attested or certified copy submitted by them nor should they submit a tampered or fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested or certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted.

(2) A candidate who is or has been declared by the Chief Examiner concerned to be guilty of—

- (a) obtaining support of his or her candidature by any means; or
- (b) impersonating; or
- (c) procuring impersonation by any person; or
- (d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (e) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (f) resorting to any other irregular or improper means in connection with his or her candidature for the examination; or
- (g) using unfair means during the examination; or
- (h) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter in the script; or
- (i) misbehaving in any other manner in the examination hall; or
- (j) harassing or doing bodily harm to the staff employed or persons authorised by the examiner concerned for the conduct of their examination; or
- (k) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may be subject to punitive measures as provided under sub-rule (3).

(3) Candidates who is or has been declared guilty under sub-rule (2) of this rule may be,—

- (a) disqualified by the Chief Examiner concerned from examination for which he or she is a candidate; or
- (b) debarred either permanently or for a specified period,—
  - (i) by the Chief Examiner concerned from any examination or assessment held by him;
  - (ii) by the Central Government, from any employment under it; and
- (c) if he or she is already in any service to disciplinary action under the relevant rules of such service.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, a candidate who is declared guilty by the Chief Examiner concerned may also be liable for criminal prosecution under the Act.

**73. Appellate authority and appeal procedures.**—(1) Any seafarer aggrieved by any order made under these rules by any officer of the Directorate General of Shipping may prefer an appeal to the Director General of Shipping within a period of sixty days from the date of receipt of the order.

(2) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant satisfies the appellate authority that he or she had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(3) Every appeal made under this rule shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(4) The appellate authority, before disposing of an appeal, shall give a reasonable opportunity of being heard to the appellant.

(5) An appeal shall be disposed of as expeditiously as possible but within a period of six months from the date of the order.

(6) The appellate authority may confirm, modify or reverse the order appealed against.

**74. Power to exempt and dispensation.**—(1) Where the Director General of Shipping is satisfied that the application of full requirements of the provisions of the STCW Convention and these rules are unreasonable or impracticable, he may, to such exceptions and conditions as he may consider necessary, by order in writing, exempt a seafarer from such requirements.

(2) The Chief Examiner concerned under circumstances of exceptional necessity is of the opinion that nothing cause danger to persons, property or the environment, may issue a dispensation permitting a specified seafarer to serve in a specified ship for a specified period not exceeding six months in a capacity, other than that of the radio officer or radiotelephone operator, except as provided by the relevant Radio Regulations, for which he does not hold the appropriate certificate:

Provided that the person to whom the dispensation is issued shall be adequately qualified to fill the vacant post in a safe manner, to the satisfaction of the Chief Examiner Concerned but such dispensation shall not be granted to serve as a Master or a Chief Engineer Officer except in circumstances of force majeure and as far as possible for a shortest period.

(3) Any dispensation for a post shall be granted only to a person properly certificated to fill the post immediately below. Where certification of the post below is not required by the STCW Convention and under these rules, a dispensation may be issued by the Chief Examiner concerned to a seafarer whose qualification and experience are in the opinion of the Chief Examiner concerned to be equivalent to the requirements for the post to be filled:

Provided that if such seafarer holds no appropriate certificate, he shall be required to pass a test prescribed by the Chief Examiner concerned and the Chief Examiner concerned shall ensure that the post in question shall be filled by the holder of an appropriate certificate of competency as soon as possible.

(4) The Director General of Shipping shall, as soon as possible after 1<sup>st</sup> of January of every year, send a report to the Secretary-General giving information of the total number of dispensations in respect of each capacity for which a certificate has been issued during the year to seagoing ships, together with information about number of such ships above and below 1,600 gross register tons respectively.

**75. Supervision by the Director General of Shipping.**—(1) The Director General of Shipping shall supervise that all training and assessment of seafarers for certification is—

(a) structured in accordance with written programmes including such methods and media of delivery, procedure and course material as are necessary to achieve the standard of competence as specified in Chapters II to VIII of the STCW Code; and

(b) conducted, monitored, evaluated and supported by persons qualified in accordance with paragraphs 3 to 6 of section A-I/6 of the STCW Code.

**76. Replacement of lost or damaged certificates.**—(1) Any person whose certificate has been damaged or lost, may apply for a duplicate of the same to the Principal Officer, Mercantile Marine Department who delivered the certificate.

(2) Every such application shall be in Form 30 and shall be accompanied by an appropriate fee as specified in the Schedule:

Provided that in case of loss of a certificate due to fire on board the ship or total loss of the ship no such fee shall be charged.

(3) On receipt of an application under sub-rule (1) the Principal Officer shall refer the same to the Chief Examiner concerned, who shall, after making such inquiry as he may deem fit, issue a duplicate certificate to the applicant through the respective issuing authority as soon as may be practicable but in any case not later than the expiry of a period of six months.

**77. Review of results of examination.**—A candidate who has been declared failed in any examination may apply in Form 31 to the Principal Officer, Mercantile Marine Department for review of results within a period of thirty days from the date of declaration of the results. Such application shall be accompanied by a fee as specified in the Schedule. The Principal Officer shall forward the application to the Chief Examiner concerned who shall assign an Examiner other than who dealt with the examination originally to review the evaluation. Results of review when approved shall be final and no appeal shall be admitted against such review.

**78. Fees.**—(1) Every candidate shall pay fees in accordance with the scale of fees specified in the Schedule on each occasion he applies for examination or enquiries, as the case may be, as to his eligibility for examination or exemption or both.

(2) Fees paid under these rules shall not be refunded.

**79. Repeal.**—(1) The Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) Rules, 1998 are hereby repealed.

(a) All certificates issued under the repealed rules, shall continue to remain valid till the date of expiry and may be applied for revalidation under the provisions of these rules;

(b) All appointments made, acts done or omitted to be done under the repealed rules shall be deemed to have been made or done or omitted to be done under the corresponding provisions of these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Director General of Shipping shall specify the criteria, form and manner in which any certificates issued before the commencement of these rules have to be revalidated, issued, suspended or cancelled.

**SCHEDULE  
FEES  
(SEE RULE 78)**

Sr. No.	Rank	Rule	Written Exam in Rs	Oral Exam in Rs
1	Officer in charge of a navigational watch (Second Mate of a foreign-going ship) on ships of 500 gross tonnage or more	20		
	a) Navigation		1000	1000
	b) Cargo handling and stowage		1000	1000
	c) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		1000	1000
	d) Radio communications		1000	1000
2	Chief Mate (first Mate of a foreign-going ship) on ships of 3000 gross tonnage or more	21		
	a) Navigation		3000	3000
	b) Cargo handling and stowage		3000	3000
	c) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		3000	3000
3	Master (Master of a foreign-going ship) on ships of 3000 gross tonnage or more	22	12000	12000
4	Extra Master	23	12000	12000
5	Chief Mate (first Mate of a foreign-going ship) on ships of between 500 and 3000 gross tonnage	24		
	a) Navigation		2000	2000
	b) Cargo handling and stowage		2000	2000
	c) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		2000	2000
6	Master (Master of a foreign-going ship) on ships of between 500 and 3000 gross tonnage	25	6000	6000
7	Officer in charge of a navigational watch (Navigational Watch-keeping Officer) on ships of 500 gross tonnage or more, operating in Near-Coastal Voyages	26		
	a) Navigation		500	500
	b) Cargo handling and stowage		500	500
	c) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		500	500
8	Chief Mate on ships of between 500 and 6000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages	27		
	a) Navigation		2000	2000
	b) Cargo handling and stowage		2000	2000

Sr. No.	Rank	Rule	Written Exam in Rs	Oral Exam in Rs
	c) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		2000	2000
9	Master on ships of between 500 and 6000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages	28	6000	6000
10	Officer in charge of a navigational watch on ships of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages	31		
	a) Navigation		500	500
	b) Cargo handling and stowage		500	500
	c) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		500	500
11	Masters on ships of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages	32	2000	2000
12	Ratings forming part of a navigational watch	33		1500
13	Able seafarer deck	34		3000
14	Officer in Charge of an Engineering Watch in a manned engine room or designated duty Engineer in a periodically unmanned engine room (Marine Engineer Officer Class IV)	35		
	a) Marine Engineering		1000	1000
	b) Electrical, electronic and control engineering		1000	1000
	c) Maintenance and repair		1000	1000
	d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		1000	1000
15	Officer in Charge of an Engineering Watch in a manned engine room or designated duty Engineer in a periodically unmanned engine room of ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power, operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class IV - Near-Coastal Voyages)	41		
	a) Marine Engineering		500	500
	b) Electrical, electronic and control engineering		500	500
	c) Maintenance and repair		500	500
	d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		500	500
16	Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 KW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class II)	36		
	a) Marine Engineering		3000	3000
	b) Electrical, electronic and control engineering		3000	3000
	c) Maintenance and repair		3000	3000
	d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		3000	3000

Sr. No.	Rank	Rule	Written Exam in Rs	Oral Exam in Rs
17	Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 KW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class I)	37	12000	12000
18	Second Engineer Officer on ships other than tankers powered by main propulsion machinery of between 3000 KW and 8000 KW propulsion power on Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class II - NCV)	44		
	a) Marine Engineering		2000	2000
	b) Electrical, electronic and control engineering		2000	2000
	c) Maintenance and repair		2000	2000
	d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		2000	2000
19	Chief Engineer Officer on ships other than tankers powered by main propulsion machinery of between 3000 KW and 8000 KW propulsion power on Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class I - NCV)	45	6000	6000
20	Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power (Marine Engineer Officer Class III - Second Engineer Officer limited to 3000 KW)	39		
	a) Marine Engineering		2000	2000
	b) Electrical, electronic and control engineering		2000	2000
	c) Maintenance and repair		2000	2000
	d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		2000	2000
21	Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power (Marine Engineer Officer Class III - Chief Engineer Officer limited to 3000 KW)	40	6000	6000
22	Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class III - Second Engineer Officer - Near-Coastal Voyages)	42		
	a) Marine Engineering		2000	2000
	b) Electrical, electronic and control engineering		2000	2000
	c) Maintenance and repair		2000	2000
	d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		2000	2000

Sr. No.	Rank	Rule	Written Exam in Rs	Oral Exam in Rs
23	Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class III - Chief Engineer Officer - Near-Coastal Voyages)	43	6000	6000
24	Extra First Class Engineer	38	12000	12000
25	Rating forming part of an engine room watch	46		1500
26	Able seafarer engine	47		2500
27	Electro - Technical Officer	48		
	a) Electrical, electronic and control engineering		1500	1500
	b) Maintenance and repair		1500	1500
	c) Controlling the operation of the ship and care for persons on board		1500	1500
28	Electro - Technical Rating	49		1500

Sr. No.	Purpose	Rule	Fees in Rs
29	Issue of certified true copy of Certificate of Competency	76	3000
30	Review of results of Examination for	77	
	a) Certificate at support level of a foreign-going ship or on ships engaged in Near-Coastal Voyages		1500
	b) Certificate at operation level of a foreign-going ship		6000
	c) Certificate at management level of a foreign-going ship		15000
	d) Certificate at operation level of a ship engaged in Near-Coastal Voyages		3000
	e) Certificate at management level of a ship engaged in Near-Coastal Voyages		6000
31	Writing of Hard Cover Certificates		
	a) Certificates at support level		750
	b) Certificates at operational & management level of a foreign-going ship		3000
	c) Certificates at operational & management level of a ship engaged in Near-Coastal Voyages		1500
32	Enquiries with respect of assessment of eligibility or exemption or both for any part of examination at each occasion		3000
33	Issue of Certificate of Proficiency for Basic training in oil/chemical/liquefied gas tanker (each)	52, 53, 54	3000
34	Issue of Certificate of Proficiency for Advanced training in oil/chemical/liquefied gas tanker (each)	52, 53, 54	4500
35	Revalidation of Certificate of Competency		5000
36	Issue of Endorsement for recognition of Certificate of competency at operational level	5 (9)	5000
37	Issue of Endorsement for recognition of Certificate of proficiency at operational level	5 (9)	3000
38	Issue of Endorsement for recognition of Certificate of competency at management level	5 (9)	6000
39	Issue of Endorsement for recognition of Certificate of proficiency at management level	5 (9)	6000

**APPENDIX**

The formats of the following forms are attached in this appendix:

FORM NO.	RULE NO.	RANKS
1	20	Second Mate of a foreign-going ship (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more)
2	21	First Mate of a foreign-going ship (Chief Mate on ships of 3000 gross tonnage or more)
3	22	Master of a foreign-going ship (Master on ships of 3000 gross tonnage or more)
4	23	Extra Master
5	24	First Mate of a foreign-going ship (Chief Mate on ships of between 500 and 3000 gross tonnage)
6	25	Master of a foreign-going ship (Master on ships of between 500 and 3000 gross tonnage)
7	26	Navigational Watch-keeping Officer (NCV) (Officer in-charge of a navigational watch on ships between 500 and 6000 gross tonnage or more, operating in Near-Coastal Voyages)
8	27	Chief Mate of a ship of between 500 and 6000 gross tonnage, operating in Near-Coastal Voyages
9	28	Master of a ship of between 500 and 6000 gross tonnage, operating in Near-Coastal-Voyages
10	31	Officer in charge of a navigational watch of a ship of less than 500 gross tonnage, engaged on Near-Coastal Voyages
11	32	Master of a ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal-Voyages
12	33	Rating forming part of a Navigational Watch
13	34	Able Seafarer Deck
14	35	Marine Engineer Officer Class IV (Officers in Charge of an Engineering Watch in a manned engine room or Designated Duty Engineers in a periodically unmanned Engine Room)
15	36	Marine Engineer Officer Class II (Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW or more)
16	37	Marine Engineer Officer Class I (Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW or more)
17	38	Extra First Class Engineer

FORM NO.	RULE NO.	RANKS
18	39	Marine Engineer Officer Class III ( <i>Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW</i> )
19	40	Marine Engineer Officer Class III – Chief Engineer Officer limited to 3000 kW ( <i>Chief Engineer Officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW</i> )
20	41	Marine Engineer Officer Class IV – NCV ( <i>Officer in Charge of an Engineering Watch in a Manned Engine Room or Designated Duty Engineers in a Periodically Unmanned Engine Room of ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW, operating in Near-Coastal Voyages</i> )
21	42	Marine Engineer Officer Class III – Second Engineer Officer (NCV) ( <i>Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3000 kW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages</i> )
22	43	Marine Engineer Officer Class III – Chief Engineer Officer (NCV) ( <i>Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW, operating in Near-Coastal Voyages</i> )
23	44	Marine Engineer Officer Class II (NCV) ( <i>Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 3000 KW to 8000 kW, operating in Near-Coastal Voyages</i> )
24	45	Marine Engineer Officer Class I (NCV) ( <i>Chief Engineer Officer on ships other than Tankers powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW on Near-Coastal Voyages</i> )
25	46	Rating Forming Part of an Engine-Room Watch
26	47	Able Seafarer Engine
27	48	Electro - Technical Officer
28	49	Electro-Technical Rating
29	72	Application for examination and assessment for certificates under Merchant Shipping (STCW) Rules, 2011
30	76	Application for issue of certified true copy of Certificate of Competency
31	77	Request for Review of result in accordance with Rule 77 of MS (STCW) Rules, 2011
32	5(9)	Endorsement attesting the recognition of a Certificate of Competency
33	5(9)	Endorsement attesting the recognition of a Certificate of Proficiency
34	51	GM DSS Radio Operator

**FORM 1****(See rule 20)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Second Mate of a Foreign - Going Ship

*(Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more)*

**(Regulation II/ 1 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT,  
1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,  
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Second Mate of a foreign-going ship (Officer in Charge of a Navigational Watch) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/ 1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned  
( )  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India




(Official Seal)  
( )  
Chief Examiner  
Nautical Adviser

to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....


Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....


Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 2**  
(See rule 21)

Government of India  
Certificate of Competency  
as

First Mate of a Foreign - Going Ship  
(Chief Mate on ships of 3000 gross tonnage or more)

(Regulation II/ 2 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of First Mate of a foreign-going ship (Chief Mate on ships of 3000 gross tonnage or more) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/ 2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while the holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

(  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India



(Official Seal)

(  
Chief Examiner  
Nautical Adviser  
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 3**  
**(See rule 22)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as  
Master of a Foreign - Going Ship  
(Master on ships of 3000 gross tonnage or more)

**(Regulation II/2 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To

- Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Master of a foreign-going ship (Master) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.
- The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while the holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

(  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India



(Official Seal)

(  
Chief Examiner  
Nautical Adviser  
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 4**  
**(See rule 23)**  
Government of India  
Certificate of Competency  
as  
EXTRA MASTER

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)**

To,

---

Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Master of a foreign-going the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

This Certificate is given upon an Examination passed at ..... on the .....  
day of.....

Certificate No..... Issued on .....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



(Official Seal)

Countersigned

( ..... )  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

( ..... )  
Chief Examiner  
Nautical Adviser to the Government of India

**FORM 5****(See rule 24)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

First Mate of a Foreign - Going Ship

*(Chief Mate on ships of between 500 and 3000 gross tonnage)*

**(Regulation II/ 2 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of First Mate of a foreign-going ship (Chief Mate on ships of between 500 and 3000 gross tonnage or more) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



(Official Seal)

Countersigned


(  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

(

Chief Examiner  
Nautical Adviser to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 6****(See rule 25)**

Government of India

Certificate of Competency

as

Master of a foreign-going ship

*(Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)***(Regulation II/2 of STCW Convention)****CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Master of a foreign-going ship (Master on ships of between 500 and 3000 gross tonnage) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



(Official Seal)

Countersigned

( )


Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

( )

Chief Examiner  
Nautical Adviser  
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....


Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 7**  
**(See rule 26)**

Government of India

Certificate of Competency  
as

Navigational Watch-keeping Officer

*(Officer in Charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more, operating in Near-Coastal Voyages)*

**(Regulation II/1 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Navigational Watch-keeping Officer (NCV) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



(Official Seal)

Countersigned

(  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

(  
Chief Examiner  
Nautical Adviser

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 8****(See rule 27)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Chief Mate of a ship of between 500 and 6,000 gross tonnage operating in Near Coastal Voyages

**(Regulation II/ 2 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Chief Mate of a ship of between 500 and 6,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



(Official Seal)

Countersigned

(  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

(  
Chief Examiner  
Nautical Adviser  
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....


Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....

Signature of the duly authorised official

.....

Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 9**  
(See rule 28)  
**Government of India**  
Certificate of Competency  
as

Master of a ship of between 500 and 6,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages

(Regulation II/2 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Master of a ship of between 500 and 6,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

(  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

(  
Chief Examiner  
Nautical Adviser  
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 10****(See rule 31)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Officer in Charge of a navigational watch of a ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages  
(Regulation II/3 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

\_\_\_\_\_

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Officer in charge of a navigational watch of a ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

(  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

(  
Chief Examiner  
Nautical Adviser  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 11****(See rule 32)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Master of a ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages

**(Regulation II/3 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

\_\_\_\_\_

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Master of a ship of less than 500 gross tonnage engaged on Near-Coastal Voyages in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on.....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

( )  
Deputy Nautical Adviser  
to the Government of India

( )  
Chief Examiner  
Nautical Adviser  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 12**  
(See rule 33)  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**  
**AS**  
**RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH**  
(Regulation II/ 4 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED.**

The Government of India certifies that \_\_\_\_\_ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/ 4 of the STCW Convention as amended and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated:

<b>FUNCTION</b>	<b>LEVEL</b>	<b>LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)</b>
Navigation	Support	

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirement of the Administration:-

<b>CAPACITY</b>	<b>LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)</b>
Rating forming part of a navigation watch	

Certificate No. \_\_\_\_\_ Issued on \_\_\_\_\_

Date of Expiry : Unlimited

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2 Paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.


Date and Place of birth of holder of certificate \_\_\_\_\_

Signature of the holder of the certificate \_\_\_\_\_

INDOS No. \_\_\_\_\_ Seafarer's Identification Document No. \_\_\_\_\_

PASSPORT No. \_\_\_\_\_ C.D.C.No. \_\_\_\_\_

Photograph of the holder of the certificate



Official Seal

Signature of duly authorised Officer

Name of duly authorised Officer

**FORM 13**  
(See rule 34)  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**  
**AS**  
**ABLE SEAFARER DECK**  
(Regulation II/ 5 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED.**

The Government of India certifies that ..... has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/ 5 of the STCW Convention as amended and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Navigation	Support	
Cargo handling and stowage	Support	
Controlling the operation of the ship and care for persons on board	Support	
Maintenance and Repairs	Support	

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirement of the Administration:-

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Able seafarer deck	

Certificate No. \_\_\_\_\_ Issued on \_\_\_\_\_

Date of Expiry : Unlimited

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2 Paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.


Date and Place of birth of holder of certificate \_\_\_\_\_

Signature of the holder of the certificate \_\_\_\_\_

INDOS No. \_\_\_\_\_ Seafarer's Identification Document No. \_\_\_\_\_

PASSPORT No. \_\_\_\_\_ C.D.C.No. \_\_\_\_\_

Photograph of the holder of the certificate



Official Seal

Signature of duly authorised officer

Name of duly authorised Officer

**FORM 14****(See rule 35)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

(Marine Engineer Officer Class IV)

*(Officers in Charge of an Engineering Watch in a manned engine room or Designated Duty Engineers in a periodically Unmanned Engine Room)*

**(Regulation III/1 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class IV (Officers in charge of an Engineering Watch) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

( )  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

( )  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 15****(See rule 36)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

(Marine Engineer Officer Class II)

*(Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW or more)***(Regulation III/2 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class II (Second Engineer Officer) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2 The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

( )  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

( )  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 16****(See rule 37)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

(Marine Engineer Officer Class I)

*(Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW or more)***(Regulation III/2 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class I (Chief Engineer Officer) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

( )  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

( )  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 17**

(See rule 38)

**Government of India  
Certificate of Competency  
as  
Extra First Class Engineer****CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958  
(44 OF 1958)**

To,

---

Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class I of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) hereby grants you this Certificate of Competency.

This Certificate is given upon an Examination passed at ..... on the ..... day of .....

Certificate No ..... Issued on .....

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



(Official Seal)

Counter signed

( )

Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

( )

Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

**FORM 18**  
**(See rule 39)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as  
(Marine Engineer Officer Class III)  
(Second Engineer Officer limited to 3,000 kW)

**(Regulation III/ 3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class III (Second Engineer Officer - limited to 3000 kW) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



Countersigned

(Official seal)

(  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

(  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 19**  
(See rule 40)  
**Government of India**  
Certificate of Competency  
as

Marine Engineer Officer Class III  
(Chief Engineer Officer limited to 3000 kW)  
(Regulation III/3 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class III (Chief Engineer Officer limited to 3000 kW) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



Countersigned  
( )  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

(Official seal)  
( )  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....  
Recent photograph of the Candidate



(Official seal)


.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....  
Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....  
Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 20****(See rule 41)**

Government of India

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class IV – NCV

*(Officer in Charge of an Engineering Watch on ship, operating in Near-Coastal Voyages)***(Regulation III/1 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)****CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class IV (Officer in charge of an engineer watch – NCV) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official seal)

Countersigned

( )

Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

( )

Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 21**  
**(See rule 42)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Marine Engineer Officer Class III  
(Second Engineer Officer of ships, operating in Near-Coastal Voyages)

**(Regulation III/3 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class III – (Second Engineer Officer - NCV) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official seal)

Countersigned

( )  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India



( )  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 22****(See rule 43)****Government of India**

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class III

(Chief Engineer Officer of ships operating in Near-Coastal Voyages)

**(Regulation III/3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer Class III – (Chief Engineer Officer - NCV) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

( )

Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

( )

Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....  
Recent photograph of the Candidate



(Official seal)


.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....  
Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....  
Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 23**  
**(See rule 44)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Marine Engineer Officer Class II - Near-Coastal Voyages (between 3000 and 8000kW)  
(Second Engineer Officer on ships other than Tankers powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW on Near-Coastal Voyages)

**(Regulation III/2 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties Marine Engineer Officer class II - Near-Coastal Voyages (Second Engineer Officer on ships other than Tankers powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW on Near-Coastal Voyages), of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official seal)

Countersigned  
( )  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India



( )  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 24**  
**(See rule 45)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Marine Engineer Officer Class I - Near-Coastal Voyages (between 3000 and 8000kW)  
(Chief Engineer Officer on ships other than Tankers powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW on Near-Coastal Voyages)

**(Regulation III/2 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Marine Engineer Officer class I - Near-Coastal Voyages (Chief Engineer Officer on ships other than Tankers powered by main propulsion machinery of between 3,000 kW and 8,000 kW on Near-Coastal Voyages) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel engaged in Near-Coastal-Voyages and any other limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. .... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate



(Official seal)

Countersigned

(  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India

(  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 25**  
(See rule 46)  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**  
**AS**

**RATING FORMING PART OF AN ENGINE-ROOM WATCH**

(Regulation III/ 4 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED.**

The Government of India certifies that \_\_\_\_\_ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 4 of the STCW Convention as amended and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Marine engineering	Support	

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirement of the Administration:-

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Rating forming part of a Engine-Room watch	

Certificate No. \_\_\_\_\_ Issued on \_\_\_\_\_

Date of Expiry: Unlimited

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2 Paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.


Date and Place of birth of holder of certificate \_\_\_\_\_

Signature of the holder of the certificate \_\_\_\_\_

INDOS No. \_\_\_\_\_ Seafarer's Identification Document No. \_\_\_\_\_

PASSPORT NO. \_\_\_\_\_ C.D.C.No. \_\_\_\_\_

Photograph of the holder of the certificate



Official Seal

Signature of duly authorised officer

Name of duly authorised Officer

**FORM 26**  
(See rule 47)  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**  
**AS**  
**ABLE SEAFARER ENGINE**

(Regulation III/ 5 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED.**

The Government of India certifies that \_\_\_\_\_ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 5 of the STCW Convention as amended and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Marine engineering	Support	
Electrical, electronic and control engineering	Support	
Maintenance and repairs	Support	
Controlling the operation of the ship and care for persons on board	Support	

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirement of the Administration:-

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Able seafarer engine	

Certificate No. \_\_\_\_\_ Issued on \_\_\_\_\_

Date of Expiry : Unlimited

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2 Paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.


Date and Place of birth of holder of certificate \_\_\_\_\_

Signature of the holder of the certificate \_\_\_\_\_

INDOS No. \_\_\_\_\_ Seafarer's Identification Document No. \_\_\_\_\_

PASSPORT NO. \_\_\_\_\_ C.D.C.No. \_\_\_\_\_

Photograph of the holder of the certificate



Official Seal

Signature of duly authorised officer

Name of duly authorised Officer

**FORM 27**  
**(See rule 48)**

Government of India  
Certificate of Competency  
as

Electro - Technical Officer

**(Regulation III/ 6 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58)  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND  
WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of Electro - Technical Officer of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/6 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official seal)

Countersigned

( )  
Deputy Chief Surveyor  
with the Government of India



( )  
Chief Examiner  
Chief Surveyor  
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

**FORM 28**  
(See rule 49)  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**  
**AS**  
**ELECTRO-TECHNICAL RATING**  
(Regulation III/ 7 of STCW Convention)

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 (44 OF 1958) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED.**

The Government of India certifies that \_\_\_\_\_ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/ 7 of the STCW Convention as amended and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Electrical, electronic and control engineering	Support	
Maintenance and repairs	Support	
Controlling the operation of the ship and care for persons on board	Support	

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirement of the Administration:-

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Electro – technical rating	

Certificate No. \_\_\_\_\_ Issued on \_\_\_\_\_  
Date of Expiry: Unlimited


The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2 Paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and Place of birth of holder of certificate \_\_\_\_\_  
Signature of the holder of the certificate \_\_\_\_\_

INDOS No. \_\_\_\_\_ Seafarer's Identification Document No. \_\_\_\_\_

PASSPORT NO. \_\_\_\_\_ C.D.C.No. \_\_\_\_\_

Photograph of the holder of the certificate



Official Seal

Signature of duly authorised officer

Name of duly authorised Officer

**FORM 29**  
(See rule 72)  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**  
**DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING**

Application for examination and assessment for certificates under Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers) Rules, 2011 for manning ships in foreign-going and Near-Coastal Voyages trades.

**A. PERSONAL PARTICULARS:**

1. Full Name .....  
(Block letters) (Surname) (Other names)

PHOTO



2. Permanent address .....  
.....  
.....
3. Present address .....  
.....  
.....
4. Telephone Number (if any) .....
5. Nationality (proof to be produced) .....
6. Passport number .....
7. Date and place of issue .....
8. Continuous Discharge Certificate (CDC) Number .....
9. Date and place of issue .....
10. Date of birth..... 11.Place of birth .....
- (Proof to be produced)
12. Personal marks .....

Note: Any person who makes, causes to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself/herself or any other person a Certificate, shall be liable for prosecution under Section 182 & 420 of the Indian Penal Code 1860.

**B. DETAILS OF SCHOLASTIC EDUCATION:**

(Separate sheets must be attached)

1. Scholastic Education Level : .....
2. Principal subjects : .....
3. Year of passing : .....
4. School/College/Board : .....
5. Address of the Institution : .....

**C. DETAILS OF PRE-SEA TRAINING/MARINE ENGINEERING WORKSHOP:**

(Separate sheets must be attached)

1. Training Institute: .....
2. Address of the Institution : .....
3. Attended from..... to .....
4. Result:.....
5. Courses attended:

## D1. DETAILS OF SEA-GOING SERVICE (FOR DECK DEPARTMENT PERSONNEL)

[illegible]

## D2. DETAILS OF SEA-GOING SERVICE (FOR ENGINE DEPT. PERSONNEL) :

DETAILED DETAILS OF SEAFARER'S SERVICE (FOR FOREIGN DEPENDENT PERSONNEL):										
				Trade		Nature of Service	Date		Period	
No. of Testimonials	Name of ship and whether Steam Ship or Motor Vessel	Official Number	Kilowatt Registered Power	Foreign-going or Near-Coastal Voyages or Indian Naval Service or Coast Guard	Rank	State Whether performed I. On fitter's work, either by day or on watches on Deck or in Engine and Boiler Rooms. II. On regular watch on auxiliaries or refrigerator III. On regular watch on main engines. IV. Do-on main boilers V. Do-on both main engines and boilers simultaneously VI. On ships partially or fully unmanned machinery space	From	To	Months	Days
						*The use of appropriate Roman numbers will be sufficient for III, IV, V and VI	Net qualifying service			

**E. REPORT ON STRUCTURED ON BOARD TRAINING**

	DATE COMPLETION	OF	NAME OF MASTER	DETAILS OF CERTIFICATE OF COMPETENCY
PHASE-1:				
PHASE-2:				
PHASE-3:				
PHASE 4:				

REPORT OF DESIGNATED COMPANY TRAINING OFFICER:

SIGNATURE:

NAME:

CERTIFICATE NO:

REPORT OF HEAD OF ASSESSMENT CENTRE:

SIGNATURE :

NAME :

OFFICIAL STAMP

**F. REPORT OF ASSESSMENT CENTRE :**

1. POST-SEA APPROVED EDUCATION AND TRAINING AT APPROVED INSTITUTION LEVEL :

2.

FUNCTION/PART	INSTITUTION	FROM	TO	REMARKS

2. REMARKS OF HEAD OF ASSESSMENT CENTRE

ELIGIBILITY FOR OPERATIONAL LEVEL EXAMINATION/ASSESSMENT

SIGNATURE:

NAME:

OFFICIAL STAMP:

**G. PARTICULARS OF STCW CONVENTION MODULAR COURSES (POST-SEA) :**

Sr. No.	COURSE	STCW Regulation/STCW Code A	APPROVED INSTITUTION	PERIOD	Validity
				From To	

**H. PREVIOUS CERTIFICATE (issued in India or elsewhere, if none state so)**

Number	Certificate details	Class Grade	Place and date of examination	If at any time suspended or cancelled state
			Examination Issue	Court of Authority Date Cause

**I. DECLARATION TO BE MADE BY CANDIDATE:**

I hereby declare that the particulars contained in the form are correct and true to the best of my knowledge and belief and that the papers enumerated and sent with this form are true and genuine documents given and signed by the person whose name appears on them. I further declare that Section D contains a true and correct account of my sea-going service without exception and I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

The above declaration was signed in my presence

Signature of the candidate

Examiner of Masters and Mates/Engineer Officers  
Mercantile Marine Department  
.....District

**J. REQUEST FOR ALLOTMENT OF SEAT FOR EXAMINATION**

Applied For	Month	Grade	Fees paid		Written Papers							Orals			Sign of Candidate	Sign of Examiner
			Amount	Sign & Date	NAV 1	NAV 2	NAV 3	NAV 4	CARGO/ASM	SOF 1	SOF 2	NAV	CARGO/ASM	SOF		

**K 1: SIGHT TEST: Date of Examination: \_\_\_\_\_ Result \_\_\_\_\_ Signature of Examiner \_\_\_\_\_**

**K 2: RESULT FOR EXAMINATION (For official Purpose only):**

No. of Attempts	Month	Grade	Written Papers							Orals			Signal	Sign of Examiner
			NAV 1	NAV 2	NAV 3	NAV 4	CARGO/ASM	SOF 1	SOF 2	NAV	CARGO/ASM	SOF		

Note: Second Mate FG/ NWKO-NCV: NAV 1: Terrestrial and Coastal Navigation, NAV 2: Celestial Navigation, NAV 3: Meteorology, NAV 4: Bridge Watch keeping and Emergencies.

First Mate: (FG/ NCV) Phase I: NAV 1: Terrestrial and Celestial Navigation, NAV 2: Meteorology, SOF 1: Ship Safety, Damage Control and Management of Personnel, SOF 2: Naval Architecture Paper 1.

First Mate: (FG/ NCV) Phase II: NAV 1: Navigational Aids including compasses, NAV 2: Bridge Watch-keeping, Ship handling and emergencies, NAV 3: Engineering knowledge, instruments and control system. SOF 1: Naval Architecture Paper II, SOF 2: Maritime Legislation.

Master: (FG/ NCV) ASM

## L. REPORT OF EXAMINATION CENTRE:

- (1) I hereby certify that..... has satisfactory produced testimonials and proof of Sea-going Service/Watch-keeping Service/Approved Workshop Training as required for the grade.
- (2) The candidate complies with the requirements of the Merchant Shipping (standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers) Rules, 1998 for the grade of.....
- (3) The candidate has passed his examination for the functions as under :

FUNCTION	EXAMINATION CENTRE	MONTH	REMARKS

## M. FOR THE CHIEF EXAMINER OF MASTERS AND MATES/ENGINEER OFFICERS:

- (1) I hereby certify that..... born at ..... on ..... has satisfactory produced testimonials and proof of Sea-going Service/Watch-keeping Service.
- (2) The candidate complies with the requirements of the Merchant Shipping (standards of Training Certification and Watch keeping for Seafarers) Rules, 1998 for the grade of.....
- (3) The candidate has passed his examination for the functions as under:

FUNCTION	EXAMINATION CENTRE	MONTH	REMARKS

The candidate meets the requirements to be eligible to be issued the Certificate of Competency as.

## N. FINAL ASSESSMENT PRIOR CERTIFICATION:

MEDICAL FITNESS PRE SEA TRAINING STRUCTURED ON BOARD TRAINING SEA SERVICE REQUIREMENT WRITTEN EXAMINATION (ASSESSMENT) ORAL ASSESSMENT MODULAR COURSES	STATUS
ELIGIBILITY	YES/NO

CERTIFICATE OF COMPETENCY FOR GRADE..... AS RECOMMENDED BY MERCANTILE MARINE DEPARTMENT MAY BE ISSUED

ASSESSOR AT DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING OF MASTERS AND MATES/ENGINEER OFFICERS

REMARKS .....

CHIEF EXAMINER  
(MASTERS AND MATES/ENGINEER OFFICERS)

**FORM 30**  
(See rule 76)

APPLICATION FOR ISSUE OF CERTIFIED TRUE COPY OF CERTIFICATE OF COMPETENCY

(A) Full Name: .....

Date and Place of Birth.....

(B) Details of Certificate of Competency of which a certified copy is required:

Grade:.....No.....

Date Passed:..... Issued at:.....

(C) Details of service within the last twelve months

Name of ship	Port of Registry Official No.	Capacity	From	To	Remarks

(D)(i) I hereby declare that the particulars given in section A, B and C of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief and that the Certificate of Competency described in Section B was defaced/destroyed/lost under the following circumstances:

(ii) The certified true copy of the Certificate of Competency be delivered to me at the Port of .....

Signature of the candidate

(E) For Office use only:

(i) The above statement was signed in my presence and it is recommended that the certified true copy of the Certificate of Competency described above may be issued.

**Principal Officer**  
**Mercantile Marine Department**  
.....**District**

(ii) Certified copy enclosed  
enclosed  
Appropriate fees \*may/may not  
be charged

(iii) Certified copy is issued.  
issued  
\*Fees of .....received

Principal Officer

**Notes:** \*Delete the words which do not apply.

On issue of the certified true copy this form shall be returned to the concerned Chief Examiner.

**FORM 31**  
(See rule 77)

**Request for Review of result in accordance with Rule 77 of MS (STCW) Rules, 2012**

To: Principal Officer, Mercantile Department, Mumbai / Kolkata / Chennai /Kandla /Kochi\*

*Subject: **Request for Review of result in accordance with Rule 77 of MS (STCW) Rules, 2012***

I appeared for written function/s \_\_\_\_\_ for grade \_\_\_\_\_ in the month of ...../ 20..... from your centre. I was declared failed in the said function/s. It is requested that my written exam result may be reviewed in line with captioned provisions. I am enclosing a demand draft for Rs..... dated ..... in accordance with fees schedule prescribed under said MS (STCW) Rules 2011.

Additional remarks of applicant, if any:

INDo S No:                      Rotation No                      Name:                      Signature/ Date:

***For official use only***

No.: \_\_\_\_\_

Date:

To: Chief Examiner of Master and mates / Engineer officers

From: Principal Officer, MMD, Mumbai / Kolkata / Chennai / Kandla / Kochi\*

Candidate has applied within prescribed time limit of one month after declaration of results. Result of above candidate may be reviewed as requested and outcome may be communicated to this department.

Additional remarks of MMD, if any:

*for Principal Officer*

***For official use only***

No: \_\_\_\_\_

Date:

To: Principal Officer, Mercantile Marine Department, Mumbai / Kolkata / Chennai / Kandla / Kochi\*

From: Chief Examiner of Master and mates / Engineer officers

Result of above candidate was reviewed and Chief Examiner of Master and mates / Engineer officers has declared the candidate **passed / failed** in function \_\_\_\_\_. Candidate may be informed accordingly.

Records of results in Directorate have been amended accordingly. Mercantile Marine Department may also carry out similar amendments in their records. A copy of this letter may be maintained as record along with the results for the month and form 29 of the candidate, in case the earlier result of the candidate stands amended.

Additional remarks of Directorate, if any:

*for Chief Examiner of Master and mates / Engineer officers*

Instruction: 1. Delete as applicable\*

**FORM 32****See rule 5 (9)**

Government of India

**ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY  
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON  
STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING  
FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To

The Government of India certifies that certificate No..... issued to ..... by or on behalf of the Government of ..... Is duly recognized in accordance with the provisions of regulation 1/10 of the above Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations until ..... or until the date of expiry of any extension of the validity of the endorsement as may be shown overleaf:

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe Manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Endorsement No.....

issued on.....

*(official Seal)*.....  
*Signature of duly authorised official*.....  
*Name of the duly authorised official*


The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate

The validity of this certificate is hereby extended until.....

*(Official seal)*.....  
*Signature of the duly authorised official*

Date of Revalidation.....  
*Name of the duly authorised official*

The validity of this certificate is hereby extended until.....  
 Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....  
*Signature of the duly authorised official*

Date of Revalidation.....  
*Name of the duly authorised official*

### FORM 33

See rule 5 (9)

Government of India

**ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE OF PROFECIANCY  
 UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON  
 STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING  
 FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

The Government of India certifies that certificate No..... issued to  
 ..... by or on behalf of the Government of ..... Is duly  
 recognized in accordance with the provisions of regulation 1/10 of the above Convention, as amended, and the  
 lawful holder is authorized to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations until  
 ..... or until the date of expiry of any extension of the validity of the endorsement as  
 may be shown overleaf:

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable  
 safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Endorsement No.....

issued on.....

(official Seal)

.....  
*Signature of duly authorised official*


.....  
*Name of the duly authorised official*

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate.....

Signature of the holder of the certificate.....

Photograph of the holder of the certificate



The validity of this certificate is hereby extended until.....

(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

Date of Revalidation.....

.....  
Name of the duly authorised official

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

Date of Revalidation.....

.....  
Name of the duly authorised official

**FORM 34**  
**(See rule 51)**  
 Government of India  
 Certificate of Competency  
 as

GMDSS Radio Operator  
**(Regulation IV/ 2 of STCW Convention)**

**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958 (44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.**

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfill the duties of GMDSS Radio Operator of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation IV/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until \_\_\_\_\_ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. MMD/.....

Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate




(Official seal)

( )  
 Examiner of Master & Mates  
 Mercantile Marine Department  
 Mumbai/Chennai/Kolkata/Kochi/Kandla

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official


.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

The validity of this certificate is hereby extended until.....

Recent photograph of the Candidate



(Official seal)

.....  
Signature of the duly authorised official

.....  
Name of the duly authorised official

Signature of Candidate.....

Date of Revalidation.....

F.No. A-12012/1/2011-MA]  
SUNIL MISHRA, Jt. Secy.